पंचम माला, खंड 60, अंक 26, सोमवार, 26 अप्रैल, 1976/6 वैशाख 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX No. 26 Monday, April 26, 1976/Vaisakha 6, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

ा सचिवालय
दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

6LSS/76—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26 सोमवार, 26 अप्रैल, 1976/वैशाख 6, 1898 (शक)

No. 26, Monday, April, 26, 1976/Vaisakha 6, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	**OBITUARY REFERENCE**	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 525 से 529, 533 और 535 से 537	Starred questions Nos. 525 to 529, 533 and 535 to 537 . . .	2—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 521 से 524, 530 से 532, 534 और 538 से 541	Starred Questions Nos. 521 to 524, 530 to 532, 534 and 538 to 541 .	21—29
अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 से 2532, 2534, 2536 से 2556 और 2558 से 2595	Unstarred Questions Nos. 2498 to 2532 2534, 2536 to 2556 and 2558 to 2595	29—85
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	85
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	88
211वां, 214वां और 215वां प्रतिवेदन .	Two Hundred and eleventh, Two hundred and fourteenth and Two hundred and fifteenth Reports.	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . . .	88
100वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Hundredth Report and Minutes .	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	88
82वां प्रतिवेदन और 84वां प्रतिवेदन	Eighty-second and eighty-fourth Reports	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77	89—116
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	89—96
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	89
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . . .	89
श्री एस०एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . . .	90
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi .	91
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel	91
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N.K. Sanghi . .	91
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	92
पैट्रोलियम मंत्रालय	Ministry of Petroleum .	96—105
श्री रेणुपट दास	Shri R.P. Das . .	97
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	98
डा० रानेन सैन	Dr. Ranen Sen .	98
श्री बी०वी० नायक	Shri B.V. Naik .	99
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	100
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	101
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	101
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malaviya . . .	102
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture	105—116
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya	105
श्री सुधाकर पाण्डेय	Shri Sudhakar Pandey . .	109
श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari .	110
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	111
श्री बी०आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . .	112
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli .	113
श्री सत्येन्द्र सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha .	114
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranbahadur Singh . .	114
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan . . .	115
सभा का कार्य	Business of the House . . .	109
भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के बारे में वक्तव्य—	Statement re Answer to S.Q. No. 533 regarding Birth of Lord Buddha .	115
प्रो० नुरुल हसन	Prof. Nurul Hasan . .	116

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

Lok Sabha Debates (Summarised Translated Version)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 26 अप्रैल, 1976/6 वैसाख 1898 (शक)

Monday, April, 1976/Baisakh 6, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[*Mr. Speaker in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री अनिल कुमार चन्दा के निधन का समाचार देना है जो कि 21 अप्रैल 1976 को 70 वर्ष की आयु में शांतिनिकेतन के स्थान पर स्वर्गसिधार गये ।

श्री चन्दा 1952-62 के दौरान प्रथम तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि चुनावक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वर्ष 1967-1970 तक वह चौथी लोक-सभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1952 से 1957 तक वह विदेश मंत्रालय में उपमंत्री रहे और 1957 से 1962 तक निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री रहे । श्री चन्दा 1962-66 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के आयुक्त भी रहे और 1963-66 तक वह भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त भी रहे।

श्री चन्दा एक विद्वान् व्यक्ति थे तथा वह नोबल पुरस्कार विजेता डा० रवीन्द्र नाथ टैगौर के निजी सचिव भी रहे। उन्होंने शान्तिनिकेतन के विश्व-भारती विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। 1953 में वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भी रहे और 1955 में उन्होंने चीन को भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के नेता भी रहे। उनके नेतृत्व में 1956 में रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों को प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया।

हम इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को वह शोक संदेश भेजने में मेरे साथ ही हैं।

अपना शोक व्यक्त करने के लिये अब सदस्यगण कुछ समय के लिये मौन खड़े हो जायें।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े हुए।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, और अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान् जी मुझे अपने साथी मंत्री श्री शंकर घोष जोकि योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री हैं का परिचय आपको तथा आपके माध्यम से सदन को करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाना

*525. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रानेन सेन : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से निकाले गये समस्त परिवारों को भारत में बसा दिया गया है;

(ख) यदि हां तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है और उन्हें भारत में किन-किन स्थानों पर बसाया गया है;

(ग) क्या दण्डकारण्य में अब भी कुछ हजार और लोगों को बसाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रखा है ।

विवरण

(क) 41.17 लाख पुराने प्रवासियों में से (लगभग 8.23 लाख परिवार) 6.82 लाख परिवारों को---4.87 लाख परिवारों को पश्चिम बंगाल में तथा 1.95 लाख परिवारों को पश्चिम बंगाल के बाहर अन्य राज्यों/क्षेत्रों में---पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है। शेष 1.41 लाख परिवारों में से जो पश्चिम बंगाल में रह गये हैं लगभग 1.29 लाख परिवारों ने पुनर्वास सहायता के लिये अनुरोध नहीं किया भूतपूर्व शिविर स्थलों पर अनधिकृत रूप से रह रहे 9000 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी जा रही है (समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार) और लगभग 3000 परिवार स्थायी दायित्व गृहों तथा अपंगालयों में हैं।

पश्चिम बंगाल में बृहद स्तर पर पुनर्वास से उत्पन्न समस्या को राज्य सरकार की सलाह पर समय समय पर समीक्षा की गई है । पिछली समीक्षा 8 मई 1975 को पूर्ति और पुनर्वास मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये विवरण के फलस्वरूप 2 जुलाई 1975 को सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने की है। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट 10 मार्च 1976 को सरकार को दे दी है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है।

1-1-1964 से 25-3-1971 तक भारत आये नये प्रवासियों की संख्या 11.14 लाख थी यह निर्णय किया गया था कि राहत और पुनर्वास सहायता केवल उन्हें ही दी जाये जिन्होंने पश्चिमी

बंगाल से बाहर शिविरों में प्रवेश चाहा था। इस निर्णय के बावजूद भी 6 लाख से भी अधिक नये प्रवासियों (1.20 लाख परिवारों) ने पश्चिम बंगाल में रहना स्वीकार किया। उन परिवारों को छोड़कर, जो बंगलादेश की स्वतन्त्रता के दौरान शिविरों तथा पुनर्वास ग्रामों से भाग गये थे, 78,000 परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता थी, जिनमें से 31-12-1975 तक 55,272 परिवारों को पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, दण्डाकारण्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है। शेष परिवारों में से 3833 परिवार गृहों तथा शिविरों में स्थायी दायित्व के परिवार हैं तथा 17,252 परिवार शिविरों/कर्मी शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं।

(ख) जिन पुराने प्रवासियों को पुनर्वास सहायता दी गई है उनकी तथा साथ ही 31-12-1975 को विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में रह रहे नये प्रवासियों की संख्या नीचे दी गई है:—

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र	पुराने प्रवासी परिवारों की संख्या	नये प्रवासी परिवारों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	4,87,000	—
2.	आसाम	90,000	13,028
3.	त्रिपुरा	69,000	5,883
4.	बिहार	14,000	2,177
5.	उत्तर प्रदेश	4,000	1,474
6.	मध्य प्रदेश (दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र को छोड़कर)	3,000	4,938
7.	उड़ीसा (दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र को छोड़कर)	3,000	253
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	3,000	777
9.	दण्डकारण्य परियोजना	8,000	13,804
10.	आन्ध्र प्रदेश	—	1,261
11.	अरुणाचल प्रदेश	—	2,902
12.	कर्नाटक	—	802
13.	महाराष्ट्र	—	5,687
14.	मनीपुर	500	145
15.	मेघालय	—	2,138
16.	पंजाब	—	3
17.	राजस्थान	300	—
		6,81,800	55,272

(ग) और (घ) पोटेरु सिंचाई तथा पुनर्वास नामक एक विस्तृत योजना दिसम्बर 1975 में मंजूर की गई थी। इस सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोरापुट जिले में पोटेरु नदी पर सुरलीकोण्डा में एक बांध का निर्माण तथा दो मुख्य नहरों का निर्माण आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 61,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिये व्यवस्था की गई है जिसमें से 24,800 हैक्टेयर प्रवासी परिवारों तथा 36,200 हैक्टेयर आदिवासी तथा स्थानीय लोगों के लिये होगी। योजना में उड़ीसा सरकार द्वारा दी जाने वाली 16,000 हैक्टेयर भूमि पर 11,000 प्रवासी परिवारों को (10,000 कृषक तथा 1,000 गैर-कृषक परिवार) बसाने तथा 2000 आदिवासी परिवारों को बसाने के लिये 4,800 हैक्टेयर और भूमि का उद्धार करने का लक्ष्य है। पुनर्वास के लिये जंगलों की कटाई के बाद पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने के लिये 14,400 हैक्टेयर पर वनरोपण की एक योजना भी मंजूर की गई है।

डा० रानेन सेन : विवरण में दो बहुत ही विचित्र बातें हैं। विवरण के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया : "शेष 1.41 लाख परिवारों में से, जो पश्चिम बंगाल में रह गये हैं लगभग 1.29 लाख परिवारों ने पुनर्वास सहायता के लिये अनुरोध नहीं किया..." इसके क्या कारण हैं कि पश्चिम बंगाल से आने वाले अधिकांश परिवारों ने जोकि अपने घर-बार वहां छोड़कर आये हैं, उन्हें भारत ने कोई मुआवजा नहीं दिया है तथा अभी तक उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की है? अतः क्या यह सच है भारत सरकार का इस कार्य के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने इन लोगों के पूर्ण पुनर्वास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि यह विचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया है?

श्री राम निवास मिर्धा : पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बंगलादेश कहा जाता है से आने वाले शरणार्थियों को राहत पहुंचाने तथा उन्हें सभी प्रकार की आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार सदा ही प्रयत्नशील रही है। 41.17 लाख पुराने शरणार्थियों का तात्पर्य है कि 8.23 लाख परिवार। इनमें से 6.82 लाख परिवारों को पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है। इन में से 4.87 लाख परिवार पश्चिम बंगाल में हैं और 1.94 लाख परिवार पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे हैं। शेष 1.41 लाख परिवारों में से 1.29 लाख परिवारों ने सहायता की मांग नहीं की है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते हों, इसका कारण यह भी हो सकता है उनके पास देश के जीवन के साथ मिल कर जीवन निर्वाह कर लेने के पर्याप्त साधन हों परन्तु यह एक तथ्य है ही तथा इसकी पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार तथा हमारे अन्य साधनों द्वारा की जा चुकी है कि यह परिवार किसी प्रकार की विशेष सहायता लेने के लिये हमारे पास नहीं आये हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल जिसे कि अब बंगलादेश कहा जाता है से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बृहद योजना तैयार की थी जिसके अन्तर्गत व्यापक सर्वेक्षण किया गया तथा यह पता चला कि अधिकांश शरणार्थियों को नाममात्र की पुनर्वास सहायता भी नहीं मिली है?

यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई इस बृहद योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिसके लिये वहां के मुख्य मंत्री ने भी भारत सरकार से पर्याप्त सहायता का अनुरोध किया है?

श्री राम निवास मिर्धा : यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस राज्य के शर्णार्थियों के पुनर्वास की आवासीय समस्या के लिये 150 करोड़ रुपये की लागत वाली एक बृहद योजना बनाई थी। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पांचवीं योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने के लिये योजना आयोग के कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) के एक उपदल का गठन किया गया था जिसका कार्य पुनर्वेक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा अपनी बृहद योजना में की गई व्यवस्था के सन्दर्भ में पुनर्वास के लिये अपेक्षित धनराशि की सिफारिश करना था। इसके बाद कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई क्योंकि योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई इस बृहद योजना से सम्बद्ध कुछ आंकड़े मांगे। राज्य सरकार के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप इस पूरे मामले की जांच करने के लिये एक नये दल का गठन किया गया और इस दल का गठन भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया गया तथा इसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल किये गये। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि उनके बीच किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाये ताकि यह मामला योजना आयोग या वित्त मंत्रालय को न भेजना पड़े। इस कार्यकारी दल ने अभी 10 मार्च 1976 को ही अपना प्रतिवेदन दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है। हमने इस बारे में विचार विमर्श आरम्भ कर दिया है कि वर्षवार इस धनराशि का वितरण किस प्रकार किया जाये तथा विभिन्न योजनाओं के लिये कितनी कितनी धनराशि दी जाये। हमें आशा है कि हम इस कार्यकारी दल के जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि थे, के प्रतिवेदन पर शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इसे दृष्टिगत रखते हुए कि सरकार भूतपूर्व पाकिस्तान से भेजे जाने वाले, अनेक परिवारों के प्रति लापरवाह रही जोकि बिना सरकार की जानकारी के बिना ही भारत में बस गये, क्या मैं यह समझ लूं कि भारत पश्चिम बंगाल क्षेत्र के शरणार्थियों की समस्या को बड़े विचित्र ढंग से संभाला और इसी के परिणामस्वरूप देश के उस भाग में आज सैंकड़ों हजार लोग आज की तरह रह रहे हैं और यदि यह ठीक है तो क्या इससे भारत सरकार की गंभीर लापरवाही प्रदर्शित नहीं होती। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतायेंगे?

श्री राम निवास मिर्धा : यह ठीक है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को इस देश में आने तक जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन का मुआवजा किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही विनीत भाव से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कठोर रवैया अपनाना तो बहुत दूर की बात है भारत सरकार और राज्य सरकार इस समस्या के प्रति बहुत ही चिंतित रही है। हमने इस समस्या के सभी गंभीर परिणामों पर विचार करते हुए इस देश में आने वाले शरणार्थियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये हर वह सम्भव कार्य किया है जोकि हम अपनी शक्तिनुसार सम्भवतः कर सकते थे। मैं पुनर्वास सम्बन्धी किये गये सभी प्रयत्नों को दोहराना तो नहीं चाहता। इनमें से अधिकांश के बारे में तो सदन को मालूम ही है। आपको मालूम ही है कि हमने दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण का गठन किया है जोकि अपने किस्म का एक अनूठा संस्थान है। इसके अन्तर्गत तीन राज्य आते हैं। इसके अन्तर्गत बहुत सा क्षेत्र आता है और इसने उस क्षेत्र में अनेक नगर बसा दिये हैं जहां कि कोई रहता ही नहीं था। हाल ही में हमने वहां के लिये 15 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना की मंजूरी दी है। परन्तु मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य को तथा सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमसे जो कुछ भी अधिक से अधिक बन पड़ा है, उसे हम करते आये हैं और जो कुछ भी अपेक्षित होगा, वह आगे भी करते रहेंगे।

Shri Md. Ismail : May I know if the Government is having any information whether after the formation of Bangla Desh, refugees are still crossing over to this Country?

Shri Ram Niwas Mirdha : At present we have got no such information.

बारानी खेती के बारे में कनाडा से समझौता

*526. **श्री डी० के० पंडा :**

सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :

क्या **कृषि** और **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच बारानी खेती के बारे में एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी क्रियान्विति का कब तक होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क), (ख) और (ग) संबंधित वक्तव्य सभा के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) जी हां। 31-3-76 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ताकि बारानी खेती से पैदावार बढ़ाने के लिए बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान में भारत और कनाडा के बीच तकनीकी सहयोग को जारी रखा. जा सके। यह समझौता 4 साल (1976-80) के लिये वैध होगा।

देश की अर्थ व्यवस्था में बारानी खेती के महत्व को समझ कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चौथी योजना के दौरान 178 लाख रुपये की लागत पर बारानी खेती के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को कार्यान्वित किया। इस अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य बारानी क्षेत्र में कृषि उत्पादन को सुधारने तथा स्थिर करने के लिये व्यावहारिक प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इस मामले का महत्व निरन्तर बने रहने के कारण बारानी खेती की अनुसंधान प्रायोजना को पांचवीं योजना में भी मौजूदा 23 अनुसंधान केन्द्रों में आगे चालू रखा गया। इसके लिये कुल 345 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है। पांचवीं योजना में बारानी अनुसंधान का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि निम्नलिखित बिषयों पर विशेष रूप से प्रयत्नों में तेजी लाई जा सके--(क) बारानी खेती की कृषि क्रियाओं के लिये समय की बचत करने वाले औजारों का विकास करने के लिये इंजीनियरी अनुसंधान, (ख) अधिक कारगर बारानी फसलों और फसल पद्धतियों के विकास का प्रयत्न, (ग) जलागम क्षेत्र के आधार पर बेहतर साधन व्यवस्था के लिये भूमि का ऐसा उपयोग जिसमें एक फसल छोड़कर या बहुफसली पद्धति अपनायी जाये, (घ) चार स्थानों में सम्पूर्ण जलागम क्षेत्रों के आधार पर व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना, और (च) बारानी भूमि प्रौद्योगिकी के शीघ्र प्रसार के लिये हैदराबाद स्थित प्रायोजना के मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र (प्रशिक्षक प्रशिक्षण) केन्द्र ।

बारानी खेती पर अनुसंधान के महत्व को देखते हुए चौथी योजना की अवधि में भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रयत्नों में कनाडा सरकार ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। फलतः पांच साल के लिये भारत-कनाडा समझौते पर अगस्त 1970 में हस्ताक्षर किये गये। इसकी अवधि बाद में 31 मार्च, 1976

तक बढ़ा दी गयी जिसमें कनाडा के योगदान की राशि 19 लाख कनाडी डालर थी। ऐसे अनुसंधान के निरन्तर महत्व को देखते हुए कनाडा सरकार ने चार साल के लिये (1976-80) बारानी खेती में भारत-कनाडा सहयोग के दूसरे चरण के रूप में एक अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

आशा है कि 1976-80 के बीच कनाडा का योगदान कनाडी डालर में 16 लाख 30 हजार और रुपयों में 1 करोड़ 15 लाख रुपये होगा। कनाडा के योगदान में क्षेत्र एवं प्रयोगशाला के औजार और सप्लाई की व्यवस्था, कनाडा के सलाहकारों की अन्तर्राष्ट्रीय व देश के अन्दर यात्रा का खर्च, कनाडा में सहकारिता अनुसंधान की सुविधाएं और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा एवं सहकारिता अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिये चुने गये भारतीय कर्मचारियों का निर्वाह खर्च शामिल है।

भारत-कनाडा सहयोग पर समझौते का दूसरा चरण मार्च 31, 1976 से शुरू हो गया है।

श्री डी० के० पंडा: 1970 से जो निरन्तर सहयोग चला आ रहा है, उसके सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि 1970 से 31-3-76 के दौरान, से जब तक कनेडा अनुसंधान ग्रुप के साथ हुए हाल ही के अनुसंधान करार तक, के क्या अनुरूप परिणाम निकले हैं और क्या उसे जारी रखना ठीक समझा जा रहा है?

श्री शाहनवाज़ खान: सदन को मालूम ही है कि देश की लगभग 75 प्रतिशत खेती योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर रहती है और वहां सूखी खेती ही होती है। देश में कृषि के भविष्य की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने कनाडा सरकार के साथ सहयोग किया तथा इसके परिणाम संतोषजनक रहे हैं। प्रथम चरण में तो उन्होंने खेती की नई पद्धति खोज निकाली तथा पानी एकत्रित कर उससे सिंचाई करने की व्यवस्था की। अन्य अनेक प्रक्रियायें भी खोज निकाली गईं हैं। जहां तक हाल ही में हस्ताक्षर किये गये दूसरे चरण का सवाल है, हमें आशा है कि इसके भी संतोषजनक परिणाम निकलेंगे।

श्री डी० के० पंडा: सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को जिस भूमि का वितरण किया गया है, वह भूमि शुष्क भूमि ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की भूमि के विकास के लिये सहकारिताओं के माध्यम से प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री शाहनवाज खान: इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये एक अलग योजना है जोकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये भी अपनाई जाती है। हमारे पास इस प्रकार की 74 परियोजनायें हैं और हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

श्री डी० के० पंडा: परन्तु क्या उस भूमि की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसका वितरण पहले ही किया जा चुका है। भूमिहीन लोगों को काफी भूमि दी गई है और चूंकि योजना के अन्तर्गत सहकारिताओं के माध्यम से विकास किया जाना भी शामिल है इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी इस प्रकार की भूमि के विकास कार्य को कोई प्राथमिकता दी गई है?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह भारत तथा कनाडा के बीच हुए करार का ही अंग है?

श्री शाहनवाज़ खान: जी नहीं, यह तो बिल्कुल अलग चीज है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि देश में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि का केवल एक चौथाई भाग ही सिंचाई वाली भूमि के अन्तर्गत आता है तथा शेष भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये कदम उठाये जा रहें है। कनाडा के साथ जो यह सूखी खेती के तरीके के सम्बन्ध में करार हुआ है, पहले पांच वर्ष के लिये हुआ था और अब इसे चार वर्ष के लिये और बढ़ाया जा रहा है। इसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। क्या इस करार का बड़ी फसलों के तरीकों के विकास पर या समय बचाने वाले उपकरणों के निर्माण पर कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां तो क्या इसका परीक्षण किया गया है और यदि हां तो सूखी खेती के तरीकों पर करार की अवधि बढ़ाने का क्या परिणाम रहेगा? क्या सूखे से प्रभावित न होने वाले बीजों को तैयार करना भी इस करार का एक अंग है?

श्री शाहनवाज खां: माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे सभी इस परियोजना में शामिल हैं। इस समय देश में 23 अनुसंधान परियोजनायें हैं और हम उपकरणों, पानी, फसल, सूखे से प्रभावित न होने वाले बीजों के सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे हैं। पर इस प्रक्रिया में समय लगेगा और इसमें किसानों के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखा जायेगा।

Shri Ram Kanwar : Small farmers have tubewells installed and eletricity filled in their wells. But they are unable to pay the minimum charges therefor as their production is very low. As such, they have had the electricity disconnected and feel that taking out water and cultivation with the help of bullocks would be profitable. Do Government Propose to provide irrigation facilities to the farmers at cheap rates ?

Shri Shahnawaj Khan : There are mainly research projects. The question of making arrangements for farming through tubewells is dependent upon the circumstances. We are considering as to where tubewells can be installed and what methods can be adopted ?

मछली पकड़ने के लिए नार्वे से उपकरण

*527. **श्री पी० गंगादेव:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्वे मछली पकड़ने के लिये भारत को उपकरण देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में 26 मार्च, 1976 को इस संबंध में किसी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां।

(ग) कृषि और सिंचाई मंत्रालय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी नोर्वेजियन एजेन्सी के बीच 26 मार्च, 1976 को जिस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये थे उसकी मुख्य बातें यह थीं कि नार्वे की

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975 के लिये विनियोजित 34 लाख नोर्वेजियन क्रोनरों की सीमा के अन्दर, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी नार्वेजियन एजेन्सी मछली पकड़ने के उपकरणों/फालतू पुर्जों की 25 मदों की खरीद, बीमा और उन्हें बिना किसी लागत के भारत भेजने की व्यवस्था करेगी। ये उपकरण/फालतू पुर्जे विभिन्न केन्द्रीय मत्स्यपालन संस्थानों और राज्य मत्स्यपालन विभागों की विभिन्न मत्स्यपालन विकास और अनुसंधान सम्बन्धी मत्स्यपालन गतिविधियों के प्रयोग के लिये प्राप्त किये जा रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव : चूंकि नोर्वे की मत्स्य नौकायें नहीं आई हैं लेकिन उनके स्थान पर उपकरण खरीदे गये हैं, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मछली पकड़ने के ये उपकरण और फालतू पुर्जे क्या विशेषता रखते हैं और क्या वे भारतीय परिस्थितियों में अनुकल रहेंगे और क्या इनके साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी गई है और यदि हां तो किन किन शर्तों पर और ये उपकरण किन किन राज्यों को भेजे जायेंगे ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : नार्वे की सरकार से वही उपकरण मंगाये जाते हैं जो हमारे लिये उपयोगी होते हैं।

विभिन्न राज्यों को आबंटन भारत सरकार करती है। वस्तुतः मत्स्यपालन के विकास का जो हमारा कार्यक्रम है, उसे देखते हुए यह बहुत कम है। किन्तु हम नोर्वे की सरकार के इस क्षेत्र में दी गई सहायता के लिये आभारी हैं।

श्री पी० गंगा देव : अपनी विस्तृत और श्रेष्ठ इंजीनियरी व्यवस्था के बावजूद भी हम ये उपकरण और मत्स्य नौकायें भारत में क्यों नहीं बना सकते ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम देश में मत्स्यनौकाओं के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत से सरकारी और निजी कारखाने मत्स्य नौकाओं और कृषि उपकरणों के निर्माण में लगे हुए हैं। सामग्री और उपकरणों के आयात के बारे में विचार हो रहा है जिससे कि स्वदेशी उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई खराब असर न पड़े।

गेहूं की कीमत और वसूली नीति

*528. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं की कीमत और वसुली नीति के बारे में अनेक राज्यों में मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों/खाद्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर गेहूं की सब किस्मों का वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल

ही बनाये रखा है और सभी राज्य सरकारों ने इसे अपना लिया है। राज्यों ने अधिक से अधिक वसूली करने की नीति को भी मान लिया है लेकिन यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है कि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वसूली का जो सबसे अनुकूल तरीका हो उसे अपनाए।

श्री एच० एन० मुखर्जी : हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को चलाने के लिये इस वर्ष एक करोड़ बीस लाख टन अनाज की वसूली करने के लिये उत्पादकों और मिल मालिकों से अनिवार्य क्रमिक वसूली के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या राज्य वसूली के निश्चित लक्ष्यों को कम न करने के लिये राजी हो गये हैं?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जहां तक वसूली लक्ष्यों का सम्बन्ध है, आम तौर पर सरकार द्वारा स्वीकार किये गये लक्ष्य उन्हीं लक्ष्यों के बराबर हैं जिनकी कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है। केवल जम्मू और कश्मीर के मामले में वहां की मौसम सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लक्ष्य बीस हजार टन के बजाय, 18 हजार टन कर दिया गया है परन्तु उससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि वसूली का लक्ष्य समग्र रूप से 51-52 लाख टन तो है ही।

जहां तक वसूली के तरीके का सम्बन्ध है, भारत में हमारा अनुभव यह रहा है कि उत्पादकों से वसूली को खरीद करने वाले बाजार में आने वाले अनाज से प्रभावी ढंग से जोड़ना ही सर्वोत्तम तरीका है। परिस्थितियां प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, पंजाब जैसे राज्य में बहुत भारी मात्रा में अनाज बाजार में आता है और वहां पर अनिवार्यता वाली बात लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें से बहुत सा अनाज हम खरीद लेते हैं। किन्तु बाजार में बचे फालतू अनाज का सबसे प्रभावी उपयोग का हमारा तरीका यह है कि हम निजी व्यापार को अन्तर्राज्यीय व्यापार में प्रवेश नहीं करने देते। गेहूं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का काम भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है। राज्यों के बैंक बाजार में बचे फालतू अनाज को विभिन्न राज्यों में उपयोग किये जाने के काम में हमारी बहुत मदद करते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : चूंकि इस वर्ष हमें आशा है कि हमारा गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होगा इसलिये हम खाद्यान्नों का बफर स्टाक क्यों नहीं बनाते और अमरीका से पांच लाख टन अनाज आयात करने की आवश्यकता को समाप्त क्यों नहीं कर देते। क्योंकि लगता है कि सरकार यह अनाज ऐसी शर्तों पर आयात करने जा रही है जो हमारी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है? क्या सरकार को डर है कि राज्य सरकारें उत्पादकों को सन्तोषप्रद मूल्य देकर वसूली करने और हमारी प्रणाली में सहायता देने में असमर्थ रहेंगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की ये आशंकायें सही नहीं है। वास्तव में इस वर्ष हम बाजार में फालतू बचे अनाज का इतना उपयोग करने जा रहे हैं जितना देश में पहले कभी नहीं हुआ था। इस वर्ष खरीफ और रवि फसलों की वसूली सब से अधिक होगी। इस वर्ष स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारे स्टाक की स्थिति सबसे अधिक अच्छी होगी। इसलिये माननीय सदस्य की यह आशंका कि हमें आयात आदि पर निर्भर रहना पड़ेगा, सही नहीं है। हम जो भी निर्यात करेंगे वह बहुत ही कम होगा। यह आयात इसलिये करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले इसके सम्बन्ध में समझौते कर चुके हैं। इस वर्ष हम स्थानीय रूप से अच्छी वसूली करने और एक बड़ा बफर स्टाक बनाने पर बल देंगे। वास्तव में गहूं की वसूली अभी शुरू करनी है। आज हमारे स्टाक में एक करोड़ पांच लाख टन अनाज है और अगले 6-8 सप्ताहों में हम आशा करते हैं कि हम पचास लाख टन या इससे अधिक गेहूँ की वसूली कर लेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : I understand that in Bihar, particularly in Champaran district private traders are purchasing wheat at the rate of Rs. 90 per quintal and no Government Agency is there to purchase wheat at the rate of Rs. 105 per quintal. The farmers there have again been Compelled to sell wheat at the rate of Rs. 90 per quintal.

In such a situation why are the Central Government or State Government not purchasing wheat at the fixed procurement price of Rs. 105/- per quintal ? May I know the rate at which 4 lakh tonnes of wheat and one lakh tonne of rice have been imported from USA and whether the same rates would be paid to the farmers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, हमने देश को और किसानों को जो आश्वासन दिया है उस पर हम कायम हैं और हम किसानों से 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से सारा अनाज खरीदने के लिये तैयार हैं। हमने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे देखें कि मूल्य इस दर से नीचे न गिरने पायें। जहां कहीं दर इससे नीचे गिरे वहां राज्य सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करें और यदि वह ऐसा नहीं कर सकतीं है तो हमें इसकी सूचना दें ताकि हम आवश्यक कार्यवाही करें।

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भी ऐसा नहीं होगा। दुर्भाग्यवश बिहार में स्थानीय विनियमित बाजार विकसित नहीं हुए हैं और बनिये सीधे उत्पादकों से अनाज खरीद लेते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह स्थिति आधुनिक विपणन पद्धतियों का विकास करके ही सुधारी जा सकती है। हम सब इस बात को जानते हैं। मैं राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में फिर बात करूंगा।

मैं यह नहीं बता सकूंगा कि हम बाहर से अनाज किस मूल्य पर खरीद रहें हैं। क्योंकि यह बताना लोकहित में नहीं होगा।

Shri Hari Singh : It has been stated that the Wheat is being purchased by private traders at the rate of Rs. 90/- per quintal in the markets of Uttar Pradesh.

The reason therefor is that at the time of giving loans to the farmers while purchasing the wheat many deficiencies are pointed out and thus the farmer is compelled to sell wheat in the market at a lower price. May I know what steps are being taken to put an end to this sort of harassment ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : हमारी वसूली के कार्य का उद्देश्य मूल्यों को गिरने से रोकना है। हमारा प्रयत्न किसानों की मदद करना है। यदि तंग किये जाने का कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो हम सम्बन्धित राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किसानों को इस प्रकार तंग न किया जाये।

श्री बी० वी० नायक : हम मंत्री महोदय की इस बात को मानते हैं कि हम भारी वसूली करने जा रहे हैं किन्तु इस वर्ष हमें इस भारी वसूली के भाण्डागारण के सम्बन्ध में काफी परेशानी होगी। मैंने अभी 20 सूत्री-समिति की एक बैठक में भाग लिया और मेरे विचार में इस वर्ष चूहों की खूब बन आयेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तथा राज्य सरकारों ने अनाज के भाण्डागारण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं? खाद्यान्नों को रखने के लिये निजी गोदामों को प्राप्त करने के लिये किन किन राज्य सरकारों ने अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक निजी भाण्डागारण का सम्बन्ध हैं मैं तथ्य बता सकता हूँ। भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 90 लाख टन अनाज रखने की सुविधा मौजूद है। इसमें से 33

लाख टन अनाज गैर-सरकारी गोदामों में रखा जाता है। सी० डब्ल्यु० सी० के भी मैं आंकड़े दे सकता हूँ। राज्य सरकारों की विभिन्न सहकारी समितियों, सी० डब्ल्यु० सी० और भारतीय खाद्य निगम ने मिलकर एक करोड़ टन अनाज रखने के लिए स्थान गैर-सरकारी लोगों से किराये पर लिया है। किन्तु हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करें। कलेक्टरों को यह अधिकार दे दें कि वे देश के किसी भी भाग में अनाज रखने के लिये स्थान प्राप्त कर लें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फलैटों की खरीद

529. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने बनाए फलैटों के इच्छुक खरीदारों का हाल ही में नया पंजीकरण किया है; और

(ख) क्या प्रैस विज्ञापन में प्रत्येक श्रेणी के फलैटों का मंजिल क्षेत्रफल कमरों की संख्या तथा ऐसे फ्लैटों के सकल मूल्य का ब्यौरा नहीं दिया गया हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर किशन लाल भगत) :

(क) जी हां

(ख) प्रेस विज्ञापन, जिसमें पंजीकरण योजना की केवल मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था, का उद्देश्य आवास की मांग का मूल्यांकन करना तथा इच्छुक खरीददारों का पंजीकरण करना था । ताकि विस्तृत योजनाएं बनाई जा सकें।

तथापि, विशिष्ट आवास परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् मकानों की लागत, कुर्सी क्षेत्रफल, स्थान-विशेष जैसे ब्यौरे एक अलग विवरणिका में दिए जाते हैं। ऐसे मकानों के लाटरी द्वारा आबंटन के लिए केवल पंजीकृत व्यक्ति ही पात्र है। ऐसे व्यक्ति जो अपने पंजीकरण को एक वर्ष के बाद वापस लेना चाहें, ऐसा कर सकते हैं तथा उन्हें पंजीकरण की धरोहर राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जाती है।

Shri Bhan Singh Bhaura : Has any reservation been made for weaker sections and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the new registration that has since been started ?

श्री एच०के०एल० भगत : नई योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये 25 प्रतिशत फलैट आरक्षित किये गये हैं।

Shri Bhan Singh Bhaura : Will they be granted any concession in the price of the flats as well ?

श्री एच०के०एल० भगत : जहां तक फ्लैट की कुल कीमत का सम्बन्ध है, यह तो सभी से एक समान ली जायेगी।

जहां तक अग्रिम राशि का सम्बन्ध है, इन लोगों से आधी अग्रिम राशि वसूल की जानी है।

Shri Ram Kanwar : Plots are allotted to the poor and the people of Scheduled Castes in Delhi but they are compelled to return the plots as they are not given loans by the Government. May I know whether at the time of returning these plots, do they get full refund of their money ?

Shri H.K.L. Bhagat : This question relates to the flats, not to the plots. However, if a person wants to return his plot, he can do so. There is great demand for these plots. The prices of these plots is much higher than those at which they are given by the D.D.A.

Shri Lalji Bhai : In the agreement about the flats allotted by D.D.A. last date by which the possession of the flats would be given is stipulated. But it has been seen that the flats are not ready by that stipulated date and water and electricity facilities are not provided therein. If an allottee fails to deposit the first instalment by the stipulated date, a penalty is imposed upon him, even if he has not taken possession of the flat. May I know whether Government propose to make some provision in this regard so that the allottee may not have to pay any much penalty and he may get some relief ?

Shri H.K.L. Bhagat : If an allottee fails to deposit the instalment within the stipulated period, some penal interest is charged from him, for some time & if he fails to deposit the money within the grace period allowed to him, his allotment is cancelled. Regarding the complaint of the Hon'ble Member that the penal interest has been charged from somebody even when he has not been given possession of the flat, I have to say that he will have to pay the instalment. However, if the Hon'ble Member brings any such case to my notice, I will certainly look into it.

Shri T. Sohan Lal : In some colonies, plots have been demarcated and full payment of those plots have been made. The Hon'ble Minister has stated that Government gives some concessions to the Scheduled Castes.

Plots have not been developed in some colonies wherein Harijan's have paid the full amount for the plots. I would like to know from the Government when these plots will be handed over to the allottees after development.

Shri H.K.L. Bhagat : I may add for the information of the Hon'ble Member that usually the allotment of plots made after the completion of development work of the colonies. In certain colonies some of the facilities are get to be provided and efforts are being made to provide them at the earliest.

Shri T. Sohan Lal : Regarding Shalimar garden, I may state that people were asked to deposit the amount six months back but uptil now not even a single facility has been provided.

Shri H.K.L. Bhagat : This question related to plots only but still I may say for the information of Hon'ble Member.......

Mr. Speaker : You need not reply about the plots.

Shri Shashi Bhushan : It has been stated by Hon'ble Minister that 25% of the plots will be allotted to Harijans. I would like to know the percentage of flats allotted to Harijans by the DDA. May I further know whether some more facilities are being provided to the Harijans for the purchase of flats or they are kept at par with the other people because otherwise they will not be in a position to purchase the flats.

Shri H.K.L. Bhagat : At present the reservations for Harijans is 25% though in the beginning it was 15% only. In Delhi 24,988 flats have been allotted by the DDA up to to 31st July, 1975. The Hon'ble Member may calculate the number of flats allotted to Harijans at the rate of 15% reservation.

Shri Dalip Singh : In rural areas plots are being allotted to Harijans and landless persons. I would like to know whether the plots built in Katwaria and Bersarai urban villages will be allotted to the Harijans and landless people of those villages ?

Shri H.K.L. Bhagat : If the land of somebody in a village is taken then arrangement is made to allot a plot to that person.

भगवान बुद्ध का जन्म स्थान

*533. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वीय खोजों से भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में विवाद का समाधान हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) और (ख) विशेषज्ञों के मतानुसार लुम्बिनी, नेपाल में वर्तमान रुम्मिनदेई से प्राप्त अशोक का शिलालेख यह बताता है कि भगवान बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था।

श्री शंकर राव सावन्त : पुरातत्वीय खोजों के फलस्वरूप विवादों का समाधान होने की अपेक्षा उनमें और बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पुरातत्वविज्ञों द्वारा महाभारत युद्ध सम्बन्धी विवाद भी आरम्भ किया गया । यद्यपि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में पुरातत्वविज्ञों की खोज क्या है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मुझे उस पुरातत्वविज्ञ के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है जिसने अशोक के शिलालेखों के बारे में आपत्ति की थी।

श्री शंकरराव सावंत : मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्तम्भों पर अशोक के क्या शिलालेख थे ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : इन शिलालेखों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है : "देवताओं के प्रिय, राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं इस स्थान की यात्रा कर पूजा की क्योंकि शाक्यों के संत महात्मा बुद्ध का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उन्होंने इस स्थान के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई और अपनी-अपनी यात्रा के स्मारक के रूप में यह पत्थर का स्तम्भ बनवाया। चूंकि यहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए उसने लुम्बिनी गांव को सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया तथा उसे सामान्य दर की अपेक्षा अपनी फसल का केवल आठवां भाग राजस्व के रूप में देने के लिए कह दिया"।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है--मुझे यह मालूम नहीं कि वह कितने सत्य हैं--कि हाल ही की पुरातत्वी खोजों से कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह दावा किया गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म एक समीपवर्ती स्थान पर हुआ था। बिना इसके बारे में किसी प्रकार की घोषणा किये, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुरातत्व विभाग में उनके परामर्शदात्ताओं ने या कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसके बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : श्रीमान जी मैं समझता हूं कि अशोक के स्तम्भों का यह शिलालेख इस का अन्तिम प्रमाण है। मैं समझता हूं कि अशोक के इस दावे के बारे में कभी किसी पुरातत्वविज्ञ द्वारा अपील नहीं की गई है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य कपिलवस्तु के स्थिति सम्बन्धी विवाद का लेख करना चाह रहे हैं। कपिलवस्तु, जैसा कि माननीय सदस्य को मेरे से भी अच्छी तरह मालूम है,

शक्यों की राजधानी थी परन्तु भगवान् बुद्ध की माता ने जोकि अपने पिता के देवदहा स्थित घर की ओर जा रही थी, उसने साल के वृक्ष ने नीचे एक बच्चे को जन्म दिया जोकि बाद में बुद्ध कहलाया। अतः यदि इनका यह प्रश्न भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में ही है तो मैं अपनी सीमित जानकारी के आधार पर पुनः यह निवेदन कर दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी ही था।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know if the attention of the Education Minister has been drawn towards the reply given by Deputy Minister a few days back in this House. It was stated in that reply that an archaeological survey of Pipperhara Village of Basti District was conducted and it was further said that the birth place of Buddha is Pipperhara. May I know if an unstarred question about the same was replied and if so, may I know the reaction of the Department on the same.

Prof. S. Nurul Hasan : I will see to it I cannot recollect it off hand.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे: यह विवाद अधिक समय तक नहीं चल सकता कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था या कपिलवस्तु। कुछ समय के बाद पुरातत्वविज्ञ स्वयं ही पुराना तथा अप्रचलित सा हो जायेगा। इसीलिए यह विवाद चलता ही रहना चाहिये तथा विशेषज्ञ इसका समाधान करते रहेंगे। शिलालेखों में यह कहा गया है कि लुम्बिनी को कर-मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यदि यह मान लिया जाये कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु था तो भला क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

दिल्ली में पोषाहार कार्यक्रम

*535. **श्री भोगेन्द्र झा:**

श्री के० मालन्ना:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसहयोग तथा बाल विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम का कार्यकरण असंतोषजनक पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1973-74 में दिल्ली में 375 विशेष पोषाहार कार्यक्रम केन्द्र चल रहे थे। राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा इन में से 10 केन्द्रों का नमूने का अध्ययन किया गया था। अध्ययन के लिए क्षेत्र आधार सामग्री जून-जुलाई, 1973 में एकत्रित की गई थी। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों का सारांश तथा उन पर की गई कार्रवाई निम्नलिखित पैरों में दी गई है।

2. **निष्कर्षों का सारांश** : लगभग एक तिहाई लाभ प्राप्तकर्ता ऐसे परिवारों के थे, जिनकी मासिक आय 200 रुपए से अधिक थी। कुछ परिवारों का विचार था कि लाभ प्राप्तकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में पक्षपात किया गया है। अधिकतर अभिभावक खाद्य पदार्थों के वितरण को केवल राहत ही समझते थे तथा उनमें से कुछ को अपने बच्चों के लिए आहार की ठीक पात्रता का भी ज्ञान नहीं था। अधिकतर केन्द्रों के पास आहार वितरण के समय बच्चों को एकत्रित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। केवल 37% मामलों में ही लाभप्राप्तकर्ताओं ने सारा आहार खाया/अन्य मामलों में अभिभावकों तथा परिवार के अन्य बच्चों ने भी आहार में हिस्सा बटाया। बहुत से मामलों में बच्चों के लिए जो दूध था उस की चाय बनाई गई। बहुत से अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे इस लिए दूध पीना पसंद नहीं करते क्योंकि वह बिना उबाला हुआ, ठंडा तथा चीनी के बिना होता है। केन्द्र में उपस्थिति रजिस्टर ठीक प्रकार नहीं रखे गए थे और वितरण किए जाने के बाद जो आहार बच जाता था उसे संयोजक और सहायक खा जाते थे।

3. **की गई कार्रवाई** : इस अध्ययन के निष्कर्ष दिल्ली प्रशासन को बता दिए गए थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में उपचारी उपाय किए हैं। पहले-पहले पहल केवल उन्हीं परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था, जिनकी आय 200 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं थी। फिर भी रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार की पात्रता के लिए दिल्ली प्रशासन ने आय की सीमा बढ़ा कर 350 रुपए प्रतिमास कर दी है। अभिभावकों को यह समझाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं कि यह कार्यक्रम बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण समाप्त करने तथा बच्चों की आहार सम्बन्धी पात्रताओं के संबंध में अभिभावकों को सूचित रखने के लिए है।

दिल्ली के गंदे इलाकों में लाभप्राप्तकर्ताओं को एकत्रित करने के लिए छत वाले स्थानों का मिलना कठिन है। केन्द्रों में जब आहार प्राप्त होता है तो उसके लगभग एक घंटे के भीतर ही उसका वितरण कर दिया जाता है। डबलरोटी रखने के लिए बक्से तथा दूध रखने के लिए ढक्कनदार बर्तन दिए गए हैं। जहां कहीं सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसी स्थान पर आहार खाने को बढ़ावा दिया जाता है। प्रभाव रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों को संयोजकों के रूप में युक्तियुक्त किया है और वे यह सुनिश्चित करने की पूरी चेष्टा करते हैं कि आहार केवल उन्हीं लाभप्राप्तकर्ताओं को मिले, जिनके लिए वह है। अतिरिक्त खर्च होने के कारण केन्द्रों में उबला हुआ और मीठा दूध देना सम्भव नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को अपना हिस्सा मिले कार्ड देने की प्रणाली शुरू कर दी गई है। जो आहार वितरण के बाद बच जाता है उसे संयोजकों और सहायकों द्वारा उन बच्चों में बांट दिया जाता है जो वहां उपस्थित होते हैं, पर जिनके पास कार्ड नहीं होते हैं।

पात्रता नियमों को समान रूप से लागू किया गया परन्तु अधिक आय होने के कारण जिन व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलता है उनमें यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि लाभप्राप्तकर्ताओं को चुनने में भेदभाव बर्ता गया है।

श्री के० मालन्ना : इस योजना से दिल्ली के कितने परिवारों/बच्चों को लाभ हो रहा है और क्या लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा इस लाभ का उचित उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इनका दुरुपयोग होने के समाचार भी प्रकाशित हुये हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक लाभ उठाने का समन्वय है दिल्ली में कुल 75,000 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।

श्री के० मालन्ना : लाभप्राप्तकर्ताओं को दिये जाने वाले लाभ के दुरुपयोग के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री अरविन्द नेताम : लाभों के दुरुपयोग के बारे में हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं। आखिरकार हमने दिल्ली प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया। अब वह शिकायतें दूर कर दी गई हैं।

श्री के० मालन्ना : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि परिवारों का चयन करने में भाई-भतीजावाद किया जाता है तथा खाद्य-सामग्री दूध के वितरण में, काफी कुप्रबन्ध तथा अपयोजन चल रहा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके क्या परिणाम हुये हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोषाहार कार्यक्रम में किसी प्रकार का कुप्रबन्ध या अपयोजन नहीं है। परन्तु इसकी मुख्य समस्या यही रही कि पहले इस वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन की अधिकतम सीमा 200 रुपये प्रति परिवार निर्धारित की गई। बाद में इसे बढ़ाकर 350 रुपये प्रति परिवार कर दिया गया। अतः इस प्रकार के बच्चों का पता लगा पाना काफी कठिन हो गया। अतः इस सीमित आय से अधिक वेतन पाने वाले परिवारों के बच्चे भी इन केन्द्रों में आने लग गये। दिल्ली प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और अब इसका समाधान किया जा रहा है।

Rehabilitation of persons rendered Homeless during Indo-Pak Conflict

***536. Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) total number of persons rendered homeless during the last Indo-Pak War ;

(b) number of persons out of them rehabilitated so far; and

(c) when the rest of these persons will be rehabilitated ?

The Minister of Supply & Rehabilitation (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) About 17,000 persons wre uprooted from Chhamb-Niabat in Jammu & Kashmir.

(b) 9000.

(c) About 4000 persons in 1976-77 and the remaining in subsequent years depending on reclamation of land and allotment.

Shri Bharat Singh Chowhan : The Minister has stated that the number of such persons is about 17,000. But according to the information in this regard about 60,000 refugees from Chhamb area were camping at Rajasthan Border. Are these figures wrong? What arrangements have been for these 60,000 refugees? They did not want to go there but efforts were made to force them out there. What is the condition of those refugees now ?

Shri Ram Niwas Mirdha : No refugee from Chhamb area has been sent in the Camps of Rajasthan. At the time of war with Pakistan in 1971 about 74,753 persons came here from that area. But the refugees from Chhamb area are not included in these figures. I would like to reiterate that they were not sent to the Camps of Rajasthan.

Shri Bharat Singh Chauhan : I want to know whether all the refugees have been rehabilitated or they have been kept in Camps? What help have been given to them and whether they are now in those Camps ? What arrangements have been made by Government for the refugees for who came from Chhamb area ?

Shri Ram Niwas Mirdha: The quetion of the hon' Member was the number of persons affected in Chhamb area. I replied that 17,000 persons were affected. Now he asked the number out of them rehabilitated ? I replied that 9,000 pesons have been rehabilitated. After that he put a question as to when the remaining persons would be rehabilitated? In reply to this I said that four thousand such persons would be rehabilitated during the year 1976-77 and that negotiations have been going on with the State Government for reclamation of land for these persons. A part of the land has been reclaimed and these persons will be rehabilitated next year as soon as the land is made available to us.

डा० रानेन सेन: 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सिन्ध क्षेत्र से हजारों व्यक्ति राजस्थान आ गये थे और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने सिन्ध वापिस जाने से इन्कार कर दिया था। यह समाचार पत्रों की रिपोर्ट है। जो व्यक्ति राजस्थान में ही रहना चाहते हैं उनका क्या प्रबन्ध किया गया है और उनकी देख-रेख के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? इन लोगों का क्या होगा?

श्री राम निवास मिर्धा: 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् भारी संख्या में लोग पाकिस्तान से यहां आये थे, जो कुछ तो राजस्थान की सीमा से आये थे और कुछ गुजरात की सीमा से आये थे। मैं दोनों क्षेत्रों के लोगों की संख्या बताऊंगा। पश्चिमी पाकिस्तान से राजस्थान और गुजरात सीमा को लांघ कर आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की कुल संख्या 74,753 है। 16,322 व्यक्ति पाकिस्तान लौट गये हैं। शेष व्यक्ति अभी तक राजस्थान और गुजरात के शिविरों में हैं और कुछ बाहर हैं। हम सीमित रूप में इनकी पुनर्वास समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति अभी तक पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं। हमें आशा है कि वे पाकिस्तान वापस चले जायेंगे। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ बात चीत चल रही है, और तब तक इन लोगों को मानवीय आधार पर पर्याप्त राहत, सहायता दी जा रही है। उनके यहां से वापस जाने तक उनके ठीक रहन-सहन का प्रबन्ध कर रहे हैं।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग किए जा रहे मकान

*537. **श्री शशि भूषण** :

श्री बसन्त साठे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने व्यक्तियों को अपने मकानों से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किये जा चुके हैं, जिनके मकानों का वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इस प्रकार के कितने मकानों से अब तक बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा चुके हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन मार्च, 1976 तक 4,117 नोटिस जारी किए गए थे, नई दिल्ली नगर पालिका ने दिसम्बर, 1975 में 27 नोटिस जारी किए।

(ख) अब तक बिजली के 1,075 तथा पानी के 521 कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

(ग) महानगरों के सुव्यवस्थित नगरीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस बात को उत्सुक है कि वृहत योजना, क्षेत्रीय विनियमों के प्रावधानों तथा भवन उप नियमों का कठोरता से पालन किया जाये।

Shri Shashi Bhushan : Sir, Commercial Establishments have been served with eviction notices. I want to know from the hon' Minister the number of commercial establishments for such flats manufactured in Nehru Place or in such some other places ? Secondly no provision has been made for electricity and water. The Government have issued notices to these business commercial establishments and their water and electric connections have been disconnected. Then Government have extended the time of their stay arbitrarily in some cases for one year and in some other cases for six months only. What is the criteria of Commercial Establishments ? From little shop keeper to an advocate of Supreme Court and from tailor to a doctor nearly three or four thousands persons were running their shops in the houses in Moti Nagar and the Government have displaced these persons by removing their establishments from those houses. Under which planning or scheme these persons will be provided plots ? If you remove these Commercial establishments where will these go ? They include public sector establishments, Banks and Social organisations and their social responsibility goes on Government. I want to know the comprehensive scheme formulated by the Government. It is not proper to displace them without constructing houses for them.

श्री एच० के० एल० भगत: माननीय सदस्य ने एक प्रश्न करने के बजाय, अनेक प्रश्न एक साथ उठा दिये हैं। मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि जहां तक दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, यह तो वहीं तक सीमित है . . .

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधन करें सदस्य को नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने उनके प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं की है। यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि मंत्री महोदय के पास पूर्ण एवं व्यापक तथा सुविस्तृत योजना है तो वह प्रश्न के उत्तर में लम्बा भाषण देने के बजाय उसे सभा पटल पर रख सकते हैं। वह प्रश्न के महत्वपूर्ण पहलू का उत्तर दे सकते हैं और फिर उसके अनुपूरक के रूप में वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत: श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, यह दक्षिण दिल्ली की कुछ आलीशान कालोनियों तक ही सीमित है जहां आवासीय मकानों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भारी किराये पर दे दिया गया है। कुछ मामलों में जहां भूमि इस प्रयोजन के लिए आबंटित की गई है लोगों ने वहां अपने प्रतिष्ठान स्थानान्तरित कर लिए हैं। कुछ कालोनियों में कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध किए गए हैं। बहुत से लोग इन्हें नहीं लेते हैं क्योंकि उनका यह अनुमान होता है कि वे आवासीय कालोनियों में स्थान प्राप्त कर लेंगे और फिर उसे सस्ते किराये पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगे।

कुछ मामलों में आवासीय कालोनियों से शिकायतें मिली हैं और फिर बैंक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। बहुत से मामलों में उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह वहां से स्थानान्तरण कर लेंगे। ऐसे मामलों में बिजली और पानी के कनेक्शन दुबारा दे दिए गए हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि यह नितान्त गलत है और मैं इन आरोपों का स्पष्ट खण्डन करता हूं कि कुछ मामलों में एक वर्ष का समय बढ़ाया गया है तथा कुछ मामलो में नहीं। लोगों को पहली बार ही तीन महीने का समय बढ़ाया जाता है। इस मामले में किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं बरता जा रहा है।

Shri Shashi Bhushan : Sir, I want to know whether plots and constructed flats will be allotted to those commercial establishments to which notices have been issued so that they may run their business ? Secondly D.D.A. and Municipal Corporation of Delhi together have demolished the shops of little shop keepers and Grocers in South Delhi, Moti Nagar, Karol Bagh and other places and have uprooted them. Have you provided them with alternative accommodation ? There are about 5 lakhs such persons like little shop keepers, tailors, and advocates etc. who run their business in the residential houses. I want to know the definition of Commercial Establishments.

श्री० एच० के० एल० भगत : माननीय महोदय विशेषकर मोतीनगर का उल्लेख कर रहे हैं। मोती नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण न दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की है। वहां तो नगर निगम ने वह ही निर्माण गिराये हैं जिन्हें उसने अनधिकृत समझा है। यह एक भिन्न मामला है। इस प्रश्न का सम्बन्ध तो दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से ही है। यह अनधिकृत निर्माण है और उन्हें गिरा दिया गया है। अब जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, यहां ऐसे लोगों की बहुत भारी संख्या है, जो निजी मकानों में अपना व्यवसाय करते हैं। सभी मामलों में कार्यवाही नहीं की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही केवल कुछ ही आलीशान कालोनियों और बड़े प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रही है। जहां कुछ मामलों में भूमि दी गई है और दूसरे मामलों में उन्होंने कहा है कि वे अपना अलग प्रबन्ध कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि रिहायशी मकानों को व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाने के प्रयास किए गए हैं क्योंकि यहां अपेक्षाकृत कम किराये पर स्थान मिल जाते हैं। वह कम खर्च कर अधिक धन कमाना चाहते हैं। इस से उन कालोनियों में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। अतः इन उपबन्धों के अन्तर्गत कुछेक आलीशान कालोनियों में ही कार्यवाही की गई है।

श्री बसन्त साठे : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वकीलों, डाक्टरों, दर्जियों तथा अन्य छोटे लोगों, जो निजी व्यवसाय करते हैं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिन्हें नोटिस दिए गए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाता हूं कि अधिकांश लोगों के बड़े-बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, जैसे जलपान गृह, बैंक, प्राइवेट कम्पनियां, फर्म आदि और निर्यात व्यापार आदि। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वकील छोटा नहीं होता। तथापि उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। डाक्टरों के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ डाक्टर निजी रूप में नर्सिंग होम आदि चलाते हैं – ये प्रतिष्ठान वाणिज्यिक ही हैं। ऐसे मामले में कार्यवाही की गई है। किन्तु वे वैकल्पिक प्रबन्ध कर रहे हैं। सदस्य महोदय इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली का उचित तथा व्यवस्थित विकास आवश्यक है। जैसा मैं बता चुका हूं अधिकांशतः यह कार्यवाही कुछ ही कालोनियों तक ही सीमित है अन्य क्षेत्रों में नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

युवा महिला समिति से प्राप्त हुआ ज्ञापन

*521. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय युवा संघ की युवा महिला समिति का कोई ज्ञापन मिल है ;

(ख) यदि हां, तो युवा महिला समिति ने उस ज्ञापन में क्या-क्या मांग की हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) अखिल भारतीय युवा संघ की युवा महिला समिति ने 12 मार्च, 1976 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था, जिसमें इस देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के बारे में अनेक मांगें शामिल थीं। ये मांगें अनुबन्ध में दी गई हैं।

2. महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रश्न पर सरकार का मार्गदर्शन संसद् के दोनों सदनों द्वारा 1975 में पास किए गए लगभग समान संकल्पों द्वारा होता है। सरकार भारत में महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध समिति की रिपोर्ट पर गहराई से विचार कर रही है। एक अधिकार सम्पन्न समिति ने इनमें से बहुत सी सिफारिशों पर विचार कर लिया है और उनमें से कुछ पर सरकार ने कार्रवाई की है। अधिकार सम्पन्न समिति के विचार तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा समाज कल्याण विभाग की वर्ष 1975-76 की रिपोर्ट में दिया है (अनुबन्ध II)।

विवरण

अखिल भारतीय युवा संघ की युवा महिला समिति द्वारा सरकार को पेश किए गए अपने ज्ञापन में कीं गई मांगें

(1) आर्थिक समानता प्रदान करना और स्त्रियों में एक नया आत्मविश्वास जगाकर उन्हें पुरुषों के साथ समान भागीदार बनाना :—

(क) प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को अधिक अवसर प्रदान करना, विशेषरूप से लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में, स्वास्थ्य सेवाओं में, अध्यापन में विद्युत कारखानों में।

(ख) रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में 25 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रहें।

(ग) सब प्रकार का न्याय, असमानता, जो नौकरी पेशा स्त्रियों के साथ बरता जाता है, समाप्त हो और दोषी को कठोर दण्ड दिया जाये।

(घ) प्रसवपूर्व अवकाश का लाभ प्रत्येक क्षेत्र की नौकरी-पेशा महिलाओं को प्राप्त हो।

(ङ) समान कार्य के लिए समान वेतन वाली घोषित सरकारी नीति को दृढ़ता से लागू किया जाये।

(2) स्त्रियों को सामाजिक प्रगति में बढ़ावा देने के लिए और उनकी अपेक्षाकृत सार्थक भूमिका निभाने के लिए, विभिन्न मानवीय क्रिया-कलापों में भूमिका अदा करने के लिए तथा उच्चस्तरीय सामाजिक चेतना जगाने के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों के लिए एक विस्तृत पैमाने पर और व्यवस्थित रूप में निम्नलिखित उपाय किए जाएं :—

(क) वैधानिक अधिकारों को नियन्त्रित कराने के लिए कदम सरकार द्वारा उठाए जाएं, छात्राओं की प्राइमरी शिक्षा आवश्यक हो, प्राइमरी कक्षाओं में दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाये, पुस्तकें, स्टेशनरी और ड्रेस निःशुल्क दिये जाएं।

(ख) छात्राओं के लिए हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा निःशुल्क की जाए तथा उनके लिए एक वार्षिक एकमुश्त अनुदान, पुस्तक, स्टेशनरी तथा ड्रेस आदि, खरीदने के लिए दिया जाए।

(ग) जो छात्राएं विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करें तथा शोध-कार्यों में संलग्न हों उन्हें और अधिक छात्रवृत्तियां दी जाएं।

(घ) अधिक विशाल, जोरदार और सुनियोजित कदम उन क्षेत्रों में उठाएं जाएं जहां स्त्रियों में निरक्षरता है।

(ङ) कमजोर वर्गों के लिए बच्चों के शिशु पोषण का कार्यक्रम विस्तृत किया जाए, विशेष रूप से समस्त देश में कन्या शिशुओं के लिए।

(3) स्त्रियों को न्याय प्रदान करने के लिए तथा उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा देने के लिए और ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों को समान न्याय मिले शीघ्र ऐसे कदम उठाये जायें। इस सम्बन्ध में बहुत से कानूनों में संशोधन किया जाए और नये कानून बनाये जाएं। निम्नलिखित बातों को क्रियान्वित किया जाए :—

(क) बाल-विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाए।

(ख) सब प्रकार के विवाहों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो।

(ग) दहेज के लेने और देने को प्रक्षेय अपराध बनाया जाए और दहेज प्रथा को ही समाप्त किया जाए।

(घ) तलाक के मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं।

(ङ) महिलाओं को तलाक सम्बन्धी अधिकार पुरुषों के समान हों।

(ढ) विवाह विच्छेद होने के समय में परिवार की आय में स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हों।

(त) तलाक के समय बच्चों का संरक्षण करने का अधिकार स्त्री को प्राप्त हो।

(थ) संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में स्त्री को समान अधिकार दिया जाए।

(ज) स्त्रियों को सब क्षेत्रों में समान अधिकार देने के लिए जन-कानून समान सिविल संहिता बनाई जाए।]

(4) राजनीतिक क्षेत्र में अनिवार्य और प्रभावकारी भागीदारी के लिए, स्त्रियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें सुरक्षित की जाएं तथा सब निर्वाचित क्षेत्रों में जैसे लोक सभा, नगरपालिका, नगरपालिका कारपोरेशन, जिला-परिषद और पंचायत आदि में स्थान दिये जायें।

सरकार को यह नीति निर्धारित करनी चाहिए कि स्त्रियों की सर्वोच्च सरकारी कार्य-कारिणी जैसे पदों पर नियुक्त किया जाए जैसे कारपोरेशन कमेटी, पब्लिक सैक्टर कारपोरेशन तथा विदेशों को जाते समय प्रतिनिधिमंडल में नेता के रूप में।

(5) ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि स्त्रियों के लिए क्रीड़ा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक धन व्यय किया जाए।

Effect on the sale of wheat at Fair Price Shops due to arrival of new wheat in the Market

***522. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether sale of wheat at fair price shops has suffered a set back due to the arrival of new wheat crop in adequate quantity in the market ; and

(b) If so, the extent to which the sale of wheat supplied by Food Corporation of India for sale through fair price shops has decreased in the last two months ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasahab P. Shinde : (a) and (b) The new Rabi crop has just started arriving in the market. However, the off take of wheat from the public distribution sytem has gone down on account of easy availability of foodgrains at reasonable prices in the open market. The offtake of wheat from the Central Pool during the month of February and March, 1976 was 3.83 lakh and 3.60 lakh tonnes respectively, as compared to 6.92 lakh and 6.73 lakh tonnes respectively in the corresponding period last year.

छात्र मार्गदर्शन सैल

*523. **श्री एस० आर० दाभाणी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय और उनसे सम्बद्ध कालेजों में स्व-नियोजन, आगे अध्ययन करने आदि के बारे में छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में उन में जानकारी का प्रचार करने के लिए छात्र मार्गदर्शन सैल में व्यक्ति रखने की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो की सर्वप्रथम देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के एक अभिन्न भाग के रूप में 1957-58 में स्थापना की गई थी। 1971 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय रोजगार सूचना-एवं-सलाहकार व्यूरो और कालेजों में रोजगार सलाहकार यूनिटें खोले/सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना स्वीकार किया। विश्वविद्यालय रोजगार सूचना-एवं-सलाहकार व्यूरों को पूर्ण मालिक कर्मचारियों के रूप में और कालेजों की रोजगार सलाहकार यूनिटों को अध्यापकों के मानदेय के रूप में सहायता सहित विभिन्न विषयों के लिए आयोग द्वारा सहायता दी जाती है।

2. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना-एवं-सलाहकार व्यूरो के मुख्य कार्य ये हैं :—उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सूचना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना ; विश्वविद्यालयों के छात्रों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देना, व्यावसायक जानकारी तथा रोजगार सहायता ; और व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सलाह और परामर्श देना।

3. कालेजों में रोजगार सलाहकार यूनिटें विश्वविद्यालय रोजगार सूचना-एवं-सलाहकार ब्यूरो तथा अन्य साधनों से प्राप्त व्यावसायिक तथा रोजगार मार्केट संबंधी सूचना का प्रसार करती है और व्यूरो के सहयोग से रोजगार, शैक्षिक तथा व्यावसायिक अभिरूचि इत्यादि के बारे में पात्र छात्रों की सहायता करती हैं।

गंडक परियोजना

*524. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गंडक परियोजना के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(ख) रबी और खरीफ के खेती के अन्तर्गत अलग-अलग गंडक परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होने की संभावना है ; और

(ग) गंडक परियोजना के पूरा होने से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को कितना लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक परियोजना की कुल सिंचाई शक्यता 14.84 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 1974-75 के अन्त तक 6.58 लाख हेक्टेयर की शक्यता का सृजन कर लिया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में पांचवीं योजना के अन्तिम चार वर्षों के दौरान वृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 5 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का सृजन करना परिकल्पित है। इस लक्ष्य में गण्डक परियोजना का योगदान लगभग 3.15 लाख हेक्टेयर का होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 1975-76 के दौरान दोनों राज्यों में 60,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता सृजित की गई है।

गण्डक परियोजना के उत्तर प्रदेश वाले वाले भाग का पांचवीं योजना के अन्त से पूर्व ही पूर्ण हो जाने की संभावना है। परियोजना का बिहार वाला भाग छठी योजना के दौरान पूर्ण होगा।

(ख) और (ग) बिहार उत्तर प्रदेश ओर नेपाल में रबी और खरीफ फसलों के अन्तर्गत सिंचित किया जाने वाला संभावित क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

(लाख हेक्टेयर में)

	बिहार	उत्तर प्रदेश	नेपाल
रबी	4.19	0.886	0.23 (लगभग)
खरीफ (इसमें गन्ना भी शामिल है)	7.33	2.434	0.30 (लगभग)
योग	11.52	3.320	0.53

इस परियोजना के अन्तर्गत गंडक बराज के माध्यम से नेपाल को 10,000 किलोवाट विद्युत का लाभ होगा और नौवहन सुविधायें भी मिलेंगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास का आरक्षण

*530. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1500 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जायेंगे ; और

(ग) कुल क्वार्टरों में से कितने प्रतिशत क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग आरक्षित किए जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) 1975-76 के दौरान 1,726 मकानों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है।

(ख) तथा (ग) टाईप I, II, III तथा IV के मकानों के पात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एक अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जो उनके लिए आरक्षित कोटे में से आवंटन के इच्छुक होते हैं। इनके लिए टाईप I तथा II में स्पष्ट रिक्तियों का 10 प्र० श० का तथा टाईप III तथा IV में स्पष्ट रिक्तियों का 5 प्र० श० का आरक्षण है। आरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 2:1 के अनुपात में आवंटन किए जाते हैं। यदि सभी क्वार्टरों को सामान्य पूल में रखा जाए तो इन स्वीकृत प्रतिशतताओं के आधार पर इन नये क्वार्टरों में से 128 क्वार्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगें।

मत्स्य उद्योग के लिए विश्व बैंक की सहायता

*531. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में मत्स्य उद्योग के विकास में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक ने पहले पहले ही दो मिशन, एक तो परियोजनाओं का पता लगाने के लिए और दूसरा मिशन मत्स्य बंदरगाहों, तटवर्ती सुविधाओं और मत्स्य नौकाओं के साथ-साथ समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना स्थापित करने की दृष्टि से कुछ चुने हुए स्थलों के संबंध में परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार करने के लिए भेजे हैं। अब यह आशा है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैंक का एक मूल्यांकन मिशन शीघ्र ही भारत आएगा।

अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का मूल्य

*532. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न मेक वाले कितने ट्रैक्टर खरीदे गए हैं अथवा खरीदे जाने हैं व उनका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या आयात करने वाली फर्मों को बहुत अधिक कमीशन देने के कारण कुछ ब्रांड के ट्रैक्टरों के मूल्यों में उनकी डिलीवरी के समय काफी वृद्धि हो गई है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ट्रैक्टरों के मूल्य निर्माताओं/डीलरों तथा कृषि उद्योग निगमों के बीच हुए सप्लाई समझौते में उल्लिखित मूल्यों तक समिति करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय काजू विकास परिषद्

534. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय काजू विकास परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में किए गए विचार-विमर्श की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मोटी रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय काजू विकास परिषद् की बैठक 30 मार्च, 1976 को कोचीन में हुई थी। इस परिषद् ने एक विस्तृत कार्य-सूची पर विचार-विमर्श किया और काजू सम्बन्धी विभिन्न विकास कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। परिषद् ने काजू का अनुसंधान को मजबूत बनाने, कच्ची गिरी का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता, विकास कार्यक्रमों, विपणन और काजू के मूल्य निर्धारण का तर्कसम्मत बनाने के सम्बन्ध में कई सिफारिसें की हैं।

इस बैठक की कार्यवाही के मसौदे को सरकार अंतिम रूप दे रही है।

रोजगार संबंधी नीतियों के बारे में राष्ट्रमंडलीय गोष्ठी

*538. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार संबंधी नीतियों के बारे में हाल ही में चण्डीगढ़ में एक राष्ट्रमंडल गोष्ठी हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रमंडल युवक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, उन्होंने, अपने एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय युवक कार्य केन्द्र, चण्डीगढ़ में रोजगार संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों पर एक दक्षिण एशिया गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वस्तुओं के मूल्य कम हो जाने के कारण कृषकों को राहत दिया जाना

*539. **श्री एस० सी० सामंत :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सप्ताहों में अधिकांशतः उन्हीं वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं जिनका उत्पादन कृषकों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आने के कारण कृषकों को राहत देने के लिए प्रयास करने हेतु राज्यों से परामर्श किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) यह सच है कि गत लगभग एक वर्ष के दौरान मुख्यतः कृषि जिन्सों के मूल्यों में गिरावट आई है। तथापि यह बात ध्यान में रखी जा सकती है कि 1972–74 की मुद्रा स्फीति की अवधि के दौरान जिन्सों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई थी। उदाहरण के तौर पर सितम्बर, 1972 के अंत और सितम्बर, 1974 के अन्त तक की अवधि के बीच खाद्यान्नों के थोक मूल्य के सूचकांक 73.5 प्रतिशत और तिलहनों के सूचकांक 86.4 प्रतिशत तक बढ़े। मूल्यों में हाल में आई गिरावट, जो मुख्यतः खाद्यान्नों तथा तिलहनों तक सीमित है, मूल्य स्थिति सामान्य होने की द्योतक है, जो कि मुद्रा स्फीति की अवधि के दौरान खराब हो गई थी।

2. भारत सरकार तथा राज्य सरकार कृषि जिन्सों के मूल्य स्थिति के संबंध में बार-बार एक दूसरे से सम्पर्क रख रहे हैं। सरकार उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए कृषि जिन्सों के मूल्यों पर लगातार निगाह रख रही है। अधिप्राप्ति मूल्यों पर प्रमुख फसलों, अर्थात् धान/चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और गेहूं के मूल्यों को समर्थन देने की नीति राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से जारी रखी जा रही है। उत्पादकों के लाभ की दृष्टि से केन्द्रीय पूल के लिए चावल तथा गेहूं की वसूली से संबंधित उपयुक्त बोनस की योजनाएं भी चालू हैं। कपास तथा जूट के संबंध में न्यूनतम सहाय्य मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जबकि गन्ना के संबंध में चीनी के कारखानों द्वारा अदा किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य निर्धरित हैं।

3. कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो अन्य कदम उठाये हैं वे निम्नलिखित हैं :—

1. वर्ष 1976–77 के मौसम के लिए जौ तथा चना के लिए भी सहाय्य मूल्य निर्धारित किये गए हैं :
2. उर्वरकों के मूल्य, जो कृषि उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आदान जुलाई, 1975 से तीन बार कम कर दिया गया है; और
3. राष्ट्रीय बीज निगम ने प्रमाणित बीजों के मूल्य भी कम कर दिये गये हैं।

4. खरीफ की अच्छी फसल एवं वर्ष 1975-76 में रबी की अच्छी फसल की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारों को यह बात सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिप्राप्ति मूल्यों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाने वाली खाद्यान्नों की सारी मात्रा की खरीद सरकारी एजेन्सियों द्वारा की जाए। स्थिति का सामना करने के लिए खरीद की व्यवस्था मजबूत बनाई गई है। खरीद खाद्यान्नों के संबंध में सरकार द्वारा की गई वसूली 55 लाख मीटरी टन से अधिक हो गई है, जो कि अब तक एक रिकार्ड है।

भारत और हंगरी के बीच सांस्कृतिक समझौता

***540. श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के बीच मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह में एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) भारत ने मार्च, 1962 में हंगरी के साथ एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये। इस करार के अनुसरण में नई दिल्ली में 26 मार्च, 1976 को 1976-78 वर्षों के लिए सातवें भारत-हंगेरियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें इस करार की मुख्य बातें शामिल की गई हैं।

विवरण

1976—78 के लिए भारत हंगेरियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की मुख्य बातें

1. दोनों पक्षकार अपने-अपने देशों के विश्वविद्यालयों के विभागों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों के बीच द्विपक्षी सम्पर्कों और आदान प्रदानों को प्रोत्साहित और विकसित करेंगे।

2. आर्थिक आयोजना और आर्थिक प्रबन्ध भूमि विज्ञान और अणु-जीव विज्ञान पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी जिनमें प्रत्येक पक्षकार के 3-4 विशेषज्ञ भाग लेंगे।

3. दोनों पक्षकार वैज्ञानिक सम्पर्कों, अध्ययन और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्रोफेसरों, अध्यापकों और विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहां भेजेंगे।

4. औषध विज्ञान के क्षेत्र में, दोनों पक्षकार अनुसंधान और अध्ययन सहयोग देंगे तथा तंत्रिका-रसायन, रेडियो जीव विज्ञान, कैन्सर अनुसंधान, परिजीवि विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में विशेषज्ञों और अनुसंधान कर्त्ताओं का आदान-प्रदान करेंगे।

5. कला और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों पक्षकार कला प्रदर्शनियों, नृत्य/संगीत मण्डलियों, थियेटर विशेषज्ञों, लेखकों, कवियों और पुरातत्वों का आदान-प्रदान करेंगे।

6. दोनों देशों के राष्ट्रीय संग्रहालय और पुस्तकालय कला वस्तुओं, पुस्तकों, प्रकाशनों और ग्रन्थ-सूचियों के आदान-प्रदान में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

7. भारत और हंगरी के रेडियो और टेलिविजन संगठन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खेल सम्बन्धी कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

8. दोनों पक्षकार एक दूसरे के देश म फिल्म समारोहों का आयोजन करेंगे।

वियतनाम से स्वदेश लाये गये भारत मूलक व्यक्ति

***541. श्री एच० ए० मुरुगनन्तम : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के कुछ परिवार, जो भारतीय हैं परन्तु जो काफी समय से वियतनाम में बसे हुए थे, वियतनाम से स्वदेश लाये गये हैं और उन्हें देश के कुछ राज्यों में बसाया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने उनके उचित पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। इस तरह के 591 प्रत्यावासी देश में आए हैं। 33 व्यक्तियों के 4 परिवारों को छोड़कर, जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी, सभी परिवार अपने मूल स्थानों को चले गए हैं जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु में तथा कुछ पंजाब और महाराष्ट्र में चले गए हैं।

(ख) और (ग) : उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजना की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है।

ढुलाई तथा भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि

2498. श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री ढुलाई तथा भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि के बारे में 8 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा बताया गया है कि वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान ढुलाई तथा भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि का प्रतिशत 0.88, 0.81 और 1.19 रहा है तो यह हानि खाद्यान्नों की मात्रा धन के रूप में कुल कितनी है;

(ख) (एक) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों और (दो) किराये पर लिये गये गैर-सरकारी गोदामों में हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किराए पर लिये गये गोदामों में होने वाली हानि दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए समुद्री नुकसान समेत मार्ग में तथा भण्डारण नुकसान के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मूल्य (रुपये करोड़ में)
1972-73	1.94	17.90
1973-74	2.04	23.46
1974-75	2.82	39.06

(ख) समूचे संगठन के लिए अपने तथा किराये के गोदामों में नुक्सान का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता है । इस सूचना को संकलन करने में बहुत परिश्रम तथा समय लगेगा ।

(ग) किराये के गोदामों में नुक्सान रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) किराये पर लिये जाने वाले गोदामों की जांच की जाती है और तकनीकी दृष्टि से उचित परिक्षण के लिए उपयुक्त गोदाम ही किराये पर लिये जाते हैं ।

(2) गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के जल की रिसन को रोकने के लिए मरम्मत की जाती है ।

(3) पानी के रिसने और भूमिगत जल से होने वाली क्षति की रोकथाम करने के लिए गोदाम में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए आवश्यक निभार सुलभ किए जाते हैं ।

(4) कीटाणुओं, चूहों तथा पक्षियों से क्षति को रोकने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक कीट नियंत्रण उपाय किये जाते हैं ।

(5) नियतकालिक निरीक्षण और खाद्यान्नों की किस्म बनाए रखने के लिए योग्यताप्राप्त और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाता है ।

डेरी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

2499. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान डेरी विकास योजनाओं के लिये अपनी एजेंसियों अथवा सहकारी संघों के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता दी गई है :

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बेरोजगार युवकों द्वारा आरम्भ की गई अथवा की जाने वाली पृथक-पृथक योजनाओं के लिए भी यह सहायता दिये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान डेरी विकास हेतु सम्पूर्ण राज्य योजना के लिए एक मुश्त ऋण और अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है । अतः राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता किसी विशेष परियोजना या कार्यक्रम के लिए नहीं है । राज्यों ने डेरी विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उपयोग या तो विभागीय तौर पर अथवा राज्य डेरी निगमों और राज्य सहकारी डेरी संघों/यूनियनों के जरिए किया है । तथापि भारतीय डेरी निगम ने जो कि भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है गत तीन वर्षों में 618 विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना (आपरेशन फ्लड) के अन्तर्गत आने वाले राज्यों को डेरी विकास के लिए ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है । जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मण्डल हैं, उनके मामले में वार्षिक योजना की अधिकतम सीमा के अनुसार एक मुश्त धनराशि निर्मुक्त की जाती है जिसमें अन्य कार्यक्रमों के साथ डेरी विकास भी शामिल होता है । जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमण्डल नहीं हैं उनके लिए धनराशि, की गई बजट व्यवस्था के आधार पर उपलब्ध की जाती है ।

(ख) चूंकि केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को एक मुश्त ऋण और अनुदान के आधार पर दी जाती है, अतः डेरी विकास के लिए ब्यौरा पृथक रूप से नहीं दिया जा सकता है। भारतीय डेरी निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को 618 विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना (आपरेशन फलड) के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है।

(लाख रुपयों में)

1973-74 .	1192.29
1974-75 .	744.83
1975-76 .	1048.82

(ग) डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

धान का स्टाक जमा हो जाने के कारण धान की धीमी वसूली

2500. **श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जिलों में वसूली केन्द्रों में धान का स्टाक जमा हो जाने के कारण धान की आगे की वसूली बहुत धीमी है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप धान की बिक्री के इच्छुक किसान इसकी बिक्री नहीं कर सकते; और

(ग) रक्षित भण्डारों अथवा किन्हीं अन्य केन्द्रीय गोदामों में वहां पर जमा हुए स्टाक को ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वसूली केन्द्र ठीक ढंग से कार्य कर सकें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) अधिशेष क्षेत्रों में अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान/चावल का अधिप्राप्त स्टाक राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में उपयुक्त भण्डारण केन्द्रों को लगातार भेजा जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय पूल के लिए दिए गए चावल को भी अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है।

Housing Scheme by HUDCO

2501. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) number of housing schemes undertaken by the Housing and Urban Development Corporation in the various States in the country in 1975-76; and

(b) amount of loans advanced to each of the States for these schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat) :

(a) and (b) : No housing scheme was directly undertaken by the Corporation in 1975-76. The number of housing schemes and the amount of loans sanctioned and released by the Corporation to the various States during the year are given in the enclosed statement.

Statement

Name of the State Government	No. of housing scheme sanctioned in 1975-76	Loan Sanctioned for the schemes (Rs. in lakhs)	Amount released (Rs. in lakhs)
1	2	3	4
Andhra Pradesh	..	..	..
Assam	2	121.65	23.10
Bihar	3	36.48	..
Gujarat	18	493.70	11.87
Haryana	19	477.25	84.00
Himachal Pradesh	7	79.40	15.35
Jammu & Kashmir	—	..	..
Karnataka	4	122.35	
Kerala	..	..	
Madhya Pradesh	18	546.70	41.20
Maharashtra	5	243.17	..
Orissa	3	115.03	27.52
Punjab	4	374.22	80.05
Rajasthan	13	633.94	61.07
Tamil Nadu	30	669.92	82.80
Uttar Pradesh	18	843.65	25.75
West Bengal	6	453.395	100.615
TOTAL	150	5210.855	533.325

मध्य प्रदेश में मत्स्य केन्द्रों के लिये विश्व बैंक से सहायता

2502. **श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में नये मत्स्य केन्द्र स्थापित करने के लिए धन देने की पेशकश की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : जी नहीं ।

बिड़ला इंस्टीट्यूट ग्राफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस पिलानी का बजट

2503. श्री शिवनाथ सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लिये बिड़ला इन्स्टीट्यूट ग्राफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस पिलानी का बजट क्या था; और

(ख) इन वर्षों के दौरान धन प्राप्ति के साधन क्या थे और व्यय किन मदों पर किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) बिड़ला इन्स्टीट्यूट ग्राफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस पिलानी का वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 का बजट इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1973-74	1974-75	1975-76
ग्रावर्ती खर्च	84.52	95.38	103.57
ग्रनावर्ती खर्च	3.50	19.89	4.00
कुल खर्च . . .	88.02	115.27	107.57
ट्यूशन शुल्क ग्रादि से कम ग्राय . . .	47.12	44.42	42.90
कुल बजट—जोड़	40.90	70.85	64.67

(ख) ग्राय के निम्नलिखित साधन हैं :—

(i) बिड़ला समूह तथा ग्रन्य संस्थाग्रों द्वारा चन्दा और दान

(ii) निवेशों पर लाभांश (डिविडेंट) तथा ब्याज

(iii) ट्यूशन शुल्क

(iv) फोर्ड फाउंडेशन ग्रनुदान

(v) विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा विकासात्मक ग्रनुदान ।

खर्च की मदें निम्नलिखित हैं

(i) स्टाफ के वेतन तथा भत्ते

(ii) वर्कशाप तथा प्रयोगशाला

(iii) खेल

(iv) परीक्षाएं

(v) पुस्तकालय

(vi) छात्रवृत्तियां ग्रधिछात्रवृत्तियां पूरी फीस माफी तथा छात्रों को सहायता

(vii) बैठकें

(viii) मेडिकल खर्च

(ix) अतिथि प्रोफेसर

(x) मरम्मत तथा अनुरक्षण

(xi) डाक खर्च तथा आकस्मिक खर्च

(xii) बिजली तथा पानी

(xiii) रजिस्ट्रेशन तथा दाखिले

(xiv) छात्रवास खर्च

(xv) अनुसंधान खर्च

(xvi) विविध खर्च

राज्यों में पुराने भवनों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

2504. **श्री भागीरथ भंवर : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय शासन के अधिकांश कार्यालय या तो किराये के मकानों में या बहुत पुराने मकानों में हैं और सरकार को उनकी निर्माण लागत से भी अधिक उनके किराये व उनकी मरम्मत आदि पर व्यय करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां अपने कार्यालय भवनों का निर्माण करना चाहती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय आवास समिति

2505. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास समिति निर्धारित करने के लिये गठित कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Educational Centres for Handicapped and Blind Persons

2506. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture**, be pleased to state :

(a) States in which educational Centres for handicapped and blind persons are being run at present and the amount of grant given to these institutions by the Central Government during 1973, 1974 and 1975; and

(b) number of handicapped and blind persons who have been provided employment by Central Government in their establishments and in the private establishments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) According to the list available in the Department of Social Welfare, all States except Maghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura have some institutions for the handicapped. The amounts given by the Department of Social Welfare to institutions for the handicapped in 1973, 1974 and 1975 are indicated below :—

Year	Amount Rs.
1973	17,76,488
1974	33,01,121
1975	52,59,325

(b) During these three years 3,950 physically handicapped persons were placed in employment. Of these, 146 were blind. Information about the number placed separately in Central Government and private establishments is not available.

गन्ने की खेती पर लागत तथा उसकी पैदावार

2507. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में राज्यवार गन्ने की खेती पर प्रति एकड़ कितनी लागत आई और उसकी औसत पैदावार कितनी हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1973-74 के दौरान गन्ने के अध्ययन का काम हाथ में किया गया था। 1974-75 के दौरान यह अध्ययन महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में दुबारा किया गया था। महाराष्ट्र और पंजाब में 1973-74 के दौरान नमूना वाली जोतों पर उगाए गए गन्ने की खेती/उत्पादन की लागत सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण पूरा होने वाला है और इन राज्यों में गन्ने की खेती/उत्पादन की लागत पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 1973-74 के आंकड़ों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। 1974-75 के आंकड़ों को सम्बन्धित राज्यों में व्यापक योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां अभी संकलित कर रही हैं। इन आंकड़ों का एक भाग प्राप्त हो गया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने की प्रति हैक्टार राज्यवार औसत उपज का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1972-73 से 1974-75 तक प्रमुख राज्यों में गन्ने (गुड़) की औसत उपज ।

(किलोग्राम/हैक्टार)

	1972-73	1973-74	1974-75
आन्ध्र प्रदेश	8248	8287	8280
असम	3927	3829	3752
बिहार	3539	3715	3957
गुजरात	7415	5016	4900
हरियाणा	4412	3961	3667
कर्नाटक	8117	7813	7175
केरल	5128	5400	5674
मध्य प्रदेश	2640	2668	3024
महाराष्ट्र	8982	8592	10001
उड़ीसा	6518	5868	6023
पंजाब	4576	5277	5000
राजस्थान	3976	4841	4232
तमिलनाडु	8687	10581	8489
उत्तर प्रदेश	4337	4127	4107
पश्चिम बंगाल	5058	5282	5800
अखिल भारत	5206	5244	5165

क्वार्टरों के आवंटन में विवर्जित करने की अवधि को नियमित करने संबंधी नियम

2508. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारियों को (एक) अपने क्वार्टर आगे किराये पर देने और (दो) क्वार्टरों का आवंटन स्वीकार न करने के कारण (1) छह महीने से अधिक समय के लिए, (2) एक वर्ष से अधिक के लिए और (3) डेढ़ वर्ष से अधिक के लिए प्रत्येक टाइप में अलग-अलग उपरोक्त दोनों मामलों में सरकारी आवास के आवंटन से विवर्जित किया गया है;

(ख) क्या क्वार्टरों को आगे किराये पर दिये जाने और आवंटन स्वीकार न करने के कारण की अवधि नियमित करने के बारे में कोई विशिष्ट नियम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस कारण की अवधि बीत जाने के बाद उन व्यक्तियों को श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उप-किरायेदारी के मामले में नियमों के अनुसार विवर्जित किया जा सकता है जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं है । आवंटन नामंजूर करने के मामले में, जो कर्मचारी सरकारी मकान का आबंटी नहीं है उसे एक वर्ष के लिए और ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अपने से कम टाइप के सरकारी मकान के दखल में है, उसे आबंटन वर्ष की शेष अवधि के लिए विवर्जित किया जाता है।

(ग) पुनः आवेदन करने पर ही ऐसे कर्मचारियों के नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाते हैं ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में उप-किरायेदारी के कारण सरकारी मकान (टाइपवार) से विवर्जित सरकारी कर्मचारियों की संख्या का विवरण

टाइप	विवर्जित कर्मचारियों की संख्या		
	एक वर्ष के लिए	दो वर्ष के लिए	तीन वर्ष के लिए
I	9	18	86
II	3	2	42
III	2	1	4
IV	—	—	3
V	—	—	2
VI	—	—	—
VII	—	—	—
VIII	—	—	—
जोड़	14	21	137

आबंटन नामंजूर करने के कारण विवर्जित कर्मचारियों की संख्या

टाइप	एक वर्ष के लिए	एक वर्ष से अधिक के लिए
I	—	1131
II	889	30
III	504	402
IV	1450	608
V	31	3
VI	—	—
VII	—	—
VIII	—	—
होस्टल	287	—
जोड़	3,161	2,174

बीहड़ों में खेती योग्य बनाई गई भूमि का वितरण

2509. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बीहड़ भूमि उद्धार बोर्ड की सिफारिश पर किसानों की बढ़ती ई जनसंख्या में वितरण के लिये अधिक कृषि भूमि उपलब्ध कराने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये चार प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) राज्यवार प्रगति नीचे दी गई है :—

(क्षेत्र हैक्टार में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सुधारा गया क्षेत्र		अलाट किया गया क्षेत्र
		कृषि भूमि	गैर-कृषि भूमि	
1.	उत्तर प्रदेश	1194.57	521.50	1127.99
2.	गुजरात	*1709.00	690.00	—
3.	राजस्थान	547.20	1000.00	12.82 (नीलाम द्वारा)— 166.40 (पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है)
4.	मध्य प्रदेश . . .	692.00	68.00	1.50

*इसमें से 1319 हैक्टार भूमि गैर-सरकारी व्यक्तियों के कब्जे में है ।

River Water

2510. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether Government propose to bring "river water" in the Union List ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : There is no proposal to bring river water to the Union List.

तमिलनाडु में पाठ्य-पुस्तकों की जांच करना

2511. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में पाठ्य-पुस्तकों की जांच करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) : तमिल नाडु सरकार ने तमिल नाडु पाठ्य-पुस्तक सोसायटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों की जांच करने के संबंध में निर्णय ले लिया है। पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण करने के लिए, उन्होंने चार सदस्यीय, एक समिति का गठन किया है। पुनरीक्षण के शीघ्र पूरे होने की आशा है। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय, शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का पाठ्य-पुस्तक विभाग देश के विभिन्न भागों में प्रयोग की जा रहीं पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन के कार्य को अपने सामान्य कार्य के रूप में करता है। उन्होंने तमिल नाडु पाठ्य-पुस्तक सोसायटी द्वारा तैयार की गई पाठ्य-पुस्तकों का भी मूल्यांकन किया है। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों का आवश्यक कार्यवाई के लिए दी गई हैं।

पूर्ण गेहूं के आटे की डबल रोटी

2512. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण गेहूं के आटे की बनी डबलरोटी अधिक पौष्टिक होती है और पालिश किये गेहूं से बनी डबलरोटी की तुलना में सस्ती होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त डबलरोटी के सम्बन्ध में कोई योजना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पूर्ण गेहूं के आटे की बनी डबलरोटी अधिक पौष्टिक होती है और अपेक्षाकृत कुछ सस्ती होगी। माडर्न बेकरीज ने परीक्षण के तौर पर इसका उत्पादन किया है। दिल्ली में 'ब्राउन' डबलरोटी शुरू करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

वर्ष 1973 से 1976 तक चालू किये गये, नये चीनी कारखाने

2513. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में वर्ष 1973-74 और 1975-76 में कितने नये चीनी कारखाने लगाये गये;

(ख) इन कारखानों में संयंत्र मशीनों तथा अन्य सिविल कार्यों पर पृथक-पृथक कितनी लागत आयी और प्रत्येक कारखाने की क्षमता क्या है; और

(ग) 6 दिसम्बर, 1975 के आदेश के अन्तर्गत सरकार द्वारा नये कारखानों को दिये जाने वाले नये प्रोत्साहनों से कौन-कौन से कारखाने लाभान्वित हुये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चीनी वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक के दौरान 20। इन फैक्ट्रियों के नाम और प्रत्येक की क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-10701/76]

(ख) फैक्ट्रियों से सूचना मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कोई भी दावा अब तक मंजूरी की अवस्था में नहीं पहुंचा है।

Financial Assistance to States for Promotion of Sports

***2514. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government give financial assistance annually to the State Governments for the promotion of sports in the States ; and

(b) if so, amount given to each State for this purpose during 1973-74, 1974-75 an 1975-76 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) & (b) Under the scheme of 'Grants to State Sports Councils', the Central Government, on the recommendations of the All India Council of Sports, render financial assistance to the State Governments/State Sports Councils, on a matching basis, for improvement of certain sports facilities. The Government are also implementing a scheme under which financial assistance, on a matching basis, is given for the development of playfields.

A statement showing financial assistance rendered to the various States under the said schemes during 1973-74, 1974-75 and 1975-76 is attached.

Statement

S. No.	Name of State	1973-74 (Rs.)	1974-75 (Rs.)	1975-76 (Rs.)
1.	Andhra Pradesh	38,000	35,000	—
2.	Assam	32,072	..	25,000
3.	Bihar	..	20,000	50,000
4.	Gujarat	27,000	45,000	85,000
5.	Himachal Pradesh		13,025	
6.	Jammu & Kashmir			30,000
7.	Karnataka	20,490	5,000	25,000
8.	Kerala	21,000	20,734	
9.	Madhya Pradesh	25,000	28,000	1,64,775
10.	Maharashtra	84,000	64,500	65,000
11.	Meghalaya	..	..	4,500
12.	Orissa	1,500	15,000	30,000
13.	Punjab	25,000	..	1,00,000
14.	Rajasthan	15,000	70,000	40,714
15.	Tamilnadu	6,526	97,500	42,344
16.	Uttar Pradesh	37,321	50,000	56,017
17.	West Bengal	50,000	10,00,000	

Foreign Branches of Department of Supply

2515. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) number of branches opened by the Department of Supply in foreign countries, country-wise, and the quantum of goods purchased by these branches for India during 1973, 1974 and 1975 ; and

(b) the total expenditure being incurred on these offices annually ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R.N. Mirdha) : (a) There were two purchase Missions, namely, India Supply Mission, London and India Supply Mission, Washington in U.K. and U.S.A. under the control of this Department upto 31-3-1975. The control of these Missions has now been transferred to the Ministry of External Affairs with effect from 1-4-1975. The quantum of goods purchased by these Missions during 1973-74 and 1974-75 is given below :

Value of purchases made

(Rs. in crores)

	ISM, London	ISM, Washington
1973-74 .	91.25	278.27
1974-75 . (Provisional)	174.19	944.40

There is also an Inspection Cell of the Directorate General of Supplies and Disposals, located in Tokyo, Japan. But it does not make any purchase.

(b) The annual expenditure incurred on the two Missions and the Inspection Cell during the last five years is as under :

Total expenditure incurred on Missions (including CAO's office, Washington) and Inspection Cell, Japan.

	Rs.
1970-71	150,23,000
1971-72	145,06,000
1972-73	133,92,000
1973-74	111,66,000
1974-75	141,35,000

गेहूं उत्पादन का लागत-विश्लेषण

2516. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में गेहूं उत्पादन का कोई लागत-विश्लेषण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1970-71 से 1974-75 तक के वर्षों के दौरान पंजाब में प्रति हैक्टार खेती की लागत, प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत और गेहूं के सम्बन्धित आंकड़ों के, जो प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन संबंधी वृहत् योजना के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला एक बिवरण संलग्न है।

विवरण

1970-71 से 1974-75 तक की अवधि के दौरान पंजाब में प्रति हैक्टर खेती की लागत प्रति हैक्टर उपज और गेहूं के प्रति क्विटल उत्पादन की लागत के अनुमान

	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974-75*
प्रति हैक्टर खेती की लागत (रुपये)					
ए 1	815.54	957.96	873.61	1105.92	1355.48
ए 2	858.97	1020.10	960.64	1209.04	1433.32
बी	1491.13	1597.69	1517.77	1863.16	2425.44
सी	1654.59	1769.25	1650.54	2037.14	2668.65
प्रति क्विटल उत्पादन की लागत (रुपये)					
ए 1	27.07	29.02	32.81	36.88	39.12
ए 2	28.44	31.37	36.65	41.08	42.00
बी	54.34	53.22	61.24	67.33	78.75
सी	61.04	59.71	67.10	74.34	87.76

टिप्पणी —1. प्रति क्विंटल उत्पादन लागत प्रति हैक्टार खेती की लागत (उपोत्पाद का निवल मूल्य को प्रति हैक्टार उपज से विभाजित करके प्राप्त किया गया है।

2. लागत ए 1 अदा की गई लागत अथवा सामग्री सम्बन्धी आदानों, भाड़ा पर लिया गया मानव क्षम, बैल तथा मशीन क्षम (भाड़ा तथा स्वयं दोनों), आदि पर नक़द एवं वस्तु के रूप में किये गये खर्च से सम्बन्धित है। जब पट्टे पर ली गई भूमि का लागत ए 1 लागत में जोड़ा जाता है तो ए 2 लागत, अर्थात् एक काश्तकार की अदा की गई लागत निकलती है। लागत 'बी' स्वामित्व वाली भूमि पर लगाए गए लगान संबंधी मूल और स्वामित्व वाली निर्धारित पूंजी के ब्याज को लागत ए 2 में जोड़कर निकाली जाती है और कुल लागत, अर्थात् लागत 'सी' परिवारिक क्षम के मूल्य को जोड़कर निकाली जाती है।

3. लागत के उपर्युक्त अनुमान, इस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रमुख फसलों की खेती की लागत की अध्ययन संबंधी वृहत् योजना के अंतर्गत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर है।

* अनंतिम।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर मक्का और बाजरे की खरीद

2517. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने कितने राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर मक्का और बाजरे की खरीद की है ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1975 में और 1976 में अब तक कुल कितनी मात्रा में मक्का और बाजरे की खरीद की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मूल्य साहाय्य उपाय के रुप में भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में अधिप्राप्ति मूल्यों पर, इन अनाजों की खरीदारी कर रहा है।

(ख) 1975 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का और बाजरा की कुल अधिप्राप्ति क्रमशः 19208 मीटरी टन और 81 मीटरी टन की गई थी।

1976 में 22 अप्रैल, 1976 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने 11889 मीटरी टन मक्का और 234 मीटरी टन बाजारा खरीदा है ।

भारतीय वन अधिनियम में संशोधन

2518. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने हेतु संकल्प प्रारूप स्वीकार करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) यह संकल्प अब तक हरियाणा और बिहार विधान मंडलों ने अपना लिया है । मेघालय, मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री अपने राज्य की विधान सभाओं में इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। गुजरात, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्री इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने माडल भारतीय वन अधिनियम को बनाने का सुझाव दिया है, जिसे राज्य स्थानीय परिस्थितियों को उपयुक्तता के अनुसार संशोधन कर के अपना सकते हैं। अन्य राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Effect of Fertilisers on Foodgrains, Vegetables and Fruits

2519. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a test to find out the effect on health of the foodgrains, vegetables and fruits grown by using fertilizers;

(b) whether commodities produced by using fertilizers have proved to be detrimental to health ; and

(c) measures proposed to be taken by Government to remedy it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No tests have been carried out by the Government to find out the effect on the health of the foodgrains, vegetables and fruits grown by using fertilizers.

(b) Experiments carried out elsewhere do not show that the commodities produced by using fertilizers are detrimental to health.

(c) The question does not arise.

केरल और उड़ीसा राज्यों में समुद्री कटाव

2520. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और उड़ीसा राज्यों में समुद्री कटाव एक स्थानिक क्रिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निष्कर्ष के भौतिक आधार क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो समुद्र से लगने वाले सभी राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री कटाव संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) भारत का समुद्र तट लगभग 5,700 किलोमीटर की लम्बाई में फैला हुआ है और राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार अनेक राज्यों में समुद्र तट पर कटाव खण्डों में होते हैं जिसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है किन्तु समुद्र कटाव की समस्या केरल में ही समुद्र तट पर गंभीर और व्यापक है जहां कुल 560 किलोमीटर की लम्बाई में से लगभग 320 किलोमीटर तट प्रभावित होता है । समुद्र कटाव के लिए अनेक तथ्यों की ठीक-ठाक प्रकृति और उनके योगदान के बारे में अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि यह कटाव तट पर सक्रिय विभिन्न शक्तियों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई भौतिक शक्ति के असंतुलन के कारण होता है । भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में समुद्र तटीय कटाव प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन करने के लिए और इस समस्या को वैज्ञानिक तथा समन्वित रूप में सुलझाने के लिए अपेक्षित उपायों को सुलझाने के लिए समुद्र-तट कटाव बोर्ड का गठन किया है । बोर्ड ने विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और समुद्र तट प्रक्रियाओं के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलन करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम का संगठन किया है तथा इसके साथ ही समुद्र कटाव समस्या का और अच्छी तरह से मूल्यांकन करने के लिए सामान्य अन्वेषण, अध्ययन अनुसंधान इत्यादि करने की भी व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में बने बनाये मकानों की बिक्री की अनुमति

2521. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 27 के अधीन बने बनाये मकानों की बिक्री की अनुमति हेतु भूमि एवं विकास अधिकारी, नई दिल्ली को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) अब तक कितने मामलों में अनुमति दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 157 ।

(ख) कोई नहीं ।

वन सम्पदा का उपयोग

2522. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल 10 प्रतिशत वन सम्पदा का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वनों को नष्ट किये बिना उनका उचित उपयोग करने का प्रचार किस प्रकार करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात को खाद्यानों की सप्लाई

2523. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान गुजरात राज्य को कितना खाद्यन्न सप्लाई किया गया ; और

(ख) इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य ने अपने खाद्यान्नों की मांग भेजी थी और क्या उस मांग को पूर्णतः पूरा कर दिया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से 1974-75 और 1975-76 के वर्षों के लिए क्रमशः 21.00 और 10.23 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की प्राप्त मांग के प्रति केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान क्रमशः 8.19 और 4.81 लाख मीटरी टन खाद्यान्न दिए गए थे ।

विभिन्न राज्यों को खाद्यन्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में समूची उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष ज़रूरतों, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया

जाता है ताकि उनकी सरकारी वितरण प्रणाली की उचित जरूरते पूरी की जा सकें। अगस्त 1975 से गुजरात सरकार ने अतने आप गेहूं और मोटे अनाजों की अपनी मांग में पर्याप्त कटौती कर दी है।

अन्न भण्डारण के लिए डी० डी० टी० का विकल्प

2524. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्न भण्डारण के लिए डी० डी० टी० के किसी विकल्प का सरकार को सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय भण्डागार निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के गोदामों में खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए डी० डी० टी० का प्रयोग नहीं किया जाता है। रोगनाशक उपचार के लिए पाइरी थूरम मलाथियोन आदि जैसे विभिन्न सुरक्षित केमिकलों का उपयोग किया जाता है।

भारत में पुनः बसाये गये बंगला देश के परिवार

2525. **श्री अम्बेश : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश बनने के बाद बंगला देश के कितने परिवार भारत में पुनः बसाये गये और वे किन-किन स्थानों पर पुनः बसाये गये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : बंगला देश के किसी भी परिवार को भारत में नहीं बसाया गया है क्योंकि वे बंगलादेश के नागरिक हैं और इसलिए वे भारत में पुनर्वास के हकदार नहीं हैं।

गांवों में आपरेशन अनुसंधान परियोजना

2526. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा आरम्भ की गई आपरेशन अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली के गांव के हरिजनों को लाभ होता है ; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का कुछ राज्यों में कुछ और ऐसे गांवों का चयन करने का विचार है जहां मिट्टी घटिया किस्म की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली के चार गांवों में एक क्रियात्मक अनुसंधान तथा समाकलित क्षेत्र विकास प्रयोजना आरम्भ की है। इनमें से एक गांव में बहुत छोटे किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक किसान को एक एकड़ जमीन दी गयी है, इनमें से अधिकांश किसान हरिजन हैं और वे लोग इस प्रयोजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके अन्तर्गत दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्यों के कुछ गांवों को, जिनकी मिट्टियां घटिया दर्जे की हैं, चयन किया जाए।

लेकिन दिल्ली क्षेत्र के एक गांव, जिसकी मिट्टी समस्या प्रधान है चुन लिया गया है और उस पर पहले से ही अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

2527. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए ऋण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) व (ख) एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन सहाय्यित ऋण परियोजना 59 मिलियन डालर (47 करोड़ रुपये) की कुल लागत से मंजूर की गई है जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता 35 मिलियन डालर (27.2 करोड़ रुपये) है। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत हुगली, बर्दवान, नादिया, मुर्शिदाबाद, माल्दा तथा पश्चिमी दीनाजपुर के जिले आते हैं। इस परियोजना में भूमि विकास तथा नालियों के साथ 18,000 उथले नलकूपों, 300 गहरे नलकूपों (200 लघु सिंचाई दलों के लिए और 100 लघु सिंचाई निगम के लिए) का निर्माण करना, भूमि विकास तथा नालियों के साथ 600 आंशिक रूप से निर्मित नदी जल उठाऊ सिंचाई तथा गहरे नलकूपों का पूरा करना शामिल है। इस परियोजना में तीन नियमित बाजारों के विकास तथा 200 कृषि सेवाई केन्द्रों की स्थापना की भी व्यवस्था है। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के इंजीनियरिंग निदेशालय और जल बोर्ड के लिए उपकरणों के अधिग्रहण तथा स्टाफ के लिए छात्रवृत्ति तथा तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था है।

उड़ीसा के लिए बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं

2528. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी योजना अवधि में उड़ीसा के लिए कौन-कौन सी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) भारत सरकार ने उनमें से कितनी परीयोजनाओं की स्वीकृति दी है ; और

(ग) उनके लिए वर्ष 1976-77 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) पांचवी योजना अवधि में क्रियान्वयन के लिए एक नई वृहत् स्कीम नामशः रंगाली बहुद्देश्यीय परियोजना शामिल की गई है। परियोजना के प्रथम चरण को जिसमें बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन के लिए रंगाली बांध का निर्माण परिकल्पित किया गया है, जून, 1973 में मंजूर किया गया था, जबकि परियोजना रिपोर्ट के चरण दो को जिसमें सिंचाई लाभ परिकल्पित हैं अभी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित नई वृहत बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं :—

1. अपर इन्द्रावती चरण—1
2. अपर कोलाब

3. बाघ
4. भीमाकुण्ड
5. हरभंगी
6. बड़ानाला

इनकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है और इनके कार्यान्वयन पर तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर तथा उनके निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध होते प्रतीत होने पर ही विचार किया जायेगा।

1976-77 में उड़ीसा की बृहत् परियोजनाओं का प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1. महानदी डेल्टा (सतत् स्कीम)	500
2. सालन्दी (सतत् स्कीम) . .	51
3. रंगाली (सतत् स्कीम) (बांध की लागत में सिंचाई भाग)	190
योग	741 लाख रुपये

Social Crimes against Women

2529. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether an International Tribunal on crime against women has appealed to all the nations to enact legislation with a view to stopping social crimes against women and awarding punishment to those who violate it ; and

(b) if so, reaction of the Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) Government are not aware of any appeal issued by any International Tribunal on Crime against women. Government have, however, seen a news item in some newspapers about a meeting of an International Tribunal on Crime against women held at Brussels in March 1976.

DDA flats surrendered by the allottees

2530. **Kumari Kamla Kumari :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state whether the D.D.A. flats surrendered by the allottees are allotted to people in D.D.A's waiting list as per rules ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri H.K.L. Bhagat): Normally, the houses surrendered by the original allottees are allotted to persons on the waiting list. However, some of the surrendered flats were allotted to certain families of evictees of the special clearance-cum-resettlement operations keeping in view the hardship caused to them.

खाद्य का उत्पादन और सिंचित क्षेत्र

2531. **डा० के० एल० राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 में देश में सिंचित क्षेत्र और खाद्यान्न का उत्पादन क्या था और इस समय नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) खाद्य उत्पादन का मूल्यांकन करने में क्या सिंचित क्षेत्र और गैर-सिंचित क्षेत्र के अलग-अलग आंकड़े निकाले जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो, क्या वास्तविक उत्पादन मूल्यांकन से भिन्न है और यदि हां, तो वास्तविक आंकड़े आंकलित आंकड़ों से कहां तक भिन्न होंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1950-51 के दौरान देश में खाद्यान्नों के अंतर्गत कुल 183 लाख हैक्टार सिंचित क्षेत्र था और कुल 550 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था । 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों के अंतर्गत 309 लाख हैक्टार सिंचित क्षेत्र था । बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं। 1974-75 के दौरान 1011 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान है ।

(ख) तथा (ग) वर्तमान पद्धति किसी फसल के उत्पादन को इसके क्षेत्र के उत्पाद और प्रति हैक्टार उपज के रूप में प्राप्त करने की है । प्रति हैक्टार उपज अनियमित रूप से नमूना लेने की तकनीकी द्वारा फसल की कटाई के प्रयोगों पर आधारित होती है । फसल की कटाई के प्रयोगों की पद्धति में प्रत्येक तालुका राजस्व निरीक्षक सर्कल से प्रत्येक फसल के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी संख्या में खेतों के चयन की व्यवस्था है । इस प्रकार यह आशा की जाती है कि इनसे नमूने लेने वाले खेतों में पर्याप्त रूप से सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के अनुपात का पता लगता है । अलग-अलग फसलों का नमूना लेने का काम काफी बड़ा होता है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर औसत उपज के अनुमान ही लगाए जा सकते हैं और अधिकांश मामलों में 1-2 प्रतिशत की त्रुटि की गुंजाइश रह सकती है ।

भेड़ पालन फार्म

2532. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़ पालन फार्म कितने हैं और किन-किन राज्यों में हैं :—

(ख) देश में शुद्ध विदेशी नस्ल के भेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिये, जिससे कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा और वायुयान द्वारा उन्हें मंगाने के व्यय की बचत हो सके, यदि कोई उपाय किये गये हैं ; तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या भेड़ पालन फार्मों का वैज्ञानिक आधार पर विकास करने और विभिन्न राज्यों के ऊन काटने वालों को विदेशी नस्ल की भेड़ों के पालन का प्रशिक्षण देने के लिये कोई चरणवद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) देश में 90 भेड़ प्रजनन फार्म हैं, जिसमें कुछ राज्यों में भारत सरकार की सहायता से स्थापित किए गए 7 भेड़ प्रजनन फार्म और एक केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म भी शामिल है। राज्यवार भेड़ फार्म जिनमें छोटे राज्य फार्म भी शामिल हैं, एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी–10702/76]**

(ख) भारत सरकार ने विदेशी नस्ल की अच्छी किस्म की भेड़ों की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न राज्यों में बड़े भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं। कोरिडैल भेड़ का उत्पादन करने एवं उनकी मांग पूरी करने के लिए चौथी योजना के दौरान आस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से हिसार में एक बड़ा केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। इस फार्म मे विभिन्न राज्यों को कोरिडैल भेड़ का वितरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

चौथी योजना के दौरान अच्छी किस्म की अभिजनक भेड़ का उत्पादन करने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान सहायता एवं 25 प्रतिशत ऋण के प्रतिमान के अनुसार विभिन्न राज्यों में 7 बड़े भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना करने का विचार था। अब तक (1) जम्मू तथा काश्मीर (2) उत्तर प्रदेश (3) राजस्थान, जहां मेरिनो भेड़ पाली जा रही है और (4) आंध्र प्रदेश और (5) कर्नाटक, जो केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से कोरिडेल भेड़ की आवश्यकता पूरी करते हैं, के राज्यों में फार्मों की स्थापना करने के लिए 5 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दूसरे वर्ष के दौरान बड़े भेड़ फार्म स्थापित करने के लिए दो और योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से एक एक मध्य प्रदेश और बिहार में है। ये दो फार्म भी भेड़ की अपनी मांग हिसार से पूरी कर रहे हैं। ये 7 फार्म विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

इस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसी प्रकार के दो और बड़े भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना करने का विचार है। इन फार्मों में मूलआधार नस्ल के रूप में रेमबोईलेट और रोमने मार्श की भेड़ होंगी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमशः निजी और संयुक्त क्षेत्र में दो और बड़े भेड़ प्रजनन फार्म भी स्थापित किए गए हैं। ये फार्म पोलवर्थ और मेरिनो भेड़ों का पालन कर रहे हैं।

इस प्रकार इन सब फार्मों के पूरी तरह से विकसित होने पर हम विदेशी नस्ल की भेड़ का अपेक्षित संख्या में उत्पादन करने की स्थिति में होंगे, जिसके फलस्वरूप इनका आयात कम किया जायेगा और विदेशी मुद्रा एवं वायुयानों द्वारा विदेशी भेड़ों के लाने पर होने वाले व्यय की बचत होगी।

(ग) भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना योजनाओं एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर की जाती है।

राज्य के अधिकारियों ने वर्ष 1963–1973 तक आठ राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजना—भेड़ तथा ऊन विकास के अन्तर्गत विदेशी भेड़ों की ऊन काटने के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1972 से केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार ने विदेशी भेड़ों की ऊन काटने के संबंध में राज्यों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

मेथाइल पेराथीन के उत्पादन पर प्रतिबंध

2534. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मेथाइल पेराथीन के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है क्योंकि यह बहुत जहरीली कीटनाशी औषधि है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माताओं को इसका और उत्पादन न करने और विद्यमान टेक्नीकल और फार्मूलेटिड भण्डार को समाप्त करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति ने निर्णय किया है कि अधिक जहरीली होने के कारण वनस्पति रक्षण के उद्देश्यों के लिये मेथाइल पेराथीन के प्रयोग की अनुमति देना मानव एवं पशु जीवन के जोखिम की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होगा। तथापि, इसके एवज में सुरक्षित कीटनाशी औषधियों के उपयोग के संबंध में कृषकों को शिक्षण देने के लिये अपेक्षित समय तथा इसके एवज में तथा ऐसी कीटनाशी औषधियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने की दृष्टि से भी यह निर्णय किया गया है कि इस कीटनाशी औषधि के उपयोग के लिऐ 31 मार्च, 1977 तक अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(ख) तथा (ग) पंजीकरण समिति ने मूल विनिर्माताओं एवं फारमुलेटरों को ये अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वे 31 मार्च, 1977 तक इस कीटनाशी औषधि के नियोजित करने संबंधी उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठायें।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विभागीय बनों की सफाई

2536. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में गत दो वर्षों में विभागीय रूप से वनों की सफाई की है, और

(ख) यदि हां, तो इस से अतिरिक्त लाभ कितना हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां। सरकार ने प्राकृतिक रूप से वनों को उगाने के लिए, सागून, पेदौक और तेल ताड का रोपण करने के लिए और विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाने के लिए विभागीय रूप से वनों को काट दिया है अब लोगों को बसाने के उद्देश्य से वनों की कटाई का कार्यक्रम निलम्बित कर दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में विपणन निरीक्षण निदेशालय के कार्यालयों का बन्द किया जाना

2537. **श्री वयालार रवि : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि केरल में सब से अधिक माला में मसाले पैदा होते हैं, वहां पर विपणन निरीक्षण निदेशालय ने अपने कुछ कार्यालय बन्द कर दिए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) व (ख) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने हाल ही में केरल में तेल्लीचेरी में स्थित केवल एक उप-कार्यालय बंद किया है क्योंकि इस केन्द्र में कर्मचारियों का जारी रखना उचित सिद्ध करने के लिए केन्द्र में पर्याप्त श्रेणीकरण कार्य नहीं था। तेल्लीचेरी में एग्मार्क के अन्तर्गत श्रेणीकृत की जाने वाली वस्तु काली मिर्च थी। तेल्लीचेरी केन्द्र में एग मार्क के अन्तर्गत श्रेणीकरण के लिए दी गई काली मिर्च की मात्रा 1967-68 में 2527 मीटरी टन से घटकर 1974-75 में केवल 129 मीटरी टन रह गई। इसके अलावा, अप्रैल, 1975 से दिसम्बर, 1975 की अवधि के दौरान इस केन्द्र में कोई श्रेणीकरण कार्य नहीं था।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न ले जाने वाले माल डिब्बे

2538. **श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न ले जाने वाले माल डिब्बों के बारे में 8 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन सब माल डिब्बों का बाद में पता लग गया है और सब खाद्यान्न या तो जिन स्टेशनों के लिए बुक किया गया था वहां से अथवा वहां से भेजे गये अन्य स्थान से बरामद हो गया है; और

(ख) यह माल कितनी कीमत का था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) और (ख) 1973—75 के वर्षों से संबंधित खाद्यान्नों के गुमशुदा शेष सब वैगनों का अभी तक पता नहीं लगा है। दावा किए गए गुमशुदा वैगनों के साथ प्राप्त असम्बद्ध वैगनों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस समय 3131 असम्बद्ध वैगनप/परेशणों का पता लग गया है जबकि गुमशुदा 2745 वैगनों/परेषणों के लिए दावा किया गया था।

इस माल की कीमत अनुमानतः 6.04 करोड़ रुपये है।

पशुधन की गणना

2539. **श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशुधन की गणना पीछे कब की गई थी;

(ख) पशुधन की संख्या तथा राज्यवार तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और पहले की गई गणना के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में पशुधन के संबंध में उल्लेखनीय कमी/वृद्धि का विश्लेशण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) पिछली पंचवर्षीय पशुधन गणना अधिकांश राज्यों में 1972 में 15 अप्रैल, 1972 को संदर्भ तिथि मानकर की गई थी। तथापि प्रशासनिक और संगठनात्मक कठिनाइयों के कारण कुछ राज्यों में संदर्भ तिथि अलग-अलग थी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 30 सितम्बर, 1972 जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और मेघालय में 15 नवम्बर, 1972, मणिपुर में दिसम्बर, 1972 और तमिलनाडु में 1 मार्च, 1974।

(ख) वर्ष 1972 और 1966 की पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य स्तर पर 1966 की गणना के अनुमानों के साथ वर्ष 1972 की गणना पर आधारित पशुधन संख्या के अनुमानों की तुलना करने से किसी विशेष अंतर का पता नहीं चला है।

विवरण

वर्ष 1972 और 1966 के दौरान की गई पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या के अनुमान।

(हजारों में)

राज्य	कुल पशुधन 1972	कुल पशुधन 1966
1	2	3
आंध्र प्रदेश	33064	31595
असम	8002	8457
बिहार	27946	28655
गुजरात	15098	14338
हरियाणा	6289	5528
हिमाचल प्रदेश	4702	4201
जम्मू और कश्मीर	4285	4079
कर्नाटक	21965	20486
केरल	4936	4641
मध्य प्रदेश	39989	38478
महाराष्ट्र	26361	25449
मणिपुर	507	444
मेघालय	760	691
नागालैंड	335	215
उड़ीसा	17568	16422

1	2	3
पंजाब	8646	7481
राजस्थान	38878	37475
तमिलनाडु	23433	24569
त्रिपुरा	738	811
उत्तर प्रदेश	49233	49972
पश्चिम बंगाल	19085	19266
संघ राज्य क्षेत्र	1559	857
अखिल भारत	353379	344110

टिप्पणी :—अखिल भारत के 1966 की गणना के आंकड़ों में अरूणाचल प्रदेश के आंकड़े शामिल नहीं है।

कृषि/उद्यान पंडित

2540. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में कृषि पंडित तथा उद्यान पंडित जैसे अन्य पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और उनकी उपलब्धियों के बारे में सरकार ने कोई प्रकाशन निकाला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में निकाले गये ऐसे प्रकाशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न भाषाओं में ऐसे प्रकाशन पुस्तक के रूप में निकालने का कोई प्रस्ताव है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां। वर्षानुवर्ष के आधार पर कृषि पंडितों, उद्यान पंडितों और गोपाल रत्न के विजेताओं के संबंध में पत्रक प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) 1. अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता 1974-75 के विजेता।

2. उद्यान पंडित 1973-74 और 1974-75।

3. अखिल भारतीय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता गोपाल रत्न पुरस्कार 1974-75।

(ग) इन पत्रकों को हिन्दी और अंग्रेजी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन संबंधी मामला राज्य के विभागों पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनकी अपनी राज्य कृषि सूचना यूनिट है।

नेहरू युवक केन्द्र

2541. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में युवा सेवाओं के लिये और नेहरू युवक केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये कुल कितनी धन-राशि नियत की गई है; और

(ख) क्या युवकों के प्रशिक्षण के लिये उपरोक्त केन्द्रों तथा इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों में गतिविधियों के स्वरूप को व्यापक बनाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सांस्कृतिक विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में युवा सेवाओं के लिए आवंटित कुल धन-राशि 32.30 करोड़ रुपये हैं।

इस राशि में नेहरू युवक केन्द्रों का आवंटन सम्मिलित है। तथापि नेहरू युवक केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, परन्तु उनके एक समन्वयक एजेन्सी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर, गैर-छात्र युवकों के लिए राष्ट्र निर्माण हेतु चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों को प्रेरणा प्रदान करने वाले एक उत्प्रेरक एजेन्ट के रूप में काम करने की आशा है। नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या और उनके कार्यकलापों का विस्तार किया जा रहा है।

नानक भवन

2542. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नानक भवनों में, जो कुछ चुनीदा स्थानों पर छात्र सेवा संस्थाओं के रूप में स्थापित किये जाने थे, कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों/राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक भवन स्थापित किये जा चुके हैं; और

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों/राज्यों का इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सांस्कृतिक विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) गुरू नानक की पंचशती समारोह के उपलक्ष में छः नानक भवनों को संस्वीकृत किया गया था। धेनकानल कालेज, धेनकानल, उड़ीसा में, एक नानक भवन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर और गुरू नानक कालेज, मद्रास इनका निर्माण कार्य चल रहा है। कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारें बंगलौर और अहमदाबाद में नानक भवन स्थापित करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति

2543. **श्री छत्रपति अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशक, दिल्ली ने उन स्नातकोत्तर पुरुष अध्यापकों की एक सूची निकाली है जो प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत होने के पात्र हैं, और

(ख) क्या उक्त सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का एक भी अध्यापक शामिल नहीं किया गया है और क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के एक भी अध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नत करने योग्य स्नातकोत्तर अध्यापकों की एक सूची, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सेवारत हैं या नहीं, राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों/वाइस प्रिंसिपलों को परिचालित की गई थी। उक्त सूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति से संबंधित स्नातकोत्तर अध्यापकों के नाम इस लिए शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी पदोन्नति पर अलग से विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में चीनी कारखाने

2544. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश के 246 चीनी कारखानों में से उड़ीसा में कितने कारखाने हैं;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में इंद्रावती के तटों पर बिना सिंचाई के लाखों एकड़ भूमि में गन्ना उगाया जाता है तथा उस स्थान पर एक भी चीनी कारखाना नहीं है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) देश में इस समय स्थापित 259 (न कि 246) फैक्ट्रियों में से उड़ीसा राज्य में 3 चीनी फैक्ट्रियां स्थापित हैं जिनकी चीनी की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 22,000 मीटरी टन है।

(ग) एक चीनी फैक्ट्री, रायागढ़, जिला कोरापुट, उड़ीसा में पहले से ही है। उस जिले में कोई और चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राथमिक कक्षा के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां देना

2545. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजधानी में प्राथमिक कक्षाओं के लगभग एक हजार छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को इनमें से कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

(क) जी हां।

(ख) लगभग 40 प्रतिशत।

Free Education to Students Belonging to S.C. and S.T.

†2546, **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the States where there is arrangement for free education upto Higher Secondary standard for the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) the names of the States where special facilities for college education are available to the students belonging to the said castes ;

(c) whether students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not receive education due to the non-availability of suitable education facilities in some of States ; and

(d) if so, the steps taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) : (a) to (d) the required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Total Sugar Production and per capita Consumption

2547. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) production of sugar in tonnes in 1975-76 and per capita annual consumption thereof and the annual household expenditure on it ;

(b) whether Government propose to remove partial control from sugar in view of the satisfactory position of its production ; and

(c) the estimated production of sugar by the end of Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Production of sugar during 1975-76 sugar year (October-September) is presently estimated around 43 lakh tonnes. *Per capita* consumption would work out to 6.087 kg. per annum on the basis of 36.40 lakh tonnes for domestic consumption and the projected population of 598 millions as on 1-7-75. Sugar utilised for domestic consumption includes free-sale sugar. As the prices of free-sale sugar are variable, it is not possible to assess meaningfully the annual household expenditure on sugar. However, in the all-India consumer price index for industrial workers, the weightage allotted to sugar is 1.95.

(b) There is no such proposal under consideration.

(c) 57 lakh tonnes.

Agreement on use of Tapti Water among States

†2548. **Shri G.C. Dixit** : Will be Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) irrigation projects in Madhya Pradesh approved or likely to be approved by the Centre following the agreement reached between the Chief Ministers of Maharashtra and Madhya Pradesh on the inter-State use of the 'Tapti' waters ;

(b) irrigation capacity of each project ; and

(c) time by which work on each project is likely to be commenced and completed

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) & (b) In 1969, the States of Maharashtra and Madhya Pradesh had agreed to build the Upper Tapti Project Stage-II as a joint venture. The project proposals estimated to cost Rs. 87.93 crores envisaging irrigation to 1,06,540 ha. (46,691 ha. in Madhya Pradesh and 59,849 ha. in Maharashtra) was received from the Government of Maharashtra in February, 1974. Detailed comments of Central Water Commission, Ministry of Finance, Water Mangement Division of the Department of Agriculture etc. were sent to the State Government in March, 1975. Replies to these comments are awaited from them.

(c) The project will be cleared for inclusion in the States' development Plans after it is found technically feasible, economically viable and necessary funds are made available by the States.

Scheme for providing residential accommodation to Central Government Employees Working in States

2549. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state whether Government have prepared a Scheme for providing residential accommodation to the employees working in Central Offices in different States keeping in view the difficulties being experienced by them ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri H.K.L. Bhagat) : General pool residential accommodation already exists in a number of cities, viz., Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Nagpur, Simla, Faridabad and Chandigarh. The question of constructing residential accommodation for Central Government employees in general pool in a number of important cities in different States is under consideration.

Pearl Production in Bay of Bengal

2550. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) quantum of genuine pearl production in the Bay of Bengal during the last three years ;

(b) whether any action has been taken for the production of cultured pearls as in Japan ; and

(c) if so, results achieved thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Pearl fishing has not been conducted in the Bay of Bengal in the last three years. Hence there is no production of genuine (natural) pearl production from the area.

(b) & (c) The Central Marine Fisheries Research Institute, based on indigenous material and technical know-how developed the technique of pearl culture. The free/spherical pearl was produced by the Institute in July, 1973. This technique is similar to the one followed in Japan. Further research is being carried out in improving and refining this technique and also to develop a methodology for large scale culture of pearl oysters. This work is being done at Tuticorin (Tamil Nadu) and Vizhinjam (Kerala). Based on the technology already developed, the Government of Kerala has sanctioned a pilot project in pearl culture at Vizhinjam. The Project is proposed to be implemented spread over a period of five years, at a cost of Rs. 11,09,000.

The Central Marine Fisheries Research Institute will shortly be initiating a training programme to train a few candidates by taking up culture operations on a large scale. To begin with, candidates will be drawn from the States of Gujarat, Tamil Nadu and Kerala where possibilities of large scale pearl culture exist.

कृषि श्रमिकों, ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों में साक्षरता

2551. **श्री नुरूल हुडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों को, जो निःसन्देह निर्धनता से भी निम्न स्तर पर जीवन यापन करते हैं, साक्षरता की प्रतिशतता के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) गन्दी बस्तियों में रहने वालों में कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं; और

(ग) क्या इन व्यक्तियों तथा हरिजनों और मुसलमानों जैसे कुछ पिछड़े वर्गों से निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने कोई विशेष उपाय निकाले हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

(क) महा पंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों में साक्षरता की प्रतिशतता निम्नलिखित है :

	ग्रामीण	शहरी	जोड़
1971	15.71	21.98	15.97
1961	9.19	13.82	9.32

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा इस समय कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की मुख्यतः समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से कम सुविधा प्राप्त वर्गों के लाभ के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों से प्रतिवर्ष लगभग दस लाख व्यक्ति लाभ उठाते हैं।

खाद्यान्नों की वसूली तथा विक्रय मूल्य

2552. **श्री नुरूल हुडा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्यान्नों (धान, गेहूं आदि) के वसूली और विक्रय मूल्य में बहुत अन्तर है;

(ख) क्या निर्धन किसानों द्वारा घबराहट में बड़े पैमाने पर माल को बेचे जाने को रोकने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था कायम की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम को सलाह दिया है कि निर्धन तथा मध्य वर्ग के किसानों से वसूली मूल्य से थोड़ा अधिक मूल्य देकर वह सभी अनाज खरीद लें जो वे बेचने को मजबूर हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस बात के लिए क्या कार्यवाही की है कि अनाज गांव के अमीर लोगों तथा शरारती व्यापारियों के पास जमा न हों ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य सहाय्य मूल्यों के रूप में कार्य करते हैं और उत्पादक अपनी पैदावार को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः अधिप्राप्ति मूल्य और बाजार मूल्य के बीच कुछ अन्तर हो सकता है। भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेंसियों से कहा गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां अधिप्राप्ति मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं ताकि किसानों की अपनी लागत कीमत से कम कीमत पर अनचाही बिक्री को रोका जा सके। राज्य सरकारों ने यथा-वश्यक जमाखोरी को रोकने के लिए खाद्यान्नों का स्टाक रखने की मात्रा निर्धारित कर दी है।

चीनी कारखाने में कार्य दिवस, गन्ने का सांविधिक मूल्य और वास्तविक मूल्य

2553. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी कारखानों द्वारा 1974-75 सीजन के लिए दिये गये राज्य-वार तथा कारखाने-वार प्रोत्साहनों

तथा राज सहायता सहित गन्ने की पेराई क्षमता, कार्य दिवस, कुल चीनी उत्पादन प्रति टन गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य तथा वास्तविक मूल्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित सूचना देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 10703/76]

S.F.D. and M.F.A.L.A. in M.P.

2554. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) areas in Madhya Pradesh where Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agencies are functioning ;

(b) whether the functions of these agencies are being enlarged ; and

(c) whether it is proposed to reduce the rates of interest on loans advanced to farmers and labourers by these agencies ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Small Farmers Development Agency/Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency programme is being implemented in M.P. in the following districts :

1. Drug	7. Sagar
*2. Raisen-Sehore	8. Jabalpur
3. Bilaspur	9. Satna
4. Chhindwara	10. Mandsaur
**5. Ratlam	11. Rajnandgaon
6. Shahdol	12. Surguja

(b) No, Sir.

(c) The Agencies do not advance any loans to Small Farmers/Marginal Farmers and Agricultural Labourers, except interest free loan for share capital for enrolment as members of Cooperatives. Loans for various developmental programmes are advanced by Cooperative/Commercial Banks. There is no specific proposal under consideration to reduce the rate of interest on loans advanced to the beneficiaries by the financing institutions.

Land Irrigated by Chambal Canal in Madhya Pradesh

†**2555. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) area of land irrigated by Chambal Canal in Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh ;

(b) whether many sub-canals of Chambal Canal are still without water and if so, number of such sub-Canals together with their length which have not so far received water; and

(c) time by which such canals would receive water to their full level and area of land likely to be irrigated therefrom ?

---

*As a Special case the programme in Raisen-Sehore districts is being continued for one more year upto the end of 1976-77. Thereafter, the programme will be taken up in the district of Chhatarpur.

**With effect from 1-4-1976, the programme is to be confined to Ratlam district but the Agency has been allowed to complete the spill-over activities from 1975-76 in the Ujjain district during the current year. No new scheme will, however, be taken up by the Agency in Ujjain district after 1st April, 1976.

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh have reported that the areas irrigated by Chambal Canal in Morena and Bhind districts are 19216 hec. and 153947 hec. respectively. They have further stated that 16 numbers of the sub-canals with a total length of 38.64 km. in the tail reaches of Ambah. Morena and Bhind branches are not getting water, the area affected being 3441 ha. These areas will get water by 1980 when all the canal area development works get completed.

Food Production and Procurement in M.P. During 1974-75

2556. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total production of foodgrains in Madhya Pradesh during 1974-75; and

(b) the total procurement of wheat and rice during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The total production of foodgrains in Madhya Pradesh during 1974-75 was 10.08 million tonnes.

(b) The procurement of wheat and rice, out of 1974-75 crop, was 1.24 lakh tonnes and 1.51 lakh tonnes respectively.

Wild Life in M.P.

2558. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether wild animals in Madhya Pradesh are facing gradually extinction ;

(b) steps proposed to be taken to save the rare breeds of wild life such as Asiatic lion, brown deer, Kashmiri stags from extinction in M.P. forests ; and

(c) whether Centre have proposed any scheme to protect the breed of these wild animals and increase their number and whether the State Government has also sought Central assistance therefor and if so, nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) Effective conservation of wildlife is being done under the various provisions of law. Asiatic lion and Kashmir stags do not exist in Madhya Pradesh. Brown deer (barking deer) is a protected animal and its shooting is banned.

(c) The Centre has sanctioned a grant of Rs. 7.66 lakhs for the development of Bandhavgarh National Park under the Central sector scheme for providing Central assistance for development of national parks and sanctuaries. Another request for Central assistance from the Government of Madhya Pradesh for preservation of wild buffaloes in Kutru wild buffaloe sanctuary in Madhya Pradesh has also been received. A scheme for protection of tigers in the Kanha National Park under the Central Sector Tiger Project has been sanctioned at a total cost of Rs. 40,60,500.

एक कमरे वाले टाइप–एक के क्वार्टरों को दो कमरे वाले क्वार्टरों में बदलाना

2559. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनेक सरकारी कालोनियों में एक कमरे वाले पुराने टाइप-एक के क्वार्टरों को दो कमरे वाले क्वार्टरों में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कालोनीवार केवल एक कमरे वाले पुराने टाइप-एक के क्वार्टरों की संख्या कितनी है और दो कमरे वाले नये टाइप-एक के क्वाटरों की संख्या कितनी है तथा पृथक-पृथक उनमें कितने व्यक्ति रह सकते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। किन्तु एक कमरे के क्वार्टरों को दो कमरे वाले क्वाटरों में बदलना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) एक कमरे वाले दो क्वार्टरों को मिला कर अथवा एक कमरे के क्वार्टर में एक और नया कमरा बना कर दो कमरे वाला एक क्वार्टर बनाया जा सकता है। एक एक कमरे के दो क्वार्टरों को मिलाकर दो कमरे वाले एक क्वार्टर में बदलने की संभाव्यता पर विचार किया गया। परिणामस्वरूप ऐसे क्वार्टर का कुर्सी क्षेत्र 365 वर्गफुट के अनुमेय क्षेत्रफल के मुकाबले 650 वर्गफुट से लेकर 691 वर्ग-फुट तक होगा। इसके अतिरिक्त, दो क्वार्टरों को मिलाकर एक बनाने से कालोनी के घनत्व में 50% की कमी हो जायेगी जो वांछनीय नहीं है। एक और कमरे को आगे या पीछे बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया । इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्रफल टाइप-I के क्वार्टर के लिए अनुमेय क्षेत्रफल से बढ़ जायेगा। इस प्रकार एक कमरा बढ़ाने के लिए कालोनी में सर्विस लाइन पुनः बिछाने तथा इस अतिरिक्त कमरे को बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करना होगा। इस प्रकार जहां कहीं भी एक कमरे के क्वार्टरों को दो कमरे के क्वार्टरों में बदलना संभव हो उनकी अनुमानित लागत 555 लाख रुपये के करीब बैठती है जो कि वर्तमान आर्थिक संकट में गैर-प्रायोजनागत निर्माण कार्य में बड़ी भारी पूंजी निवेश है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2560. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपगृह शैक्षिक टेलीविजन परीक्षण का भी उपयोग किया जाएगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामान्यतया, सीधे ही कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करती। किन्तु वह परिषद द्वारा तैयार की गई दस-वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हाल की प्रवृत्तियों से प्राथमिक अध्यापकों को परिचित कराने के लिए, प्राथमिक अध्यापकों से अनुस्थापन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास किया है, ताकि वे कारगर ढंग से विज्ञान पढ़ा सकें। उक्त पाठ्य-क्रम में एक बहु-माध्यम पैकेज है, जिसमें 10 टेलीविजन पाठ शामिल हैं। इस पैकेज के अन्य घटकों में रेडियो प्रसारणों, चार्टों, डाइग्राम और मुद्रित सामग्रियां शामिल हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण उपग्रह

शैक्षिक टेलीविजन परीक्षण के जरिए 16 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छः उपग्रह शैक्षिक टेलीविजन परीक्षण अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 2117 गांवों के लगभग 22,106 अध्यापकों ने भाग लिया।

Allotment of Flats to D.D.A Employees

2561. **Kumari Kamla Kumari :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some persons, including D.D.A. employees also have been allotted flats by D.D.A. without draw of lots ; and

(b) if so, the total number of such flats allotted, indicating the names of the persons to whom these were allotted as also the grounds on which allotment was made ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) 576 quarters have been allotted to the employees of D.D.A. against 5% quota reserved for them. In addition to this about 600 flats have been allotted to individuals/ war widows on compassionate grounds.

आदिवासियों के विकास के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें

2562. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आदिवासियों के विकास के लिए शुरु की गई छ : मार्गदर्शी परियोजनाओं से लाभन्वित हुए आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस बारे में कितना लक्ष्य पूरा कर लिया गया और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) छः पुरानी आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं में 1972-73 में आरम्भ होने से लेकर 1975-76 के अन्त तक विभिन्न आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,75,069 पात्र आदिवासी भागीदारों को लाभ पहुंचाया गया है।

(ख) 1972-73 में आरम्भ होने से लेकर 31 दिसम्बर, 1975 के अन्त तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों तथा उन पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

छः आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं की वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियां

1. आरम्भ होने से लेकर 1975-76 के अन्त तक भारत सरकार द्वारा एजेंसियों को बंटित सहायक अनुदान	814.49 (लाख रुपये)
2. 31 दिसम्बर, 1975 तक एजेंसियों द्वारा सूचित व्यय	688.70 (लाख रुपये)
3. भागीदार	
(क) पहचाने गए	1,89,502
(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित (कुल) .	1,75,069
4. कृषि	31-12-75 को
अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (एकड़) 31-12-75 को	3,39,14
5. बागवानी	
विभिन्न फल-पौधों के सेंपलिंग, बीजांकुर, सकर्स तथा कलमें वितरित की गई	4,63,195

6. हल के बैल		
वितरित किए गए		4,102
7. भूमि विकास/भू-संरक्षण		
(क) अब तक कृषियोग्य बनाई गई भूमि (एकड़)		11,588
(ख) भूमि विकास प्रगति पर (एकड़)		1,580
(ग) भूमि आबंटित की गई (अब तक)		10,572
8. लघु सिंचाई		
(क) खुदे कुएं पूरे किए गए		2,459
(ख) खुदे कुएं प्रगति पर		605
(ग) अन्य लघु सिंचाई कार्य पूरे किए गए		47
–यथोपरि– प्रगति पर (लघु सिंचाई)		58
–यथोपरि– प्रगति पर (उठाऊ सिंचाई)		40
–यथोपरि– प्रगति पर (गुंडा सिंचाई)		276
–यथोपरि– जल संचयन ढांचा आदि		9
(घ) पम्प सैट लगाए गए/वितरित किए गए (संख्या) (जिनमें 10 कम उठाऊ हैंड पम्प शामिल हैं)		238
(ङ) सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्र (एकड़)		42,982
9. डेरी		
(क) दुधारू पशु सप्लाई किए गए		967
(ख) सांड सप्लाई किए गए		63
10. कुक्कुट पालन		
(क) पक्षी वितरित किए गए		9,541
(ख) मुर्गे सप्लाई किए गए		3,643
(ग) बतखें सप्लाई की गईं		2,955
11. सुअर, भेड़ तथा बकरी		
पशु वितरित किए गए		7,346
12. मत्स्य पालन		
(क) तालाब		24
(ख) मछली/मीनशावक एकत्र किए गए		2,84,000
13. प्रशिक्षार्थी		
आदिवासी प्रशिक्षित किए गए (कृषि, पशुपालन तथा खजूर, गुड़ आदि उद्योग में)		5,278
14. संचार		
(क) सम्पर्क सड़कें	33 संख्या	373.29 किलोमीटर में कार्य चल रहा है।
(ख) मुख्य सड़कें	17 संख्या	414.6 किलोमीटर में कार्य चल रहा है।

विशेष ध्यान दीजिए:—उपर्युक्त विवरण चौथी योजना अवधि से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में आरम्भ की गई छः पुरानी आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं के बारे में है।

विज्ञान संग्रहालय

2563. **श्री नवल किशोर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भ से लेकर अब तक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विकास के लिए आम जनता को विज्ञान की शिक्षा देनें हेतु प्रत्येक राज्य में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) बिहार राज्य के लिए क्या विशिष्ट प्रस्ताव है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर एक विज्ञान शिक्षा संग्रहालय और जिला स्तर पर छः विज्ञान शिक्षा संग्रहालयों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) संग्रहालयों की मुख्य बातें निम्नलिखित होंगी :—

(i) भारत से विशेष रूप से संबंधित सामग्रियों के प्रदर्शन के जरिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास के बारे में नागरिकों में जागृति पैदा करना।

(ii) संग्रहालय स्टाफ की सहायता से छात्र तथा अध्यापक स्वयं बहुत से विज्ञान प्रदर्श तैयार करेंगे। विशेष लेक्चरों तथा फिल्म प्रदर्शनों की भी वयवस्था की जाएगी।

(iii) विज्ञान तथा वैज्ञानिक विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण विस्तार कार्यकलाप शुरू करना।

सभी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) स्थान तथा अन्य ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चने की नई किस्म

2564. **श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चने की नई किस्मों के विकास के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपराज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने चना और अन्य दालों की नई किस्मों को विकसित करने तथा प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक पैदावार लेने की कृषि तकनीक को सुधारने के लिए 1968 से अखिल भारतीय दाल सुधार प्रायोजना चालू की है।

(ख) इस प्रायोजना के अन्तर्गत काम करने वा वैज्ञानिकों के अनुसन्धान कार्यों के फलस्वरूप चने की अनेक सुधरी किस्में विकसित की गई हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

1. व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए जारी की गई चने की किस्में	उपयुक्त क्षेत्र
टी–3	उत्तर प्रदेश, बिहार
जी-24	हरियाणा और पंजाब
सी–235	हरियाणा और पंजाब

2. चने की नई किस्में जो जारी करने से पहले के स्तर पर हैं	उपयुक्त क्षेत्र
एच–208	उत्तर और मध्य भारत
एच–355	—
जी–62–404	दक्षिणी पठार और
चपफा	मध्य भारत के कुछ
अन्नेगेरी	हिस्से

इसके अतिरिक्त चने की कुछ अन्य अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे सी० पी० एस०-1, सी० पी० एस०-2, सी० पी० एस०-3 और सी० पी० एस०-4 आदि खोज ली गई है और इनका परीक्षण काफी आगे पहुंच चुका है। इनमें से सी० पी० एस०-1 और सी० पी० एस०-2 जल्दी तैयार होने वाली तथा सूखा रोधी है और परीक्षणों में इनसे अच्छे परिणाम मिले हैं।

बम्रा उड़ीसा में बांस (सिसल) अनुसंधान केन्द्र

2565. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित बम्रा में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने वैज्ञानिक आधारों पर भारत में बांस की खेती सुदृढ़ करने के लिए कोई बांस अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत में रस्सी बनाने के लिए बांस के रेशों की अत्यधिक कमी दूर करने और इसके आयात को रोकने के लिए अब तक किए गए अनुसन्धान के क्या परिणाम रहे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, सीसल (केतकी) अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा 1962 में की गई थी और इसे 1965 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थाने को हस्तान्तरित कर दिया गया।

(ख) इस केन्द्र ने निम्नलिखित कार्य किया है:

(1) उत्तरी पूर्वी उड़ीसा में पाई जाने वाली स्थितियों के अन्तर्गत शुल्क प्रकन्द और कल्ले के रख-रखाव की नर्सरी तकनीक तैयार की।

(2) 12.87 लाख शल्क प्रकन्द और कल्ले तैयार किए गए और उन्हें अच्छी हालत में रखा गया है और उन्हें देश में विभिन्न संगठनों को वितरित किया गया :—

उड़ीसा	7,32,000
मध्य प्रदेश	3,01,000
बिहार	1,90,000
उत्तर प्रदेश	44,000
आन्ध्र प्रदेश	10,000
महाराष्ट्र	7,506
राजस्थान	3,000
तमिलनाडु	200

31-3-1976 तक का रिकार्ड।

(3) रेशे के स्रोत के रूप में चार किस्मों जैसे—**एगेव सिसलाना, ए० कैंटाला, ए० बैराकूज, और ए० एमानिएन्सिस** के तुलनात्मक गुणों से पता चला कि **ए० सिसलाना** उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छोटानागपुर क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। **ए० एमानिएन्सिस** किस्म सुदूर पूर्व के राज्यों में उगाई जा सकती है। अतः बिहार वन विभाग के सहयोग से पलामू जिले में इसकी रोपाई बड़े पैमाने पर की गई है।

(4) सबसे आवश्यक कृषि क्रियाओं, फासला और उर्वरकों के प्रभाव आदि के निर्धारण के लिए यह केन्द्र अनेक प्रकार के सस्य परीक्षण करता रहा है। केन्द्र ने अपने कुछ परीक्षणों में प्रति हैक्टर एक टन से भी अधिक रेशा प्राप्त किया है।

(5) संकरण के परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाली कुछ नई किस्मों का पता चला है। इन किस्मों में कुछ अधिक पैदावार देने की क्षमता है लेकिन इन संकर किस्मों के विस्तृत मूल्यांकन में अभी और दो वर्ष लगेंगे।

कृषि सहकारी समितियां

2566. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कृषि सहकारी समितियां बनाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1975 के अन्त तक भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसी कितनी समितियां बनाई गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। कृषक सेवा सोसायटियों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जिनमें माडल उपनियम भी शामिल है, सभी राज्यों को देश के विभिन्न भागों में ऐसी सोसायटियां गठित करने के लिए जारी किए गए हैं।

(ख) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में ऐसी 83 सोसायटियां गठित की गई हैं।

पांचवीं योजना के दौरान सम्बलपुर में छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए संयुक्त परियोजनायें

2567. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान सम्बलपुर जिले में छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा ग्रामीण दस्तकारों के हित के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार संयुक्त परियोजनाएं कही जाने वाली विशेष

परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान तीन करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर करने का है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) पांचवीं योजना में उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में लघु किसान विकास एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना स्थापित की गई है। इस एजेंसी को 28-9-74 को पंजीकृत किया गया था और इसने परियोजना इलाके में पहचाने गए लघु किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाना आरम्भ कर दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है।

(ख) लघु किसान विकास एसोसिएशन सम्बलपुर हेतु पांच वर्षों की परियोजना अवधि के लिए 1.50 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लघु किसान विकास एजेंसी, सम्बलपुर पांचवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए मंजूर की गई दो नई परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुचीनाद सब-डिवीजन के तीन खंडों को छोड़कर पूरा सम्बलपुर जिला आता है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 50,000 लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाने की आशा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभ-भोगियों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इस श्रेणी के कम से कम 20 प्रतिशत को इसके अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया जाएगा।

इस एजेंसी ने पहचाने गए भागीदारों के लाभ के लिए कृषि तथा पशुपालन के बारे में विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां आरम्भ की हैं। यह एजेंसी विभिन्न विकास कार्यक्रमों को पूंजी लागत पर छोटे किसानों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के उपदान की अनुमति देती है। शेष धनराशि सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के मामले में परियोजना निधियों से 50 प्रतिशत के उपदान की अनुमति है बशर्ते कि शेष धनराशि जिला परिषदों/सहकारी सोसायटियों/राज्य लघु सिंचाई निगम द्वारा अपने निजी संसाधनों से अथवा वित्तदायी संस्थाओं से ऋण लेकर पूरी की जाती है और लाभभोगी किसानों से रियायती दरें वसूल की जाती हैं।

यद्यपि यह एजेंसी 1974-75 में स्थापित की गई थी लेकिन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन केवल 1975-76 से ही शुरू हुआ है। आरम्भ होने से लेकर इस एजेंसी ने 71,374 लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों का पता लगाया है जिसमें से 20,515 को सहकारी सोसायटियां का सदस्य बनाया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 938 लाभाभोगी लाए गए हैं। एजेंसी द्वारा भूमि विकास, भू-संरक्षण, पशुपालन योजनाओं आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत गतिविधियां आरम्भ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार ने अब तक 34.25 लाख रुपए के सहायक

अनुदान आबंटित किए हैं जिनमें से एजेंसी द्वारा फरवरी, 1976 के अन्त तक 15.18 लाख रुपए उपयोग में लिए गए थे। चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम की गतिविधियों की गति बढ़ाये जाने की संभावना है ताकि इसके अन्तर्गत अधिकाधिक कार्यक्षेत्र को लाया जा सके तथा परियोजना क्षेत्र में और अधिक प्रभाव डाला जा सके।

शैक्षिक संस्थाओं में सह-शिक्षा

2558. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक संस्थाओं में सह-शिक्षा लागू करने के निर्णय को सरकार कहां तक लागू कर सकी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं ने सह-शिक्षा के विचार पर विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) भारत सरकार का यह विचार है कि (i) प्राथमिक स्तर पर सामान्य नीति के तौर पर सह-शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए; (ii) मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर उन क्षेत्रों में जहां ऐसी मांग हो पृथक स्कूल प्रदान किए जाने चाहिएं। परन्तु इसके साथ-साथ इन स्तरों पर सह शिक्षा जारी रखने की सामान्य नीति का प्रयत्न जारी रहना चाहिए; (iii) विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य नीति सह-शिक्षा की होनी चाहिए; परन्तु यदि महिला शिक्षा को प्रोन्नति करने के लिए पृथक संस्थाएं खोलना आवश्यक हो तो उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए; और (iv) लड़कों की संस्था में लड़कियों के दाखिले पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

तथापि, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है, नीति तथा दृष्टिकोण पर निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं।

दिल्ली के स्कूलों में 'पंजाबी' का पढ़ाया जाना

2569. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है जहां 'पंजाबी' एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है; और

(ख) ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पंजाबी भाषा के (प्रशिक्षित) शिक्षक मौजूद हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं जहां 'पंजाबी' पढ़ाने के लिए पंजाबी भाषा के शिक्षक नहीं रखे गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएंगी।

अंतराष्ट्रीय विकास संघ कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रैक्टरों का आबंटन

2570. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत 1975-76 में विभिन्न राज्यों को कितने ट्रैक्टर आबंटित किए गए तथा इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए कितने किस ब्रांड के ट्रैक्टर आयात किए गए तथा कितने स्वदेशी ट्रैक्टर प्राप्त किए गए अथवा प्राप्त किए जायेंगे।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त इन विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की बिक्री के लिए निर्माताओं/विक्रेताओं को दिए जाने वाले कमीशन की क्या दर है; और;

(घ) स्वदेशी तथा आयातित ट्रैक्टरों पर कमीशन को दरों में असमानता के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) व (ख) फार्म यंत्रीकरण के लिए कुल वित्तीय आवंटन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। देशी तथा आयातित और अधिप्राप्त किए गए/अधिप्राप्त किए जाने वाले ट्रैक्टरों का परियोजनावार कुल आवंटन तथा उनकी बनावट के बारे में सूचना विवरण अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10704/76)**

(ग) व (घ) पंजाब, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ऋण परियोजनाओं के मामले में भारतीय एजेंट हेतु आयातित ट्रैक्टरों के लिए 20 प्रतिशत के कमीशन की सहमति दी गई है। हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ऋण परियोजना में डेविड ब्राउन के बारे में कमीशन 15 प्रतिशत और आई० एम० टी० 533 के बारे में 20 प्रतिशत था।

जहां तक देशी ट्रैक्टर के बारे में कमीशन का सम्बन्ध है, 29-10-1974 को वैधानिक मूल्य नियंत्रण हटने के बाद 18-12-1974 से सभी ट्रक्टरों पर 1500 रुपए की धनराशि की अनुमति दी गई है। 15-1-76 से टी० ए० एफ० ई० 504, फोर्ड 3000 तथा एम० एफ० 1035 को छोड़कर सभी ट्रैक्टरों पर मूल्य निगरानी समाप्त कर दी गई है।

मत्स्य पालन के विकास तथा मत्स्य भंडारन के लिए केन्द्रीय सहायता

2571. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75, 1975-76 के दौरान मत्स्य पालन के विकास तथा मत्स्य भंडारन के लिए तटवर्ती राज्यों को कितनी सहायता दी गई; और

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) समुद्री राज्यों को मत्स्य की विकास के लिए 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10705/76]**

(ख) केन्द्र की ओर से मत्स्यकी विकास के लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता । राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और सहायता के प्रतिमान के अनुसार सहायता दी जाती है।

बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस पिलानी को प्राप्त धनराशि

2572. **श्री शिव नाथ सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइंस को बिरला समूह तथा अन्य कम्पनियों से अनुसधान राशि एवं सहायता अथवा अन्य अनुदानों के रूप में 1973-74, और 1974-75 और 1975-76 के दौरान कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ख) इन वर्षों के दौरान इस धन राशि में से कितनी धनराशि का व्यय उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए वह प्राप्त हुई थी और शेष धनराशि की स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) संस्था ने निम्नलिखित बिरला समूह तथा अन्य संस्थाओं से दान प्राप्त किया है :--

	1973-74 (रु० लाखों में)	1974-75 (रु० लाखों में)	1975-76 (रु० लाखों में)
I. नगद प्राप्त किया गया दान			
1. बिरला परामर्शदाता लिमिटेड, बम्बई .	2.50	--	1.00
2. श्री सनत प्राणजीवन, बम्बई .	.25	--	--
3. प्रकाश प्रतिष्ठान, दिल्ली . .	2.97	2.50	3.15
4. बिरला शिक्षा कल्याण, पिलानी .	53.60	70.85	17.26
II. माल के रूप में प्राप्त किया गया दान (शेयर)			
बिरला शिक्षा न्यास, पिलानी	--	--	50.00
कुल जोड़	59.32	73.35	71.41

फोर्ड फाउन्डेशन से माल के रूप में प्राप्त सहायता भी संस्था के लिए स्वीकृत की गई थी जिसक ब्यौरा नीचे दिया दिया है :--

1. संस्थान में दीर्घकालीन निरीक्षण संकाय तथा अल्पकालीन परामर्शदाता .	$	5,48,500
2. भारत में उपलब्ध न होने वाले प्रयोगशाला उपस्कर तथा पुस्तकालय प्राप्तियों की खरीद	$	4,85,100
3. एम० आई० टी० (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा परामर्शी तथा प्रशासनिक सेवाएं	$	2,47,900
4. एम० आई० टी० अथवा और कहीं स्थान संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षण	$	1,75,400
5. संस्थान तथा एम० आई० टी० के बीच संयुक्त अनुसंधान	$	26,100
6. संस्थान के लिए भारतीय संकाय सदस्यों की विदेश में भर्ती	$	17,000
	$	15,00,000

क्योंकि अनुदान की पूरी राशि पहले निर्धारित अवधि के दौरान उपयोग में लाई जा सके, इसलिए उसे नीचे उल्लिखित संशोधित बजट के साथ 31 मार्च, 1977 तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून, 1975 को किए गए व्यय को भी प्रत्येक मद के सामने दर्शाया गया है :—

	संशोधित बजट	व्यय
	$	$
1. संस्थान में दीर्घकालीन निरीक्षण संकाय तथा अल्पकालीन परामर्शदाता	5,24,000	4,95,934
2. भारत में उपलब्ध न होने वाले प्रयोगशाला उपस्कर तथा पुस्तकालय प्राप्तियों की खरीद	3,69,000	1,93,449
3. एम० आई० टी० (यू० एस० ए०) द्वारा परामर्शी तथा प्रशासनिक सेवाएं	2,41,000	2,18,347
4. एम० आई० टी० (यू० एस० ए०) में संस्थान संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षण	99,000	77,729
5. संस्थान तथा एम० आई० टी० के बीच संयुक्त अनुसंधान	27,000	26,519
6. संस्थान के लिए भारतीय संकाय सदस्यों की विदेश में भर्ती .	10,000	5,824
	12,70,000	10,17,802

अनुदान की परिचालन पद्धति के अनुसार, उपरोक्त मदों पर होने वाले खर्च का भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका में फोर्ड फाउन्डेशन, न्यूयार्क द्वारा सीधे ही किया जाता है तथा संस्थान द्वारा नकद रूप में कुछ प्राप्त नहीं किया जाता है।

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के अनुसार, बिरला समूह की प्रत्येक कम्पनियों से प्राप्त धनराशि को जिस प्रयोजन के लिए प्राप्त किया गया था, खर्च कर दिया गया है। संस्थान के खर्च के घाटे को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त राशि को उत्तरावर्ती वर्षों में संस्थान की गतिविधियों के उपयोग के लिए आगे ले जाया जा रहा है।

राज्यों में धान का वसूली मूल्य तथा बाजार मूल्य

2573. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में धान के वसूली मूल्य तथा बाजार मूल्य क्या हैं; और

(ख) अन्तर के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) धान के अधिप्राप्ति मूल्य वे मूल्य हैं जिन पर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदारी की जाती है और ये मूल्य समर्थन मूल्य के रूप में भी कार्य करते हैं। खुले बाजार के मूल्य, सप्लाई तथा मांग की स्थिति के अनुसार निश्चित किये जाते हैं। वे मूल्य प्रत्येक राज्य में और यहां तक कि अधिशेष अथवा कमी वाले क्षेत्र पर निर्भर करते हुए उसी राज्य के अन्दर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं।

विवरण

(रुपये प्रति क्विटल)

क्रम सं०	राज्य का नाम	धान की विभिन्न किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य	9-4-76 को बताया गया धान का बाजार-मूल्य जो कि विभाग में उपलब्ध है
1.	महाराष्ट्र	*74–89	140
2.	मध्य प्रदेश	74–82	90–130
3.	आन्ध्र प्रदेश	74–92	83–86
4.	तमिलनाडु	**74–86	81–130
5.	कर्नाटक	74–89	101–108

*इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार बोनस तथा परिवहन पर राज सहायता आदि देती है।

**11 मार्च, 1976 से।

नारियल वृक्षों के बाग लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता

2574. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के बाग लगाने तथा वृक्षों के पालन पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और अभी तक किन राज्यों ने किस सीमा तक इसका लाभ उठाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-10706/76]

अमरीका से आयात किये गये माइलो में धतूरा के बीज

2575. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अथवा भारत सप्लाई मिशन ने भारत को सप्लाई किये गये माइलो से धतूरा के बीजों को साफ करने के लिए अमेरीकी कृषि विभाग से कोई मुआवजा मांगा है;

(ख) अमरीका से आयात किये गये माइलो से धतूरा के बीजों को साफ करने के कार्य पर अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(ग) क्या सरकार अभी भी अमेरीका से माइलो आयात कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) पता लगा है कि भारतीय खाद्य निगम ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्जेंटाइना से आयात किये गए माइलो से धतूरा के बीजों को साफ करने के लिए 1974-75 के अन्त तक लगभग 65.50 लाख रुपए खर्च किए हैं।

(ग) 1975-76 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से माइलो की कुछ मात्रा आयात की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से माइलो आयात करने का अब तक कोई विचार नहीं है।

Central Offices housed in rented buildings at Patna

2576. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the names of Central Government offices in Patna which do not have their owns office Buildings there;

(b) expenditure incurred per month by each of them by way of rent; and

(c) whether Government have prepared any scheme under which these offices will construct their own office buildings ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat) (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Youth Leaders trained by Nehru Yuvak Kendras

*2577. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Nehru Yuvak Kendras in the country at present and total number of youth leaders under Training there as also the functions of these Kendras;

(b) number of youth trained by the Nehru Yuvak Kendras in each State during last three years and total expenditure being incurred on these Kendras; and

(c) efforts made by Government to utilise their training ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a), (b) & (c) The Government have sanctioned 185 Nehru Yuvak Kendras so far. The annual expenditure sanctioned on each Kendra is Rs. 60,000. Ordinarily training of youth leaders is not organised in the Nehru Yuvak Kendras. The main function of an Nehru Yuvak Kendra is mobilisation mainly of non-student youth in nation-building activities by a proper co-ordination and stimulation of programmes of different official and non-official agencies. The programmes undertaken by Nehru Yuvak Kendras include non-formal education, vocational training, sports and games, cultural and social service activities.

आयातित ट्रैक्टरों पर कमीशन दिया जाना

2578. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के टी०ए०ई०ई० को वर्ष 1975-76 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए दिया गया कमीशन आदि की दर क्या ह ;

(ख) मद्रास की इस फर्म ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मूल्य के ट्रैक्टरों तथा फालतु पुर्जों का आयात किया अथवा आयात करेगी और कमीशन आदि के रूप में उसे कितनी धनराशि दी जानी है; और

(ग) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश के विधायकों से ऐसा कोई ज्ञापन मिला है जिसमें मद्रास की कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के आयात पर बहुत अधिक कमीशन दिये जाने के बारे में शिकायत की गई है और यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पंजाब, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन परियोजनाओं के मामले में आयातित ट्रैक्टरों हेतु भारतीय एजेंट के लिए 20 प्रतिशत के कमीशन की सहमति दी गई है। हरियाणा ऋण परियोजना के मामले में डेविड ब्राउन के बारे में यह 15 प्रतिशत तथा आई० एम० टी० 533 के बारे में 20 प्रतिशत था।

जहां तक पुर्जों के आयात का संबंध है, आन्ध्र प्रदेश परियोजना के मामले में 44 प्रतिशत से अधिक की सहमति नहीं दी गई थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां। आन्ध्र प्रदेश के कुछ विधायकों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय एजेंट को अधिक कमीशन तथा आयातित पुर्जों को कमीशन दिये जाने का आरोप लगाया है। यह बताते हुए उत्तर भेजा गया था कि भारतीय एजेंट को आयातित ट्रैक्टरों पर 20 प्रतिशत कमीशन की अनुमति दी जाती है और पुर्जों के आयात पर 44 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जाती है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में पड़ी हिन्दी पाठ्य पुस्तकें

2579. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवता और सामाजिक विज्ञान की 3 करोड़ रुपए की 1000 हिन्दी पाठ्य पुस्तकें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में पड़ी सड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे हिन्दी भाषी राज्यों में अब तक ऐसी कितनी पुस्तकों को लगाया गया है अथवा उनको लगाने की सिफारिश की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दी ग्रंथ अकादमियों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से अब तक 220 पुस्तकों को, हिन्दी भाषी राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु सिफारिश की गई है।

तमिलनाडु के चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के अन्तिम मूल्यों की अदायगी न किया जाना

2580. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन चीनी-कारखानों के नाम क्या हैं जो तमिलनाडु सरकार द्वारा 1973-74 के मौसम के लिए गन्ने के प्रति टन अंतिम नियत मूल्य की अदायगी करने में असफल रहे हैं;

(ख) सांविधिक न्यूनतम मूल्य क्या था और उन कारखानों ने क्या मूल्य वास्तव में अदा किया;

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा नियत अंतिम मूल्य लागू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अंतिम मूल्य की अदायगी न करने वाले कारखानों को तमिलनाडु में अन्य कारखानों में लागू किये गये अन्तिम मूल्य की अदायगी की भांति अदायगी करने का आदेश दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :--

क्रम संख्या	1973-74 मौसम में राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित गन्ने का मूल्य न देने वाली फैक्ट्रियों के नाम	गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य	फैक्ट्री द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य
		(रुपए प्रति मिटरी टन)	
1.	साऊथ इण्डिया	83.80	97.00*
2.	अरुणा शुगर्ज़	81.90	98.00
3.	मदुरा शुगर्ज़	80.90	100.00
4.	थिरू अरूरान शुगर्ज़	80.00	94.50

*इसमें से केवल 91.60 रुपए प्रति मीटरी टन का वास्तव में भुगतान किया गया है और फैक्ट्री ने यह मान लिया है कि न्यायालय में लंबित मामले के निपटान होने के बाद शेष राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) तमिलनाडु में चीनी फैक्टरियां राज्य-सरकार द्वारा अभिस्तावित जिस गन्ने के मूल्यों का भुगतान कर रही है वे अतिरिक्त सांविधिक मूल्य हैं। इन मूल्यों का भुगतान केवल अनुनयपूर्ण तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुनयपूर्ण तरीकों अब तक सफल नहीं हुआ है।

वसूली केन्द्रों का कार्यकरण

2581. **श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में धान के खुले बाजार में मूल्य क्या हैं;

(ख) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि वसूली केन्द्र नियमित रूप से कार्य करें जिससे कि उत्पादक अपने उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री कर सकें; और

(ग) जिलों में वसूली स्टाक को उठा कर केन्द्रीय पूल में ले जाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में खुले बाजार में धान का मूल्य 74 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी एजेंटों से कहा गया है कि वे राज्य भर में पर्याप्त अधिप्राप्ति केन्द्र खोलें और अधिप्राप्ति मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति को और फील्ड एजेंसियों को निरन्तर जांच द्वारा यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए दिए गए स्टाक में से पर्याप्त मात्रा उठा ली जा चुकी है। शेष मात्रा के निरीक्षण और उसके प्रेषण को शीघ्र किया जा रहा है।

पोटेरू सिंचाई परियोजना का आयाकट क्षेत्र

2582. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में पोटेरू सिंचाई परियोजना का कुल आयाकट क्षेत्र कितना है;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंश कितना-कितना है; और

(ग) निर्माण के संबंध में इस सिंचाई परियोजना की प्रगति क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 61,000 हैक्टेयर।

(ख) राशि इस प्रकार वहन की जायेगी :—

(1) केन्द्रीय सरकार	14.65 करोड़ रुपए
(2) उड़ीसा सरकार	15.75 लाख रुपए

(ग) (1) दो ऊपरी जलमार्गों (हैड स्ल्यूसेस) सहित बांध का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(2) 50′ × 25.5′ के पांच रेडियल गेट बनाए जा रहे हैं और जून, 1977 तक स्थापित कर दिये जायेंगे।

(3) ऊपरी पहुंच पर दो प्रमुख नहरों की खुदाई का कार्य पूरे जोर पर चल रहा है।

(4) फरवरी, 1976 तक 91,90,000 घन मीटर के कुल क्षेत्र में से 6,64,400 घन मीटर पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है।

(5) कुल 126 गांवों में से 14 गांवों में भूमि अर्जन पूरा हो गया है।

(6) जून, 1977 में 2100 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध हो जाने की आशा है जैसा कि बांध के गेट स्थापित करने के बाद लक्ष्य है।

इसके बाद के वर्षों के लिए सिंचाई का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1978	10,200 हैक्टेयर
1979	13,800 हैक्टेयर
1980	18,700 हैक्टेयर
1981	16,200 हैक्टेयर

रक्षित भण्डार में वृद्धि

2583. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की भारी फसल को देखते हुए सरकार का विचार रक्षित भंडार में उस सीमा तक वृद्धि करने का है जिससे कि राज्यों के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित मात्रा को छोड़ कर खुले बाजार में बेचे जाने वाले सारे खाद्यान्न को खरीदा जा सके;

(ख) उड़ीसा में वसूली की प्रगति क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा से रक्षित भंडार के लिए खाद्यान्न उठाने संबंधी प्रगति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार की यह नीति है कि अधिप्राप्ति मूल्य पर बिक्री के लिए लाए गए उचित औसत किस्म के सभी खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाये।

(ख) चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान उड़ीसा में 19-4-76 तक 1.56 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया है।

(ग) उड़ीसा ने 50 हजार मीटरी टन चावल केन्द्रीय पूल में देने की पेशकश की है जिसमें से लगभग 11 हजार मीटरी टन ले लिया गया है और शेष मात्रा के संचलन के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

बड़े नगरों में भव्य भवनों का निर्माण

2584. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े नगरों में भव्य मकानों के निर्माण को निरुत्साहित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां; तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख) सरकार बड़े नगरों में भव्य मकानों के निर्माण को निम्नलिखित उपायों से निरुत्साहित करना चाहती है :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक आवास योजनाओं में, जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, किसी भी हालत में 2000 वर्गफुट से अधिक कुर्सी क्षेत्रफल वाले मकानों के निर्माण की अनुमति नहीं है;

(2) आवास तथा नगर विकास निगम, जो आवास योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करता है, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए अधिक से अधिक सस्ते मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देता है। मध्यम आय वर्गों तथा उच्च आय वर्गों की आवास योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करते समय निगम निम्नलिखित पाबंदियां लगाता है, जिसके कारण भव्य मकान के निर्माण करने वालों को निरुत्साहित होना पड़ता है :—

(क) मध्यम आय वर्ग के मकानों की लागत 42,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उच्च आय वर्ग के मकान की लागत 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन अधिकतम सीमाओं में भूमि, विकास, निर्माण की लागत, पर्यवेक्षी प्रभार, और निर्माण के दौरान व्याज शामिल है।

(ख) 1,00,000 रुपए की लागत का मकान बनाने के लिए ऋणी आवास तथा नगर विकास निगम से लागत का केवल 60 प्रतिशत ऋण के रूप में ले सकते हैं।

(ग) मध्यम आय वर्ग के मकान का अधिकतम कुर्सी क्षेत्रफल 95 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उच्च आय वर्ग के मकान का 185 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए;

(घ) ऋणियों को कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए प्रेरित करने हेतु निगम ने ऋण देने के लिए विसर्पी मान आरम्भ किए हैं। इस प्रणाली के अनुसार यदि किसी मकान की कुल लागत बढ़ जाती है तो आवास और नगर विकास निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रतिशतता कम हो जाती है;

(3) नगर-भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले नगरीय संकलनों में बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के कुर्सी क्षेत्रफल पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था है।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले रिहायशी मकानों के अधिकतम कुर्सी क्षेत्रफल को 157.95 वर्गमीटर तक सीमित किया गया है।

(5) गृह निर्माण अग्रिम के रूप में वित्तीय सहायता केवल उन्हीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो मकान के निर्माण/अर्जन की लागत को अपने मासिक वेतन के 75 गुना अथवा 1.25 लाख रुपए, इनमें जैसे जो भी कम हो, तक सीमित रखते हैं। ऐसे अग्रिमों को स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जा रही है कि प्रतिवर्ष उपलब्ध निधियों का 2/3 भाग निम्न आय वाले कर्मचारियों द्वारा मकान बनाने के उपयोग में लाया जायें।

Improvement in Cattle Breed

2585. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether special measures taken by Government have resulted in improved breeds of milch cows and increased milk yield;

(b) whether bullocks of this breed have not proved as useful for ploughing as those of Haryana breed; and

(c) whether Government propose to take any action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) Haryana breed has been bred for generations for improved draught quality. Crossbred bullocks, in view of their better growth rate and early maturity, have proved better in their work capacity than the non-descript type of bullocks maintained by the bulk of the farmers in the country. The crossbred bullocks are finding increasing acceptance in many areas where cross-breeding has been taken up.

(c) It has been recommended to the States that the exotic inheritance should be maintained at an optimum level in order to ensure combination of good milk production with heat tolerance, disease resistance, including work capacity in the crossbred population.

कृषि में विकास तथा पूंजीनिवेश

2586. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दशाब्दियों में अर्थात् वर्ष 1965 से 1975 तक कृषि की चार शाखाओं अर्थात् सस्य विज्ञान, औद्योगिकी, डेरी तथा मत्स्यपालन में सर्वाधिक मात्रा तथा मूल्य का उत्पादन किस शाखा में हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत संसाधनों के संदर्भ में इन शाखाओं में पूंजीनिवेश उत्पादन के अनुकूल है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस असंगति को किस प्रकार दूर करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि विगत दशाब्दी में कृषि की चार शाखाओं में से मात्रा के रूप में बागवानी और वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन के मूल्य के रूप में मात्स्यकी का सर्वाधिक विकास हुआ है।

(ख) तथा (ग) : कृषि की विभिन्न शाखाओं के अपेक्षित कार्य-निष्पादन से अन्य बातों के साथ-साथ उसमें लगाई गई कुल पूंजी-निवेश का पता चलता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित संसाधन केवल अंशमात्र ही होते हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं को केन्द्रीय संसाधनों का आवंटन संसाधनों, की उपलब्धि और पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में इनके लिए निर्धारित की गई अपेक्षित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

कालेजों में पढ़ने वाले नवयुवकों में मादक द्रव्य सेवी व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

2587. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक द्रव्य सेवी व्यक्तियों की, विशेषकर कालेजों में पढ़ने वाले उन युवकों की जो मादक द्रव्यों और मादक पेयों के दुष्प्रभावों को जाने बिना ही उनका सेवन करने लगते हैं, प्रतिशतता का पता लगाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश छात्र मारिजुआना, भांग या एन० एस० डी० का सेवन करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) ऐसा सर्वेक्षण न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकतर छात्र मारिजुआना भांग या एल० एस० डी० का सेवन करते हैं।

(ग) यद्यपि कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो भी सरकार विशेषकर विद्यार्थी समुदाय में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या के प्रति जागरूक है। इस बुराई को नियंत्रण में रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) राजधानी में इस बुराई को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा दिल्ली पुलिस की अपराध ब्रांच ने 18 सितम्बर, 1975 को एक छोटा नारकोटिक्स स्ट्राइकिन्ग सेल बनाया था। इस सेल के कार्य का आवधिक पुनर्विलोकन उच्चतम स्तर पर किया जाता है।

(2) कालेज के छात्रों द्वारा मादक द्रव्यों का दुरुपयोग किए जाने तथा उससे सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक बातों के बारे में अनेक अनुसंधान अध्ययन प्रवर्तित किए गए हैं।

(3) जनता को शिक्षित करने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे जन संचार साधनों के द्वारा नियमित रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

बल्लभगढ़ (हरियाणा) में चीनी कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव

2588. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लभगढ़ या पलवल में चीनी कारखाने की स्थापना करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने कोई प्रस्तांव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पलवल में 1250 मीटरी टन क्षमता की सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के बारे में एक आवेदन पत्र सरकार को मिला था।

(ख) यह आवेदन अन्ततः अस्वीकार कर दिया गया था।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन

2589. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में वन सम्पत्ति के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है :

(ख) इन वनों के समुचित उपयोग के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रयास किये गये; और

(ग) क्या वहां पर वन के एक विशाल क्षेत्र को पुनर्वास हेतु साफ किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग द्वारा लिटल अंडमान और उत्तर अंडेमान द्वीप समूह में वन सम्पत्ति का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) द्वीप समूह की वन सम्पत्ति के अधिकतम प्रयोग के लिए 1974 में एक परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी। इस परियोजना रिपोर्ट में योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन प्रभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और आर्थिक मामलों के विभाग से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधन कर दिया गया है। इस परियोजनां में लिटल अंडमान और उत्तरी अंडेमान से लकड़ी की 1,20,000 घन मीटर वार्षिक की अतिरिक्त मात्रा की कटाई किए जाने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं। वनों की सफाई के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किए जाने तक सभी पुनर्वास कार्यक्रम निलम्बित कर दिए गए हैं।

गुजरात में उर्वरक नियंत्रण परीक्षणशालायें

2590. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में कितनी उर्वरक नियंत्रण परीक्षणशालाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है और वे कब तक स्थापित की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान देश में 36 उर्वरक किस्म नियंत्रण परीक्षणशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से गुजरात राज्य में, वर्ष 1977-78 और 1978-79 में दो प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा के अंग के रूप में समाज सेवा

2591. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज सेवा को उच्च शिक्षा का एक अंग बनाने का विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या होगी ;

(ग) क्या कुछ शैक्षिक संस्थानों में छोटे पैमाने पर इसका तर्जुबा किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) से (घ) राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में, सामाजिक सेवा संबंधी कार्यकलाप पहले ही से उच्च शिक्षा का एक भाग हैं। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना में 105 विश्वविद्यालयों के लगभग 2.10 लाख छात्र भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन, कार्यकलापों के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यचर्या के साथ सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा की समेवित करने का मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचराधीन हैं

गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जाधारियों का पुनर्वास

2592. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकृण के उपाध्यक्ष ने "गाडगिल आश्वासनों" के अंतर्गत आने वाले अनधिकृत कब्जाधारियों को ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि उन लोगों को जनकपुरी और मादीपुर में डी० डी० ए० के फ्लैट दिये जायगे, और

(ख) यदि हां, तो क्या ख्वाजा बकी बिल्ला, कदम शरीफ नई दिल्ली के अनधिकृत कब्जाधारियों को डी०डी०ए० ने फ्लैट आवंटित कर दिये हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन और भेड़ पालन के लिये केन्द्रीय सहायता

2593. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चुनींदा क्षेत्रों में डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन और भेड़ पालन के विकास के लिए काफी मात्रा में परिव्यय वाली केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को वर्ष 1976-77 के दौरान शुरू किया जायेगा,

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) परियोजना क्षेत्रों के चयन के लिए क्या मानदंड है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है कि ये योजनायें उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायें, जहां पहले से ही केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य उतने ही पिछड़े क्षेत्रों को भी लाभ मिल सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) डेरी-उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर-पलन और भेड़ पालन कार्यक्रमों को जिनमें प्रजनन, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उत्पादों की अधिप्राप्ति एवम विपणन की व्यवस्था है, मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सघन सुसंहत क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाना है। इन कार्यक्रमों से छोटे सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को लाभ होगा। ये आर्थिक सहायता तथा ऋण के आधार पर है। डेरी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिज्ञात लाभानुभोगी छोटे सीमांत कृषकों को चार महीने से 28 महीने तक के संकर नसल के बछडों के पोषण की लागत पर 50% की दर तथा कृषि श्रमिकों को 66-2/3 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुक्कुट, सुअर तथा भेड़ उत्पादन कार्यक्रमों के संबंध में अभिज्ञात किए गए लाभानुभोगी छोटे कृषकों को उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए अपेक्षित पूंजी विनियोजन का 25% की दर सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को 33 1/3% की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुक्कुट उत्पादन के संबंध में यूनिट 50 अंडे देने वाली मुर्गियों के आकार की होगी। भेड़ उत्पादन एकक 20 मादा भेड़ और एक मेढ़ा तथा सुअर उत्पादन यूनिट 3 सुअरियों की होगी। इन कार्यक्रमों के लिए ऋण की व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से की जाएगी।

डेरी कार्यक्रम के अंतर्गत 75 परियोजनाओं, कुक्कुट-पालन के अंतर्गत 60 परियोजनाओं, सुअर-पालन के अंतर्गत 50 और भेड़ उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत 55 परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की योजना है। प्रत्येक अभिज्ञात परियोजना क्षेत्रों में डेरी कार्यक्रम के अन्तर्गत 5000 परिवारों, कुक्कुट उत्पादन यूनिटों की स्थापना करने में 3000 परिवारों, सुअर-पालन कार्यक्रम के अंतर्गत 500 परिवारों और भेड़ उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत 3000 परिवारों को सहायता करने का विचार है। वर्ष 1976-77 के लिए डेरी उद्योग कार्यक्रमों के लिए 165 लाख रुपए और कुक्कुट-पालन, सुअर-पालन और भेड़ उत्पादन कार्यक्रमों के लिए 240 लाख रुपए के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) परियोजना क्षेत्रों का चयन मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया जाता है और इन क्षेत्रों के चयन में उपलब्ध अवस्थापनात्मक सुविधाओं अथवा कम से कम विनियोजन से विकसित की जाने वाली अवस्थापनात्मक सुविधाओं और उस क्षेत्र में ऐसे सघन पशु उत्पादन कार्यक्रमों की गुंजाइश को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि प्रयासों की पुनरावृत्ति न हो और इन कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय/किन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बीच समन्वय हो। परियोजनाएं राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार क्षेत्रों की उपयुक्तता के आधार पर चुनी गई है।

कृषि मूल्य आयोग की खाद्य क्रय संगठन संबंधी सिफारिश

2594. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने खाद्य क्रय संगठन को शक्तिशाली बनाने के बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अधिप्राप्ति मूल्य पर खाद्यानों की बिक्री के लिए पेश की गई सारी मात्रा को खरीदने के लिए भारत खाद्य निगम और राज्य विपणन एजेंसियों की क्रय तन्त्र को तेज किया जाए। राज्य सरकार/भारतीय खाद्य निगम को तद्नुसार कहा जा चुका है और उनसे यथावश्यक अधिप्राप्ति मूल्य पर सहाय्य खरीदारी करने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के लिए कहा गया है।

पोषण कार्यक्रम

2595. **श्री बसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोषण कार्यक्रम के लिए नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम विशेषकर इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, लाभ प्राप्त करने वालों, नीति सम्बन्धी तत्वों, संचालन कार्यों, वित्तीय परिव्यय, और समाजिक संगठनों के योगदान संबंधी विशेष बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) पोषाहार कार्यक्रम के लिए कौशल बनाने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो भी, पोषाहार कार्यक्रम के प्रति पांचवीं योजना का उपागम दस्तावेज में दिया गया है। उपागम यह है कि कमज़ोर वर्गों की गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं और स्कूल पूर्व बच्चों की देखभाल करके कुपोषण की समस्या की जड़ पर ही आयात किया जाए।

2. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. 6 से 11 वर्ष तक की आयु के स्कूल के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चे आयेंगे ;

2. 6 वर्ष तक की आयु के स्कूल-पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत लगभग 37 लाख लाभप्राप्तकर्ता होगें।

3. 3 से 5 वर्ष तक की आयु के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालवाड़ियों/दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत लगभग 2 लाख लाभप्राप्तकर्ता होंगे ;

4. 1375 खण्डों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए स्वयं सहायता गतिविधियों को बढ़ाने हेतु बनाया गया प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रम ;

5. बच्चों और माताओं में रक्तक्षीणता तथा विटामिन 'ए' की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम, जिनके अन्तर्गत लगभग 25 लाख बच्चे और 16 लाख माताएं आएंगी।

3. बच्चों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वियन हेतु समाज कल्याण विभाग ने एक योजना (समेकित बाल विकास सेवा परियोजना) बनाई है जिसमें अनुपूरक आहार देने की सेवा बीज रूप में है। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं :—

1. अनुपूरक पोषाहार ;
2. रोग प्रतिरोधन ;
3. पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा ;
4. स्वास्थ्य जांच ;
5. निर्देशक सेवाएं ;
6. स्कूल पूर्व शिक्षा।

इस कार्यक्रम को 22 राज्यों तथा दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र के 33 खण्डों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी, तुर्कमान गेट क्षेत्र में 25 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, वहां स्थिति काफी गंभीर है। आजकल वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। बी०बी०सी० तथा पाकिस्तान रेडियो द्वारा इस कांड के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। हमें तथ्यों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अतः आप गृह मंत्री महोदय से निवेदन करें कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : हमें कल इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1976-77 के लिए कृषि तथा सिंचाई आदि मंत्रलायों की विस्तृत मांग

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से वर्ष 1976-77 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(2) वित्त मंत्रालय

(3) उद्योग और सिविल आपूर्ति मंत्रालय

(4) निर्माण और आवास मंत्रालय

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 10694/76]

राष्ट्रीय जनसंख्या संबंधी वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या एल०टी० 10695/76]

मद्रास सिटी म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन अधिनियम) :

निर्माण तथा आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत मद्रास सिटी म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 13) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं; जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल०टी० 10696/76]

तमिलनाडु अतिरिक्त विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, गुजरात राज्य विधान मडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत तमिलनाडु अतिरिक्त विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 10696/76]

(2) मैं गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(1) मोटर स्पिरिट की बम्बई में बिक्री कराधान (गुजरात) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 8) जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) गुजरात विक्रय कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10) जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(3) गुजरात राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 11) जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल०टी० 10697/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 536 में प्रकशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 548 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 10698/76]

(4) (एक) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति जो दिनांक 2 फरवरी, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/61/75-फाइनेंस (जनरल) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) (क) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने तथा

(ख) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 10699/76]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 264 (ड०) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 10700/76]

कम्पनी अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत जारी की जाने वाली निम्नलिखित प्रारूप निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 15/14/73-आई जी सी जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 को मैसर्स नैशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता, जो सरकारी कम्पनी है, पर लागू किया जाना है।

(दो) अधिसूचना संख्या 15/14/75 आई जी सी जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 (ग) को सरकारी कम्पनियों पर लागू किया जाना है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 15/33/74-आई जी सी जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 को सरकारी कम्पनियों पर लागू किया जाना है।

(चार) अधिसूचना संख्या 15/17/75 आई जी सी जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 की उपधारा (1) को सरकारी कम्पनियों पर लागू किया जाना है;

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 9842/75]

(पांच) अधिसूचना संख्या 15/30/75-आई जी सी जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198, 259, 268, 269, 309, 310, 311, 387 और 388 को सरकारी कम्पनियों पर लागू किया जाना है ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 10160/76]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

211वां, 214वां, और 215वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : में लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 और 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल) : राजस्व प्राप्तियां खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर-संपदा शुल्क संबंधी अध्याय चार पर 211वां प्रतिवेदन ।

(2) राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में बीमा शुल्क राजस्व की छूट और परित्याग-एथिल एल्कोहल का आयात पर लोक लेखा समिति के 172वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर संरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 214वां प्रतिवेदन ।

(3) शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा निरीक्षक प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति के 169वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 215वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्न प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग)--पर्यटन पर 100वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

82वां तथा 84वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुन करता हूं :

(1) भारतीय रुई निगम लिमिटेड पर समिति के 68वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के बारे में 82वां प्रतिवेदन ।

(2) भारतीय पेट्रो--रसायन निगम लिमिटेड पर समिति के 69वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 84वां प्रतिवेदन ।

अनुदानों की मांगें 1976-77—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*contd.*

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार किया जायेगा। मंत्री महोदय 1 बजे चर्चा का उत्तर देंगे। श्री गिरिधर गामांगों अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री गिरधर गोमांगों (कोरापुट) : मेरी राज्य से केवल 7 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रचार का एक प्रमुख साधन रेडियो है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका महत्व और भी अधिक है। भारत सरकार ने प्रचार के लिए जो साहित्य तैयार किया है, वह अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में है। राज्य सरकारों की यह साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करवा, उसे जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये। केन्द्र की तरह ही राज्यों के प्रचार विभाग को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। विभिन्न विभागों द्वारा जो सामुदायिक रेडियो सैट सप्लाई किये गये हैं, वह ठीक से कार्य नहीं करते हैं। अतः उनकी मरम्मत की व्यवस्था की जानी चाहिये या उनके स्थान पर नये सैट सप्लाई किये जाने चाहिये।

भारत में सब से अधिक, 400 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है जिन्हें कि 8000 से भी अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाता है। मेरा यह सुझाव है कि नये थियेटर हाल खोलते समय ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि थियेटर के मालिक निर्धन लोगों का शोषण न कर सकें। यह सन्तोष की बात है कि फिल्म प्रभाग द्वारा जो वृत्तचित्र बनाये जा रहे हैं उनमें आदिवासियों की समस्याओं को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दिशा में और अधिक अच्छे प्रयास किय जाने चाहिये।

लोक लेखा समिति ने अपने 182 वें प्रतिवेदन में कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं तथा क्षेत्रीय जन-जीवन का चित्रण करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हाल ही में उड़ीसा फिल्मों के संवर्धन के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। फिल्म निर्माताओं को अपेक्षित अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ताकि अच्छी क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण किया जा सके।

जहां तक राज्य सरकारों द्वारा प्रचार साहित्य सप्लाई किये जाने का प्रश्न है, यह ठीक है कि वह साहित्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। परन्तु इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अधिकारी नियुक्त करने चाहिये जो जनता की सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते रहें।

आदिवासियों के लोक गीतों तथा नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए संगीत तथा नाटक प्रभाग में एक अलग विंग बनाया जाना चाहिये। कोरापुट जिले में जपोरा रेडियो स्टेशन के निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये, इसके साथ ही मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि बेरहामपुर और संभलपुर के लिए नये रेडियो स्टेशन स्थापित किये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ ही मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उसने आपात स्थिति के दौरान सत्य को समझने में लोगों की अच्छी सहायता की है।

Shri M.C. Daga (Pali) : The Information and Broadcasting Minister recently stated in the conference of State Ministers of Information that it was their responsibility to educate the people about Governments policies and programmes. It was also stated by the Minister that the media units for Government policy, plans and programmes have also kept the

Government informed of the public reaction. So may I know if the Government is keeping itself alive and informed of the public reaction. This is very important and must be given due consideration.

Now according to the Ministry about 56 lakh copies cf the 20 Point Programme have been distributed to the public and about 34 documentaries have been. This is indeed an appreciable achievement. But my submission in this regard is that the public reaction in this regard must be made known to the Government.

The present rate of entertainment is very high and is impending the growth of Cinema Houses, particularly in small towns and rural areas. As the paying capacity of the people in these areas is much lower as compared to that in the metropolitan cities. It is high time for paying due attention to it.

Recently, Shrimati Kamla, a Minister of Rajasthan has drawn the attention of the Centre to the fact that A.I.R. broadcasts are not sufficiently audible in the border areas. Due attention should be given for strengthening the broadcasting system for this region.

श्री एस० एम० बजर्नी (कानपुर) : चार समाचार अभिकरणों यथा पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार का एकीकरण करने का जो कार्य मंत्री महोदय द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । इस निर्णय का स्वागत इन चारों ही अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा किया गया है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समाचार का भविष्य क्या होगा ? हम यह चाहते हैं कि जिन लोगों की प्रगतिशील नीतियों में आस्था है, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति के इच्छुक हैं, उन्हें 'समाचार' से सम्बद्ध किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं सेंसरशिप के बारे में कहना चाहता हूं । अब समय आ गया है जबकि हमें इस पर नये सिरे से विचार करना चाहिये । मैं न तो यह चाहता हूं कि इसे पूरी तरह हटा दिया जाये और न ही यह चाहता हूं कि इसे जारी रखा जाये । परन्तु हां, सदन में कही गई बात का प्रकाशन होने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये ।

रेडियो कलाकारों को बहुत कम वेतन दिया जाता है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिये ।

रेडियो कलाकारों को बहुत कम वेतन दिया जाता है । वे 200 या 300 रुपये माहवार के मामूली वेतन पर अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते । उनकी दशा बड़ी दयनीय है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन कलाकारों की ओर ध्यान दें और उनके वेतन में आवश्यक वृद्धि करें ।

संगीत और नाटक प्रभाग के निदेशक की सेवा अवधि को और बढ़ा दिया गया है, जबकि वे सेवानिवृत्त होने वाले थे । मुझे पता चला है कि उनके विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप हैं । तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में क्यों रखा जा रहा है ? भारत में प्रतिभासम्पन्न लोगों की कमी नहीं है । निदेशक को स्वयं ही शान्ति और शान के साथ सेवानिवृत्त हो जाना चाहिये और किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह आने का मौका देना चाहिये ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : There has been much improvement in the functioning of the A.I.R. ever since the present Minister has taken charge of the Ministry of Information and Broadcasting. It has been doing very useful work in propagating the 20-point economic programme. It should also raise its voice against black-marketing and bribery so that these evils could be eradicated.

So far as the broadcast of the proceedings of the House is concerned, I have a feeling that more time is given to the opposition which is objectionable.

The people of Bihar are happy at the opening of a new radio station at Darbhanga.

So far as the formation of a united news agency 'Samachar' is concerned, the whole country has welcomed it. We would like the Government to give more facilities to the small papers in regard to advertisements and newsprint quota so that they may come up.

As regards films, Government should ensure that only such films are produced which are educative and raise the character of our youngmen.

The Satellite television programme has proved to be very useful for our rural areas; it should be extended to more and more villages.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : Mr. Speaker, Sir, I support the Demands for Grants for the Ministry of Information and Broadcasting. During the last few years, the Ministry has done very commendable work. Especially after the promulgation of emergency, the A.I.R. has been playing an important role in maintaining a healthy atmosphere in the country and has been giving factual information to the people.

The Minister deserves to be congratulated for starting Sanskrit News bulletin. So far Germany was the only country where news were broadcast in Sanskrit. The Sanskrit knowing people have welcomed this move and I want to thank the Minister on behalf of those people.

So far as films are concerned, it is unfortunate that generally such films are being encouraged which depict violence and obscenity. The result is that our youngmen are going astray. Government should see that only educative films are encouraged.

The Song and Drama Division has been doing very good work in the field of dramas. If these dramas are staged in regional languages, they would greatly help in changing the feelings of the people.

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) : It is very unfortunate that censorship is being so operated that only the news relating to the party in power are being published and the activities of the Janata Morcha in Gujarat are being completely blacked out. Why is this being done ? Has the Janata Morcha been declared an unlawful organitation ?

It is learnt that accredition cards of 60 correspondents have been withdrawn and it has been said about one of them that his presence in Delhi is a danger to national security. This is something very strange. How can the presence of one man in the capital endanger national security when the Government claims wide support from the people of the country ?

The ruling party is indulging in horse-trading in Gujarat. They want to win over the support of the Members of Janata Morcha by bribing them. It is indeed a very sorry state of affairs.

The people arrested under MISA are not being treated well. They are not getting the facilities to which they are entitled under the law. What is worse is that even when a MISA detenu dies his relatives are not even informed about it. This kind of high-handedness must stop.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कुल 78 करोड़ रुपये के परिव्यय में से फिल्म उद्योग को केवल 5.18 करोड़ रुपया दिया गया है । यह राशि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग ने वर्ष 1975-76 के दौरान 308 करोड़ रुपये से भी अधिक धन कमाया और जिसमें से 50 प्रतिशत से भी अधिक राशि मनोरंजन कर के रूप में राजकोष को प्राप्त हुई, बहुत कम है । इस पृष्ठभूमि में अधिक परिव्यय देने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस मामले पर थोड़ा और विचार करना चाहिए ।

यद्यपि इस उद्योग ने 10,000 फिल्में बनाईं और 20,000 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, तथापि इस उद्योग को उद्योग नहीं माना जाता। इसे कोई संस्थागत वित्त सहायता उपलब्ध नहीं। इस उद्योग को संस्थागत वित्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मन्त्री महोदय को अधिक परिव्यय देने की आवश्यकता नहीं। यदि वह इस उद्योग को उद्योगों की सरकारी सूची में सम्मिलित कर दें तो बहुत मदद मिल सकती है।

फिल्म निर्माण के सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई कच्चे माल की कमी के बारे में है जिससे फिल्म बनाई जाती है जब तक हम कच्चे माल को नियमित तौर पर आयात नहीं करते और जब तक नियमित आबंटन नहीं होता तब तक इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता।

हाल ही में हमने समाचार पत्रों में देखा कि विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में बांड दायित्व को 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इससे निर्माताओं को गहरा धक्का पहुंचा है मन्त्री महोदय बताएं कि ऐसा क्यों किया गया है, इस विशिष्ट मामले पर पुनर्विचार किया जाए और बांड दायित्व को 200 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत किया जाए।

भारत सरकार ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार रखे हैं और राष्ट्रीय पुरस्कारों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने छोटे पुरस्कार भी रखे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी पुरस्कारों में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए हमें इन पुरस्कारों को थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहिए और इस उद्योग के कुछ लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के समय आमन्त्रित किया जाए ताकि उन्हें और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। हमें यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वर्तमान परीक्षणशालाओं का किस प्रकार ध्यान रखा जाएगा।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का सम्बन्ध है, प्रसन्नता की बात है कि हाल में एक सफल समारोह हुआ था। इन फिल्मों के माध्यम से हम अन्य देशों के नवीनतम प्रोद्यौगिक विकास के बारे में जान सकते हैं। इस समारोह से विदेशियों को भारत की फिल्में आयात करने का प्रोत्साहन भी मिलता है। दिल्ली, कलकत्ता, तथा बम्बई में फिल्म समारोह हुए। मद्रास में भी फिल्म समारोह होना चाहिए क्योंकि यह फिल्म निर्माण का महत्वपूर्व केन्द्र है और इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

टेलीविजन पर नवीनतम फिल्में दिखाने के मामले को लेकर फिल्म निर्माताओं में रोष फैला हुआ है। यह एक जटिल समस्या है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि टेलीविजन पर नवीनतम फिल्में दिखाई जानी चाहिएं परन्तु मंत्रालय को इसके वाणिज्यिक पहलू पर भी ध्यान देना होगा। मंत्री महोदय को अधिक ध्यान देना होगा।

फिल्म उद्योग के एकीकरण के लिए मंत्री महोदय ने सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए फिल्म उद्योग उनका आभारी है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। गत वित्तीय वर्ष में 68 करोड़ का योजना तथा योजनेतर आबंटन किया गया था परन्तु इस वर्ष यह आबंटन बढ़ाकर 78 करोड़ कर दिया गया है। यह मंत्रालय न केवल देश के लोगों की सहायता करता है बल्कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों की राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए सहयोग भी देता है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मंत्रालय के नये दायित्व को ध्यान में रखते हुए बजट आबंटन पर्याप्त नहीं है । अतः हो सकता है कि मेरा मंत्रालय बाद में पूरक मांगे पेश करे ताकि देश की अच्छे ढंग से सेवा की जा सके ।

सदन इस तथ्य से भली प्रकार अवगत है कि 26 जून 1975 को आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा करके देश को विनाश से बचाया गया और द्रुत विकास के लिए कई कदम उठाए गए । इस संदर्भ में जन सहयोग का बहुत बड़ा महत्व है । जब तक हम देश में जन सहयोग का वातावरण पैदा नहीं करते तब तक हम आर्थिक विकास के लिए जन आन्दोलन नहीं कर सकते और आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वय में कठिनाई आ सकती है । यदि लोग आर्थिक कार्यक्रम को समझने में रुचि लें तो इससे हमारे देश में विकास की दर बढ़ सकती है । यह आर्थिक कार्यक्रम जरुरतमंद लोगों के लिए शुरु किया गया है । हम उन्हीं लोगों के हितों के लिए प्रयत्नशील हैं । हम न केवल लोगों की आवश्यकताओं बल्कि आर्थिक कार्यक्रम के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान देते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों में सहयोग देने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

अब मैं भारतीय प्रैस के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । स्वतन्त्रता के एकदम बाद प्रैस ने तत्कालीन स्थिति का नाजायज़ लाभ उठाया । इस प्रैस ने राजनितिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया । जब संविधान बनाया गया तो अनुच्छेद 19 में भाषण स्वतन्त्रता पर संगत प्रतिबन्ध लगाए गए । इसके बाद प्रैस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम काफी चर्चा के बाद पास किया गया । लेकिन खेद की बात है कि यह अधिनियम निरसित हो गया और यह आशा की गई है कि प्रैस स्वयं अपने आप को सुधार लेगी और अपने लिए नैतिक संहिता बनाएगी । लेकिन दुर्भाग्यवश प्रैस ने देश की जनता और राष्ट्रीय जीवन को काफी नुकसान पहुंचाया तथा नैतिक संहिता को ताक पर रख दिया। इसके बाद प्रैस परिषद् बनाई गई और आशा की गई कि यह परिषद् प्रैस को विनियमित करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रैस के रवैये तथा देश में विद्यमान परिस्थितियों के कारण यह परिषद् भी सही प्रकार कार्य नहीं कर पाई । तत्पश्चात् यह महसूस किया गया कि ऐसा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिससे स्वस्थ पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले। यह सदन अच्छी प्रकार जानता है कि स्वस्थ पत्रकारिता क्या है और इसे किस प्रकार लाया जा सकता है ।

इस अधिनियम को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इसकी तीन विशेषताएं हैं । सबसे पहली तो यह कि इस विधेयक का प्रारुप संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित संगत प्रतिबन्धों के अनुरूप तैयार किया गया । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसकी आचरण संहिता उस नैतिक संहिता से कहीं कम कड़ी है जो संहिता सम्पादकों ने स्वयं तैयार की थी ।

अतः जो लोग यह कहते हैं कि इस अधिनियम से प्रैस स्वतन्त्रता पर रोक लगेगी अथवा इससे स्वतंत्र विचार प्रकट करने वालों को कठिनाई होगी तो ऐसे लोग न केवल गुमराह बल्कि उन्होंने इस समस्या पर गहराई से विचार ही नहीं किया है । इस अधिनियम से वस्तुतः उन लोगों के इरादे नाकाम सिद्ध होंगे जो प्रैस को राष्ट्र-विरोधी अथवा जन विरोधी गतिविधियों का माध्यम बनाना चाहते हैं । उन लोगों को इस अधिनियम से आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं जो अशान्ति या हिंसा का वातावरण नहीं फैलाना चाहते । अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस अधिनियम के उपबन्धों की आचार संहिता से तुलना करने के बाद इसका स्वागत किया है ।

यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के समय सरकार तथा सरकारी कर्मचारी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे । मैं तो केवल इतना कहूंगा कि सरकार के इरादों पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है । यदि हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा । लेकिन मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सत्ता का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा । सत्ता का उपयोग केवल अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति के लिए किया जाएगा । इस अधिनियम से वही लोग भयभीत हैं जो सम्पादकों द्वारा तैयार की गई आचार संहिता का पालन नहीं करना चाहते ।

जहाँ तक संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अधिनियम का सम्बन्ध है, इस बारे में भी कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन वस्तुतः इस अधिनियम से न तो प्रैस के और न ही संसद् के किसी अधिकार पर प्रतिबन्ध लगता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि प्रैस कोई अपमानजनक समाचार प्रकाशित करती है तो सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है । इस दिशा में पत्रकार को क्षमा नहीं किया जा सकता । यदि समाचार-पत्र अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं तो वे संसद् की सम्पूर्ण कार्यवाही को प्रकाशित कर सकते हैं । जब हालात सुधर जाएंगे, आपात स्थिति नहीं रहेगी तब ये पत्र जो चाहें छाप सकते हैं । बशर्ते कि वे कानूनी जिम्मेदारी लें । यह जिम्मेदारी इसलिए भी जरुरी है क्योंकि कानून सर्वोच्च हैं और कोई भी पत्रकार मनचाही खबर नहीं छाप सकता ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद भारतीय प्रैस ने निर्माणात्मक कार्य किया है। सेंसरशिप लगने के बाद समाचार-पत्रों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है । यदि ये समाचार पत्र अपनी जिम्मेदारी भली प्रकार समझें तो इनके लिए सेंसरशिप हटाई जा सकती है । प्रैस ने जो स्वस्थ परम्परा इन महीनों में स्थापित की है, मैं आशा करता हूं कि वह परम्परा कायम रहेगी और भविष्य में प्रजातांत्रिक सरकार और प्रैस के बीच मन-मुटाव नहीं रहेगा ।

कुछ पश्चिमी देश हमारी प्रगति से रुष्ट हैं और वहाँ के समाचार-पत्र भारतीय कानून को स्वीकार नहीं करते । अतः हमें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी होगी । मैं सदन में यह बात दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विदेशी को इस देश के कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । यदि वे इस देश में रहना तथा काम करना चाहते हैं तो उन्हें देश के कानूनों को मानना होगा । यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे भारत छोड़कर सहर्ष जा सकते हैं तथा और कहीं बस सकते हैं ।

समाजवादी देशों के विदेशी संवाददाताओं ने न केवल भारतीय परिस्थितियों को समझा है बल्कि अपने पत्रों में तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित किए हैं । हम उनसे ऐसी ही आशा करते हैं ।

विविध समाचार एजेन्सियों के एकीकरण के लिए मैं उन एजेन्सियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी को मान्यता दी है । जो लोग एकीकरण के विरोध में कुछ कहते हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं । 'समाचार' एजेन्सी को मान्यता प्राप्त होने से देश में स्वस्थ पत्रकारिता की नींव पड़ गई है । सदन की शुभ इच्छाओं से यह नींव और भी मजबूत होगी ।

उपनिवेशवादी देशों द्वारा प्रचालित समाचार एजेन्सियां हमेशा विकासशील देशों के विरुद्ध समाचार प्रकाशित करती रही हैं । यदि किसी देश की गतिविधियां उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वे उस का भद्दा चित्र पेश करना शुरु कर देती हैं । विकासशील देश इस अन्याय के प्रति अपनी आवाज नहीं उठा पाते। ये देश असहाय हैं ।

अब इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। गुट-निरपेक्ष देशों ने समाचार एजेन्सियों का संगठित पूल बनाने का दृढ़ निश्चय किया है। हालांकि इस पूल में भारत को कोई स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है फिर भी 'समाचार' एजेन्सी से यह देश ऐसी व्यवस्था कर सकने में समर्थ हो जाएगा जिससे झूठी खबरें प्रकाशित नहीं होंगी और केवल तथ्यपूर्ण खबरें ही छपा करेंगी।

सरकार की विज्ञापन नीति स्वस्थ पत्रकारिता तथा छोटे एवं मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। संसद् की विभिन्न समितियां सरकार की विज्ञापन नीति की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं। समितियों का कहना है कि सरकार की नीति ऐसी हो जिससे स्वस्थ पत्रकारिता उपजे तथा छोटे समाचार पत्रों को सहायता मिले। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। आशा है कि सदन भी इस कार्य में हमारा समर्थन करेगा।

अभी हाल में प्रधान मंत्री के प्रोत्साहन पर 'रोजगार समाचार' का प्रकाशन शुरु हुआ है। पहले इसकी मांग एक लाख से कम थी। लेकिन अब इसकी मांग बढ़ गई है। फिलहाल इसका प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी में शुरु किया गया है लेकिन शीघ्र ही इसका प्रकाशन चार भाषाओं में शुरु हो जाएगा। इस पत्र में सभी प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। मैं इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकारों को धन्यवाद देता हूं। हम ऐसी योजना बना रहे है जिससे यह पत्र प्रत्येक ग्रामीण डाक-घर में पहुंच सके ताकि देश के इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी परीक्षाओं में भाग ले सकें।

छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस समस्या का हल हो जाएगा।

हम फिल्म उद्योग का विकास करना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि फिल्मों में यौन और हिंसा के दृश्य न दिखाए जाएं। ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने में कुछ समय अवश्य लगेगा क्योंकि कई फिल्में बहुत पहले बन चुकी हैं। लेकिन निर्माणाधीन फिल्मों की प्रतियों की जांच की जा रही है और जहां कहीं आपत्तिजनक बात होती है, हम निर्माता को इसके बारे में बता देते हैं। सरकार ने फिल्म निर्माताओं को यहां तक बता दिया है कि यदि वे सेंसरशिप मार्गनिदेशी सिद्धांतों के अनुरूप फिल्म नहीं बनाऐंगे। तो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड पूरी की पूरी फिल्म ही रद्द कर देगा।

फिल्म उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है। हम इसे सरकारी क्षेत्र में नहीं लाना चाहते। फिर भी हम इस उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं। परन्तु असली प्रोत्साहन तो सिने-दर्शक ही देते हैं।

कई फिल्म पत्रिकाएं फिल्म उद्योग की आड़ में अश्लील साहित्य प्रकाशित कर रही हैं और इनका उद्देश्य धन कमाना है। ये पत्रिकाएं दर्शकों को अच्छी फिल्में देखने की प्रेरणा नहीं देती। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि फिल्म पत्रिकाएं अपना लेखनस्तर सुधार लें तथा केवल धन कमाने को ही अपना उद्देश्य न बनाएं।

देश में सिनेमा घरों की संख्या कम है। हम अधिक से अधिक सिनेमा घर बनाने पर जोर दे रहे हैं।

आकाशवाणी विभाग इस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इस विभाग ने अपना कार्य भली प्रकार निभाया है तथा प्रसन्नता की बात है कि सदन ने भी आकाशवाणी के कार्य की सराहना की है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि आकाशवाणी का दृष्टिकोण निष्पक्ष रहा है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्य में सुधार की आवश्यकता है। हम इस स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाएंगे। हाल ही में दूरदर्शन संगठन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया है। यह कदम इसलिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि दूरदर्शन एक स्वतंत्र और विशाल माध्यम के रूप में सही दिशा में विकास कर रहा था। इसकी विकास की गति को तेज करने और इसे अपना स्वतन्त्र रूप देने हेतु, इसे अलग कर दिया गया है और इसी मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र महानिदेशक के नियन्त्रणाधीन कर दिया है। हम यह भी चाहते हैं कि टेलीविजन सैट सुगमता से मिलने लगें और सामान्य जनता उसे खरीद सके तथा सामुदायिक टेलीविजन सैट अधिक संख्या में लगाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग टेलीविजन कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

'साईट' कार्यक्रम को अत्याधिक सफलता मिली है। इससे 2400 गांव लाभान्वित हुए हैं। परन्तु खेद की बात है कि जिस उपग्रह के माध्यम से इन गांवों में यह कार्यक्रम दिखाया जाता है, वह उपग्रह 31 जुलाई के बाद उपलब्ध नहीं होगा। अतः हम स्थलीय पारेषण की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आरम्भ में 40 प्रतिशत 'साईट' गांवों में कार्यक्रम प्रसारित किया जा सकेगा। इससे सभी 'साईट' गांवों में कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से ज्योंहि अधिक धनराशि मिलने लगेगी हम इस शैक्षणिक कार्यक्रम से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे।

प्रैस सूचना ब्यूरो, संगीत तथा नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार, प्रकाशन प्रभाग, भारतीय जन संचार शिक्षा संस्था बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। अतः हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य में और सुधार हो तथा उसे और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Grant relating to the Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	35,78,000	. .
65	सूचना और प्रचार	12,39,89,000	96,25,000
66	प्रसारण	33,66,16,000	17,78,44,000

सामान्य अनुदानों की मांगें, 1976–77–जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*contd.*

पेट्रोलियम मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब मांग संख्या 71 तथा 72 पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पैट्रोलियम मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
71	पैट्रोलियम मंत्रालय . .	38,27,000	
72	पैट्रोलियम और पैट्रो-रसायन उद्योग . .	46,21,66,000	239,55,27,000

श्री रेणुपद दास (कृषनगर) : बम्बई के पास गहरे समुद्र में वर्ष 1980 तक 100 लाख मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन होने की संभावना है। इसमें भारी सफलता मिली है। भारतीय तेल संबंधी अर्थव्यवस्था में सफल परिणाम होने से हम आयातों पर निर्भर करना कम कर देंगे। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा मंत्री महोदय इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं। भारत में तेल की मांग स्वदेशी साधनों से वास्तविक सप्लाई से सदैव अधिक रहेगी। अतः जब तक परिस्तियां अधिक अनुकूल नहीं होंगी, निकट भविष्य में हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे। इसलिए इस विभाग को देश के विभिन्न भागों में अन्वेषणात्मक कार्य करना पड़ा है तथा नए संसाधनों की खोज और उनके विकास का कार्य करना पड़ा है।

जहां तक तेल शोधन, वितरण और अन्वेषणात्मक कार्यक्रम में पुराने और नए सहयोग का संबंध है, बहुराष्ट्रीय फर्मों को और अधिक कार्य करने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें नए ठेके भी नहीं दिए जाने चाहिएं। इनके भारी मुनाफों तथा भारी राशि स्वदेश भेजने, राजनीतिक तोड़फोड़ के भय और प्रतिकूल ठेकों को ध्यान में रखते हुए आसाम आयल कम्पनी, कालटैक्स, इण्डियन आयल लिमिटेड तथा सभी विदेशी कम्पनियों पर कारगर नियंत्रण करने तथा इनको मुआवजा दिए बिना राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। यदि प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार को सहायता आदि की आवश्यकता है तो सरकार सोवियत संघ आदि देशों से सहायता ले सकती हैं।

जहां तक मूल्यों का संबंध हैं, स्वदेशी अशोधित तेल, इसके उत्पादों तथा पैट्रों-रसायनों के ऊंचे मूल्यों के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। चूंकि इस तेल का आयात नहीं किया जाता है। इसलिए इसका उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिए। अशोधित तेल और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहिए।

सरकार को मिट्टी के तेल का मूल्य घटाकर वर्ष 1970-71 के स्तर तक लाना चाहिए और गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अनवरत सप्लाई जारी रखनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जनता मंत्रालय का कार्य निष्पादन इसकी उपलब्धियों को ध्यान में न रखकर बल्कि इसके उत्पादन को ध्यान में रखकर करेगी।

अतः मैं मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं करना चाहता।

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना (महाराज गंज) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 5, 6 तथा 7 पेश करता हूं

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : हालांकि यह एक नया मंत्रालय है फिर भी इस पर ऐसी वस्तु का कार्य भार है जिसका राष्ट्र के आर्थिक जीवन में आधारभूत तथा सामरिक महत्व है। पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग न केवल मोटर-कारों, समुद्री जहाजों तथा विमानों में होता है बल्कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।

वर्ष 1971-72 के दौरान 194 करोड़ रुपये का तेल आदि आयात किया गया, वर्ष 1975-76 में यही आयात बढ़कर 1170 करोड़ रुपये का हो गया। स्वदेशी उद्योगों के पनपने से आशा है कि तेल के आयात पर निर्भरता में कमी होगी।

तेल के खोज तथा विकास के लिए उठाए गए उत्साहशील कदमों के परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पाद में वृद्धि हुई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यदि इण्डियन आयल लिमिटेड 38 लाख टन उत्पादन का स्तर बनाए रखें तो आशा है कि वर्ष 1978-79 तक 1 करोड़ 50 लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन शुरु हो जाएगा।

इस समय 2 करोड़ 30 लाख टन पैट्रोलियम तथा अन्य उत्पादनों की कुल खपत होती है। यदि हम खपत की दर कम करें और आयात घटाएं तथा खोज एवं उत्पादन को बढ़ाएं तो वह दिन दूर नहीं जबकि यह देश तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा। अतः देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध जारी रखना होगा। जिससे अशोधित तेल का आयात करने के लिए भारी भुगतान में कमी की जा सके।

वर्तमान पैट्रोलियम खुदरा विक्रय केन्द्रों को बहुउद्देश्यीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों में बदलने की योजना बड़ी अच्छी है। इन केन्द्रों पर लोगों को ट्रैक्टर, मिट्टी का तेल, उर्वरक तथा अन्य वस्तुएं मिल सकेंगी। बताया गया है कि ऐसे 80 केन्द्र खोले गए हैं परन्तु प्रतिवेदन में उनके कार्यकरण के बारे में कुछ नहीं बताया गया।

देश में घरेलू गैस की भारी कमी है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि पिछले वर्ष 2.5 लाख नए उपभोक्ता पंजीकृत किए गए। लगभग 52 नए नगरों में घरेलू गैस की सप्लाई हुई है फिर भी इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।

अनुमान लगाया गया है कि आगामी 5 वर्षों में अशोधित तेल की खोज करने, खुदाई करने तथा विकास करने में लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी। आशा है कि यह उद्योग इस प्रकार से विकसित होगा कि हम तकनीकी जानकारी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जहां तक संभव हो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी तेल खोज तथा विकास एजेंसियां तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसात) : देश में पैट्रोलियम उद्योग की प्रगति के लिए मैं मंत्री महोदय और उसमें लगे तकनीशियनों को बधाई देता हूं।

एक समय था जब पैट्रोल उत्पादक देश भारत का शोषण करते थे तथा भारत में तनिक भी पैट्रोल नहीं था। परन्तु मैं भारत को पैट्रोल देने तथा पैट्रोल उद्योग में मदद देने के लिए सोवियत संघ को धन्यवाद देता हूं। यह पता नहीं चल पाया कि समुद्र तट से दूर तथा समुद्र तट पर तेल की खुदाई के लिए हमें कार्ल्सवर्ग अथवा रीडिंग तथा बेट्स ग्रुप या असमेरा ग्रुप पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। जितनी जल्दी हम इनसे छुटकारा पा लें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हमें भारी मात्रा में तेल का आयात करना पड़ता है। एक वर्ष में मिट्टी के तेल के भावों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इससे गांव तथा ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि मिट्टी का तेल, डीजल, ट्रैक्टर आदि की बिक्री के लिए बहुत से केन्द्र खोले गए हैं, यह दावा अतिशयोक्ति पूर्ण हैं। ग्रामीण लोगों की यह आम शिकायत है कि इन पदार्थों की कई बार कमी हो जाती है और मिट्टी का तेल तथा अन्य पदार्थ समय पर नहीं मिल पाते। इस मामले पर अच्छी तरह विचार करना होगा। बहुउद्देश्यीय केन्द्रों को खोलने के विचार को सुव्यवस्थित बनाना होगा तथा अधिक से अधिक स्थानों पर इन केन्द्रों को खोलना होगा।

सुन्दरवन क्षेत्र में तथा बंगाल-उड़ीसा समुद्रतटीय क्षेत्र में तेल की खुदाई करने की एक योजना बनाई गई है। इन क्षेत्रों में तट-दूर तथा तट पर तेल की खुदाई करनी होगी लेकिन प्रतिवेदन में केवल इतना कहा गया हैं कि खुदाई की जा रही है। यह पता नहीं चल पाया है कि क्या वहां तेल या गैस मिली हैं।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि त्रिपुरा में गैस मिलने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या गैस की उपलब्धता का पता लगाने के लिए त्रिपुरा के विशिष्ट क्षेत्र में कुओं की खुदाई की गई है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि भारतीय तेल निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आदि संगठनों के कर्मचारी तथा अधिकारी संदिग्ध कार्य कर रहे हैं तथा उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए इन संगठनों को सुव्यवस्थित करना अति आवश्यक है।

मथुरा शोधनशाला में वर्ष 1979 में कार्य शुरु होगा। मंत्री महोदय यह बताएं कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल में हम प्राय आत्मनिर्भर कब बन जाएंगे। फिर भी मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मंत्रालय के प्रशासनिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमने वर्ष 1973 में निर्यात के लिए 240 करोड़ रुपये व्यय किया। वर्ष 1974 में यही राशि बढ़कर 899 करोड़ तथा वर्ष 1975 में यह राशि बढ़ कर 957 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान हमने वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 में पैट्रोल-निर्यातक देश संगठन से क्रमशः 134 लाख, 139 लाख तथा 136 लाख अशोधित तेल का आयात किया। पैट्रोल अथवा अशोधित तेल के आयात में व्यय की गई राशि में 400 प्रतिशत की वृद्धि को वहन करना हमारे जैसे विकासशील देश की सामर्थ्य से बाहर की बात है। लागत मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त हम एक अतिरिक्त कर, मोटर स्पिरिट कर लगा रहें हैं, जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं तथा अधिकांश टैक्सी चालकों पर पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में पैट्रोलियम मंत्रालय के लिए यह उचित होगा कि कोई प्रणाली बनाए जिस से टैक्सी चालकों को अपने कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैट्रोलियम, मोटर स्पिरिट तथा अन्य स्नेहक पदार्थ राशन में निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो

सकें। अतः टैक्सी में यात्रा करने वालों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। अतः या तो उन्हें यह रियायत दी जाए अथवा पैट्रोल की कीमतों में कमी की जाए।

तरल पैट्रोलियम गैस अथवा खाने पकाने की गैस के वितरण में काफी अन्तर है। वितरण हेतु विभिन्न एककों के लिए क्षेत्रों का चयन वाणिज्यिक क्षेत्रों के अनुसार नहीं किया गया है। इस पर नए सिरे से विचार करने तथा वितरण के अन्तर को समाप्त करने की आवश्यकता है।

जहां तक विशाखापटनम में कालटैक्स की शोधनशाला का संबंध है, चूंकि वह क्षमता का पूरा उपभोग नहीं कर रहे हैं, अतः इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

टकरू आयोग ने अगस्त, 1975 में अपना प्रतिवेदन दिया था। लेकिन लगता है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आयोग के निष्कर्षों पर निर्णय करने में सरकार को और विलम्ब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : 'इकनामिक टाइम्स' के अनुसार टकरू आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया था कि तत्कालीन इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड को उच्च अधिकरियों तथा भूतपूर्व खान तथा ईधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कोयला क्षेत्र से पाईप लाइन निकालने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के खान विशेषज्ञों द्वारा की गई आपत्तियों के संबंध में विचार करते समय लापरवाही बरती।

आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा बेचताल निगम और उसकी उपशाखाएं इसलिए खोली गई क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस बड़ी परियोजना को केवल उन्हें ही सौंपा जा सकता है।

अतः कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही विश्व टैंडर मांगे गए। बेचताल ने इस पाइपलाइन को कोयला क्षेत्र से निकाला।

मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पाइपलाईन को इसके नीचे की भूमि के धसने से तथा भूमिगत अथवा सतह के निकट आग के भड़कने से खतरा उत्पन्न हो सकता है। काफी परिणाम में भूमि के धसने तथा अधिक फैलाव से पाईपलाइन के चटकने की संभावना है। हाल में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट बनाली खान में भूमि धसने के परिणामस्वरूप परित्यक्त खान में संचित जल सहवर्ती सतग्राम खान में घुस गया। मैंने प्रधानमंत्री को भी इसकी सूचना दी है। खान सुरक्षा निर्देशालय ने बड़ी सीमा में प्रभावित इस क्षेत्र को छोड़ दिया। यह एक गंभीर मामला है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस खान वाले क्षेत्र में पाईपलाइन को बिछाने के बारे में पुनः विचार करें।

साल्या-कोयाली-मथुरा अशोधित तेल पाईपलाइन परियोजना के लिए भारतीय फर्म सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से टेंडर मांगे गए थे। सामान्य प्रक्रिया यह रही है कि निम्नतम टेंडर स्वीकार किया जाता है। लेकिन इस मामले में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किए गए। इसके विपरीत वे पुनः टेंडर मांग रहे हैं। ताकि उस फर्म को अवसर दिया जा सके जिसने उक्त टेंडर भेजा है। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। मंत्री महोदया को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार का धोखा धड़ी को रोकना चाहिए

जब मथुरा शोधनशाला काम करना शुरू कर देगी तो इससे न केवल जमुना का पानी दूषित होगा बल्कि गंधक अथवा अन्य पदार्थ के धूएं से ताज की सुन्दरता पर भी असर पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि शोधशाला ताजमहल से आगे बहाव की ओर किसी स्थान पर स्थापित की जाए ताकि ताजमहल की ओर धूएं के आने का अन्देशा न रहे। इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

Shri M.C. Daga (Pali) : In spite of repeated assurances of the Ministry Kerosene is not available in the villages. Unfortunately in some villages of Rajasthan kerosene is not available since last 12 months. Not only this, the prices of kerosene are also different in different states. Ministers should pay proper attention towards this.

Villagers do not get diesel easily for their tractors. As such supply of diesel for agricultural purposes should be assured.

Petrol pumps are the monopoly of rich and influencial persons. They creat artificial scarecity so as to earn more profit. I suggest that these pumps should be allotted to ex-servicemen, engineers and war widows etc.

No exploration work is being done in Rajasthan, Government should take action in that area also.

Some steps should be taken so as to decrease the consumption of petrol. The steps taken so far, have not given good returns.

Existing petroleum retail outlets of the oil companies are being converted into multi-purpose Rural Distribution Centres. But I have not seen any such centre in my district.

In their 49th Report the Public Undertaking Committee have said that I.O.C. had written of a sum of Rs. 44.62 lakhs during the year 1969-70 to 1972-73. This is gross negligence. Thus should not be allowed.

There is great irregularities in the allotment of gas.

Shri Narsing Narain Pandey (Gorakhpur) : I rise to support the Demands of Petroleum Ministry and to reply to the fears expressed by Shri Sather about the establishment of a Refinery at Mathura. It has been stated by Shri Sathe that establishment of Mathura Refinery will errode the Taj Mahal and may also lead in polluting the waters of Yamuna.

[*Shri Vasant Sathe in the Chair*]
श्री बसन्त साठे पिठासीन हुए]

In this connection I may state that decision to set up Mathura Refinery was taken after a detacted study and considerable thought. In fact every aspect of pollution etc. was taken into considerations. Now the position is that substantial amount of money has already been invested on this project and sufficient work has been done. So the question of any shifting at this stage does not arise.

I appreciate the idea of multi-purpose centres as introduced by the Ministry. In this connection I may submit that more such centres should be established so that more and more places could be covered.

There is good possibility of oil being found in the bordering areas of Nepal. In case intensive as well as entensive survey is carried out, oil can be located there. In case oil is found in this region, that will go a long way in solving the unemployment problem of the area.

New hopes have been created in our minds by the oil explorations of Bombay High. It is hoped that is near future, India will not only be self-sufficient in oil, but may also export the same to other countries. This will help a lot in saring lot of foreign exchange.

With these words I support the Demands for Grants and assure Shri Malaviya that in this task, entire country is behind him.

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : इस चर्चा का उत्तर देना मेरे लिए अधिक कठिन कार्य नहीं होगा क्योंकि चर्चा में सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये, वही सभी भलीभांति विषय से सम्बद्ध तथा सार्थक थे। समग्ररूप से यह कहा जा सकता है कि चाहे प्राकृतिक गैस तथा तेल आयोग के कार्यकरण को ले या मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत के किसी अन्य संस्थान को, उन सभी का कार्यकरण संतोषजनक ही रहा है। मैं केवल कुछ मोटे-मोटे प्रश्नों का उत्तर ही देना चाहूंगा।

सर्वप्रथम बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा टकरू आयोग के सन्दर्भ में कोयला खानों में धस जाने का उल्लेख किया है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रश्न पर अनेक बार विचार किया जा चुका है तथा व्यापक चर्चा के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह पाइप लाइन जहां है, उसे वही रहने दिया जाये। जिस क्षेत्र से पाइप लाइन गुजरती है, वहां उसके नीचे धसने की संभावना बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में पाइप लाइन को सुरक्षित समझा जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने प्रतिवेदन के अगले भाग का प्रश्न भी उठाया है। मुझे इस संबंध में यही कहना है कि उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है परन्तु इसके बारे में निर्णय लेने में सरकार को अभी कुछ समय लगेगा। इसी प्रकार श्री साठे द्वारा उठाई गई मथुरा तेल शोधक से सम्बद्ध प्रदूषण की समस्या के बारे में मुझे यही कहना है कि जमुना के पानी को दूषित नहीं होने दिया जायेगा जो पानी जमुना में छोड़ा जायेगा, वह पूर्णतया स्वच्छ ही होगा। यह ठीक है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने में प्रयोग में आने वाले तेल से 2.7 प्रतिशत सल्फाडाईआक्साइड निकलेगा जो कि हमारे लिए भी चिंता का विषय है परन्तु बम्बई में जो तेल निकला है उसमें सल्फर नहीं है, हमें आशा है कि हम प्रदूषण को रोकने में सफल होंगे। इसी प्रकार प्रदूषण से समबद्ध अन्य छोटे-छोटे प्रश्नों पर भी पूर्ण सावधानी से एक अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जिसका गठन श्री वरदाराजन की अध्यक्षता में किया गया है। हम इसके बारे में पूर्णतया सतर्क हैं तथा ताजमहल पर इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा।

यह खेद की बात है कि गत आठ वर्षों में पैट्रोल निर्यातक देशों के संघ द्वारा कच्चे तेल का मूल्य आठ गुना बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि का हम पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा हम उससे चिन्तित है। तेल शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है इसी प्रकार जल-प्रदान या कोयले से भी उर्जा का निर्माण किया जाता है। हमें इतनी उर्जा का उत्पादन करना है जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जायें। अब तो वर्तमान तेल के संसाधन है, वह अगामी 30-40 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। अतः हमें उर्जा का कोई न कोई विकल्प खोजना ही होगा।

हमने देश में अनेक स्थानों पर तेल के लिए खुदाई की है। हमें आशा है कि 1984 तक भारत में पेट्रोल-रसायन उद्योगों तथा अन्य उपयोगों के लिए पर्याप्त तेल उपलब्ध होने लग जायेगा। बम्बई के गहरे समुन्द्र के अतिरिक्त बम्बई तट के पास भी हमें ऐसे एक अन्य क्षेत्र भी मिला है, जहां तेल प्राप्त

होने की अच्छी संभावना है। हम तेल की खोज चारों तरफ कर रहे हैं। एक ओर गोवा के गहरे समुद्र में, तो दूसरी ओर रत्नागिरी के गहरे समुद्र में, इसी प्रकार एक ओर दीव की गहरे समुद्र में तो दूसरी ओर सौराष्ट्र के दक्षिण-पश्चिम में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज का कार्य काफी संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

यह ठीक है कि तटदूर तेल की खोज और इंजीनियरी के विकास के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों पर निर्भर करना पड़ रहा है। अब हम ठेकेदारों का सहयोग प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक सतर्क रहते हैं तथा जो भी शर्त हमारे हितों के विरुद्ध हो, उसे हम स्वीकार नहीं करते। हमारा, प्रयास यही रहता है कि कम से कम समय में तेल की खोज का काफी कार्य पूरा हो जाये। आसाम कावेरी वेसिन, बंगाल वेसिन तथा कच्छ बेसिन में जो खोज कार्य किया जा रहा है, उसमें हमारा प्रयास यही है कि उसे कम से कम समय में पूर्ण कर लिया जाये।

सदन को भलीभांति मालूम ही है कि पैट्रोल उत्पादों के वितरण संबंधी हमारी बहुत सार्थक तथा व्यवहारक सी है, उत्पादों का कुछ भाग सैनिकों की विधवाओं, अनुसूचित जातियों, तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, हां इस नीति की सफल क्रियान्विति में कुछ कठिनाइयां हमारे समक्ष आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम गंभीरता से इसकी समीक्षा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के हाल ही के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार हम अपने वितरण केन्द्र अर्धनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करना चाहते हैं। प्रथमतः हम मिट्टी के तेल का वितरण इन केन्द्रों से करेंगे। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बाद में सस्ती दवाइयों, कपड़ा उर्वरक, चीनी, ट्रान्जिस्टर आदि को भी किसी ढंग से वितरित करने का हमारा प्रस्ताव है। हमारा उद्देश्य इन केन्द्रों को बहु-प्रयोजनीय वितरण केन्द्र बनाने का है। अब तक हमने इस प्रकार के 168 केन्द्र खोल दिये है तथा कुछ अन्य केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हमने नैनीताल में एक एल०पी०जी० केन्द्र स्थापित किया है। जब हमें एल०पी०जी० मिलने लग जायेगा तो हम गढ़वाल क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे क्योंकि हम उन क्षेत्रों में पेड़ों का काटा जाना बंद करना चाहते हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा मिट्टी के तेल का चूल्हा बनाया जा रहा है जो कि एल०पी०जी० के समान ही उपयोगी होगा।

श्री नायक ने ईंधन के मूल्य कम करने का प्रश्न भी उठाया है। अभी हम इस प्रश्न पर विचार करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि एल०पी०जी० का मूल्य अभी कम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सरकार ने तेल मूल्य आयोग द्वारा तेल के मूल्यों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है क्योंकि हम इन दोनों का मूल्य कम से कम रखना चाहते हैं। अतः सरकार स्वयं इस मामले के प्रति पूर्णतया सचेत है। हम इस प्रकार की नीति बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं जिससे कि पैट्रोल कि खपत को कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही हमारा भरसक प्रयास यह भी है कि हम शीघ्र से शीघ्र कच्चा तेल तथा गैस निकाल कर उसका शोधन करें तथा विदेशी मुद्रा की बचत करें।

मथुरा तेल शोधक कारखाने का काम कार्यक्रमानुसार ही चल रहा है यद्यपि इसमें कुछ मामूली सी देरी हुई है, परन्तु पाईप लाइन तथा अन्य बातों की व्यवस्था की जा रही है। डोडसाल्स के मामले पर भी हमने विचार कर लिया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

भारत के उत्तरी भाग में तेल निकालने के प्रश्न पर भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है। गंगा के मैदान में पीलीभीत क्षेत्र में तेल प्राप्त होने की संभावना अन्य किसी भी क्षेत्र से अधिक है। हमने पीलीभीत जिले में पुरनपुर के स्थान पर छिद्रण करने का निर्णय किया है और, अगस्त या सितम्बर में यह काम शुरू हो जायेगा। इसके साथ ही हिमालय की तलहटी के क्षेत्र गोरखपुर, गोंडा और रामपुर समेत उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ जिलों में भी प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का हमारा प्रयास है।

राजस्थान में तेल की तलाश बहुत दिनों से की जा रही है तथा जब तक हमें इसके बारे में इत्मीनान नहीं हो जायेगा, यह कार्य जारी रहेगा। कावेरी के बेसिन में भी तेल की खोज का कार्य चलता रहेगा क्योंकि हम इसके बारे में आशावादी हैं। इसी प्रकार अब हमारा खोज का कार्य रामशहर क्षेत्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। हमें आशा है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे।

मुझे पट्रोलियम मंत्रालय के स्वायतशासी विभाग के बारे में कुछ और नहीं कहना है क्योंकि इसके द्वारा तेल की खोज का कार्य तथा पेट्रो-रसायन उद्योग विकास कार्य काफी संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 5, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut motions No. 5, 6 and 7 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Petroleum were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
			(रुपयों में)
71	पेट्रोलियम मंत्रालय	38,27,000	..
72	पेट्रोलियम और पट्रो-रसायन उद्योग	46,21,66,000	239,55,27,000

अनुदानों की मांगें 1976-77—जारी

DEMAND FOR GRANTS 1976-77—*Contd.*

सभापति द्वारा शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई:—

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की राशि	
		रु०	रु०
26	शिक्षा विभाग .	1,19,51,000	..
27	शिक्षा	135,80,94,000	39,93,000
28	समाज कल्याण विभाग .	11,31,90,000	..
101	संस्कृति विभाग .	6,27,17,000	
102	पुरातत्व	5,04,24,000	..

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में हमने कोई प्रगति नहीं की है। उसके लिए हमेशा धन की कमी रही है। और परिणामत: वास्तविक प्रगति हमसे दूर रही। धन के साथ-साथ सरकार की इच्छा की कमी भी शिक्षा की इस दयनीय स्थिति का एक कारण है। देश में शिक्षा के प्रसार के लिए रखी गई 169 करोड़ की राशि बहुत ही अपर्याप्त है। पुलिस आदि अनुत्पादित कार्यों के लिए सरकार करोड़ों रुपया व्यय कर रही है परन्तु शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति 3 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकती।

देश में प्राइमरी शिक्षा की सर्वथा उपेक्षा की गई है। यह अत्याधिक दोषपूर्ण है तथा यह शिक्षा पाने वाले छात्रों का भविष्य की शिक्षा के लिए उचित आधार नहीं मिल पाता। संविधान के निर्माताओं ने बहुत पहले 1950 में यह उपबन्ध किया था कि 10 वर्ष के अन्दर-अन्दर 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। परन्तु अनेकों दशक बीतने पर भी संविधान का वह उपबन्ध कागजी बात ही बन कर रह गया।

शिक्षा संबंधी सुविधाओं के मिलने में भी वर्ग भेद है। पैसे और धन के कारण इस क्षेत्र पर भी सम्पन्न वर्ग का एकाधिकार है। एक धनी का बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़ सकता है और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा आयोग का भी यही कहना है। अत: इस वर्ग भेद को शिक्षा के क्षेत्र में समाप्त किया जाना चाहिए। इस दिशा में किए गये हमारे अब तक के प्रयत्न मात्र प्रयत्न ही बन कर रह गये हैं।

*बंगला में दिए गये भाषण से अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

प्रौढ़ शिक्षा की नितान्त उपेक्षा की गई है। चौथी योजना में इस पर होने वाले परिव्यय को 1.9 प्रतिशत से बढ़ा कर 5.6 प्रतिशत किया गया है। दुर्भाग्यवश आयोग के सुझावों को सरकार ने नहीं माना है।

स्त्री शिक्षा का भी वैसा ही हाल है जैसा कि अन्य का। केवल 18 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं तथा इसमें वृद्धि करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार ने धनाभाव का रोना रोया है। परन्तु दृढ़ निश्चय और समझ से काम लेकर इसमें प्रगति की जा सकती है।

खेलकूद की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्कूल स्तर पर छात्रों को प्रशिक्षण देने की दिशा में कुछ नहीं हुआ है। स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे और स्कूल स्तर पर खेलों की उचित व्यवस्था की जाए।

बार-बार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करके एक अव्यवस्था सी फैल गई है। अब उसमें 10+2+3 की पद्धति लागू की गई है। 1956 में अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद ने माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया था। वह पद्धति ही अभी तक देश के आधे स्कूलों में ही लागू हुई थीं, और अब फिर उसमें फेर बदल किया जा रहा है।

धनाभाव के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वहां कालिजों में अध्यापकों को धनाभाव के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है तथा महीनों का वेतन बकाया पड़ा है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय कलकत्ता विश्वविद्यालय की सहायता के लिए कुछ करें।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
26	1	श्री भोगेन्द्र झा	संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	2	,,	पाठ्यक्रमों से साम्प्रदायिक, लोकतंत्र-विरोधी तथा अन्धविश्वासपूर्ण सामग्री हटाने और समाजवादी तथा लोकतंत्रीय विषयों को शामिल करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
26	3	**श्री भोगेन्द्र झा**	देश से निरक्षरता को दूर करने के लिये तुरन्त आन्दोलन चलाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	4	,,	विश्वविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व सभी छात्रों के लिये कम से कम एक वर्ष का श्रम-कार्य अनिवार्य बनाने की आवश्यकता।	,,
27	6	**श्री शिब्बनलाल सक्सेना**	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धन का बहुत कम नियतन।	,,
,,	7	,,	देश में लगभग 5000 संबद्ध कालेजों के विकास के लिये व्यय बढ़ाकर 40 करोड़ अर्थात् कुल अनुदान का 57 प्रतिशत करने की आवश्यकता।	,,
	8		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को प्रतिवर्ष विकास के लिये लगभग 8 करोड़ रुपये का अनुदान जो देश भर में 5000 सम्बद्ध कालेजों के विकास के लिये दिये जाने वाले अनुदान के बराबर है।	,,
	9	,,	छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं को जांचने के लिये शिक्षकों को पारिश्रमिक देना पुनः चालू करने से इंकार।	,,
27	76	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना के शास्त्री नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं
,,	77	,,	पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की आवश्यकता।	,,
,,	78	,,	विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट-वादी तत्वों को निकाल बाहर करने में असफलता	,,
26	81	,,	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली द्वारा त्रुटिपूर्ण साहित्य का प्रकाशन।	,,
,,	82	,,	पब्लिक स्कूलों, सरकारी स्कूलों तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों में शिक्षा का समान माध्यम तथा पाठ्यक्रम रखने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
26	83	श्री **रामावतार शास्त्री**	दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के अनुसार दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के पेंशन मामलों को निपटाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
,,	84	,,	छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के रख-रखाव के मामले में दिल्ली उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में व्याप्त कदाचार रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	85	,,	छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाएं कम-से-कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखने में असफलता ।	,,
27	86	,,	उन गैर हिन्दी क्षेत्रीय स्कूलों को मान्यता देने में असफलता, जिनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और जिन्होंने जनकपुरी, नई दिल्ली में अपनी शाखाएं खोली हैं ।	,,
26	87	श्री **मुहम्मद इस्माइल**	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती तथा स्थानान्तरण में कदाचार रोकने में असफलता	,,
,,	88	,,	नई दिल्ली के कुछ सरकारी उच्चतर-माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों के बावजूद कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	89	,,	नई दिल्ली में उन माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को उन्हीं विद्यालयों में पुनः तैनात करना रोकने में असफलता जहां से उन्हें पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण स्थानान्तरित किया गया था ।	,,
,,	90	,,	नई दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के शिक्षा में भ्रष्ट व्यवहार के दोषी कुछ शिक्षकों को संरक्षण देने के लिए सरकारी तथा राजनीतिक प्रभाव के आगे झुकना ।	,,
,,	91	,,	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तकों में गलत उदाहरण तथा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
101	1	श्री भोगेन्द्र झा	भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा को साम्प्रदायिक एवम् साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं से अलग कर सही रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
102	2	,,	बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत बलीराजगढ़ में पुरातत्व विभाग द्वारा स्थगित खुदाई कार्य को चालू कर पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	3	,,	बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत जनक-कालीन कलनेश्वर (कलना) स्थान के इर्द-गिर्द खुदाई करने की आवश्यकता ।	,,
,,	4	,,	बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत अन्धराठाढी में खुदाई आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	5	,,	बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत उच्चैठ में खुदाई करने की आवश्यकता ।	,,
,,	6	,,	बिहार के दरभंगा जिले में अहिल्यास्थान में खुदाई शुरू करने की आवश्यकता ।	,,

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण, आवास तथा संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस समय अवसर दिए जाने के लिए मैं आभारी हूं। कतिपय कारणों से यह आवश्यक समझा गया कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को ऊर्जा मंत्रालय से पहले लिया जाए। इस संबन्ध में मैं सवेरे विपक्षी नेताओं को स्पष्टीकरण दे चुका हूं। अतः आपकी अनुमति से कार्य सूची में यह परिवर्तन का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से यह परिवर्तन स्वीकार किया जाता है।

अनुदानों की मांगें, 1976-77---जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय—जारी

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : There is perfect peace and law and order in the universities and the studies are going very smoothly. This shows the success of the steps taken by Prime Minister.

On account of being a state subject education is not getting proper attention.

Today, the actual position is that each state is implementing educational policies in a different way. May I know, what is the hitch in making Education a Central Subject ? That will help a lot in the formulation of uniform education programmes.

It was quite some time earlier when attempts were made to make our educational institutions as hotbeds of Communalism. It is a matter of satisfaction that these attempts have been frustrated. No party should be allowed to encourage politics in Educational Institutions. These institutions should be allowed to concentrate on the cause of Education.

I have got all appreciation for the good work being done by University Grants Commission and it is suggested that similar bodies should also be set at state levels also. It was quite sometime back when a committee was appointed to evaluate the working of University Grants Commission. May I know what is th e progress made by this Committee ?

A committee was appointed to undertake the work of preparation of dictionaries of foreign languages. It is an appreciable project and can help a lot in providing education of foreign languages. The implementation of this project must be expedited. Similarly the new scheme of 10+2+3, envisaged by the Ministry is also a good one. It should be introduced throughout the country from July onward so that there is uniform system of Education in the country. The language policy which will govern this scheme should also be made clear.

At present we are having three akademies. There is a report which pertains to these akademies. I would like to know from the Minister whether these akademies are functioning in accordance with the recommendations made in the report.

Now regarding the appointments made in our Universities, I am to submit that several mal-practices are going on. Instead of merit, favouritism and nepotism are playing the key role. It is high time for giving a serious thought to this matter. Only the genuine and deserving persons should be appointed as Vice-Chancellors. I will also suggest that if possible, their appointment work should be centralised.

Our present system of education and university examination is full of loopholes. Open favouritism is the order of the day and now-a-days the sons and daughters of professors are getting first class. It has become possible because of some mal-practices. This is a sad development and must be looked into at the earliest. At the same time I may also suggest that in our schools and colleges, cultural education should also be imparted. Our old system of Education when pupils used to live in Gurukuls, was also a good one, and under the present developments, we can also think of going back to that system of education.

Lastly I want to submit that until and unless Indian languages are made the medium of instruction, the total welfare of the country cannot be possible. English language is enjoying a prestageous position in our Universities. It must be replaced by regional languages. It is a matter of satisfaction that this time more amount is being spent on education. With these words I support the Demands of the Education Ministry.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur) : Sir, I am sorry to point out that the progress made in the field of Education during the last several years has not been satisfactory, as it is very insignificant. For example, the school of Architecture and Planning which was set up for the development of both the rural and urban areas, confined its activities to Delhi only. May I know from the Minister if any time limit will be fixed for the implementation of its objects ?

Now with regard to our legal education, I may point out that it is very defective. It should be ratified to avoid contradictory judgments by the different Courts on the same issues. It is of vital importance and must be done at the earliest.

Recently an order has been issued by the Government of Uttar Pradesh for not recognising new schools and colleges opened by private institutions. It appears to be an adverse decision because our Government is some time not in a position to open new schools. I submit that this decision may be reconsidered. Lot of mis-management is prevalent in several educational institutions as many a time action is taken against innocent teachers by the Management Committees. Necessary steps should be taken to curb arbitrary decisions of such like managements.

Now turning to the sport activities of the country, I may submit that there too, favouritism is the order of the day. It plays a vital role at the time of selection of players. Actually it is this approach of our selectors which is responsible for the poor performance of our teams at international events. This favouritism should be eradicated all together.

Regarding the number of schools and colleges in the country, I may point that their number for girls is quite inadequate. New Schools and colleges should be opened for the girls.

This position in some of our training colleges is also very disheartening. The students are declared successful not on merit basis but on the basis of many other considerations.

This should be looked into by the Minister and appropriate steps should be taken to set the things in order. It should be ensured that no unions will be allowed to function in educational institutions.

The other point which I want to make in that such a system of education should be devised by the Government in which students should not hanker after jobs. Jobs should be made available to them immediately on completion of education. To achieve such an end more attention should be given to the development of cottage industries, so that people may become self-sufficient and self-reliant.

There should be a uniform legislation for governing all the Universities and Colleges irrespective of the fact that whether it is Aligarh Muslim University or Banaras Hindu University. In case the Government is really keen in the expansion of Education, the management of all the schools and colleges should be taken over by the Government.

With these words, I support the Demands of the Education Ministry.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir, whether people accept it or not, I must say that Education is the Back-bone of Society. Though this fact has been accepted by all but still there are some who think otherwise. It was because of such like thinking that lot of chaos and indiscipline was prevailing in our Educational Institutions. Before the proclamation of Emergency. We should be grateful to our Prime Minister who realised the gravity of the situation and took a bold step by declaring a state of Emergency. Her 20 Point Programme has changed the entire atmosphere of the country. So in view of this changed atmosphere our Education Minister and other educationists should give a serious thought to the present system of Education. They should come out with new syllabus and curriculum which should be acceptable to the teachers as well as to the students. Let it give new dimensions to our objects of education.

It is a wrong notion in the minds of our younger generation that so long as they do not have a foreign degree, they cannot be regarded as matured scholars. But the fact of the situation is that there is no dearth of knowledge in our country. Our Sanskrit literature is very rich and a good number of world scholars are out to study it. If our Sanskrit works are studied well most of the scientific knowledge would be found therein and the country can be benefited by the same. It is a major weakness of our present education system and that is we receive education with sole object of getting service. Education must be made job oriented so that our youngmen may not hanker after jobs but after completion of education they may enter other fields such as agriculture and industry.

Now-a-days very often we read in newspapers that our valuable idols are stolen from places of worship and are being taken out to other countries. Whenever such like thefts are made hetic searches are made for the recovery of such goods. But in the light of these developments may I know from the Government if any attempt has been made to search out the places where such idols are available or any arrangement has been made for their safety so as to avoid such thefts in future ?

My other submission is that if we are really keen in the expansion of Education in the country, then education must be made free up to secondary level. There is a sizeable section of society who cannot afford to pay for the Education. If it is made free, more people will come in its fold.

My other grudge is about the fascination of English language. We can very conveniently do without English. Our younger generation should develop fascination for regional languages, rather than English. I do not object to English being taught as an elective subject, but our medium of instruction must be our own language. It is necessary from national point of view also.

The number of schools and colleges in the country is not adequate for the propagation of education. Similarly the number of libraries in the country is also insufficient, Libraries should be opened at village level also so that people may cultivate healthy habits for utilizing their spare time.

In my area, there is a fort which is known as Balirajgarh fort. It is a fort of vital historical importance. The local people of the area have carried out some excavations. They succeeded in finding many things. It is a strange thing that uptill now no attention has been paid by the Government to this for.. It is submitted that the Government should send some experts to examine and study the funds. Similarly, the Mithila University which has come out of its financial strains, should be made a Central University.

Now-a-days we have taken up a programme of educating the rural people through satellite television. This work is being executed in collaboration with U.S.A. and about 2400 villages have been covered by it. It is gathered that this programme has proved a grand success. But we are pained to learn that the programme is likely to be terminated in the coming few months. This should not be allowed to happen. The Government should ensure that these villages are not deprived of this privilege.

A committee was formed on the recommendations of the Education Ministry. It's object was to frame new syllabus and to change the present system of Education in view of the present conditions.

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair.*
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

Lastly I may submit that vocational education has been included in new education formula of 10+2+3. The study of science and mathematics should be made compulsory up to school level. A national policy should be formulated for the education.

With these words, now I express my gratitude to you for allowing me to participate in this discussion.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । हमारे संविधान के निदेशपदों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु साधनों के अभाव के कारण अभी तक हम इसे क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं । इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए । मेरा यह भी सुझाव है कि शिक्षा को केन्द्र का विषय बना दिया जाना चाहिये ।

बजट संबन्धी जिस प्रकाशन का प्रचालन किया गया है उसमें यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने अनेक राज्यों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रत्येक ज़िले को एक लाख रुपये का आवंटन किया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसाम आदि कुछ राज्यों द्वारा इसकी क्रियान्विति का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

मेरा जिला नेपाल की सीमा से लगा है। दुर्भाग्यवश वहां शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। मंत्री महोदय ने देश भर में प्रत्येक जिले के लिए एक लाख रुपया शिक्षा के प्रसार के लिए दिए जाने की योजना क्या बहराइच में लागू की गई है।

परीक्षा सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।

आपात स्थिति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष पूर्ण शान्ति रही तथा परीक्षाएं समय पर हुईं। नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए परीक्षा में पुस्तकें आदि लाने की अनुमति दी जाए तथा प्रश्नपत्र इस प्रकार बनाए जाएं कि बिना गहन अध्ययन के उसके उत्तर न दिए जा सकें।

स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी कतई कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

मंत्रालय तमिलनाडु आदि राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति का प्रबन्ध करे। तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र के छात्र कम-से-कम एक अन्य भारतीय भाषा अवश्य पढ़ें। इसी अहिन्दी भाषी राज्यों में सामान्य हिन्दी का पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबन्धित गतिविधियों के कारण गिरफ्तार हुए हिन्दी अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त किया जाये तथा इस संस्था द्वारा चलाए जा रहे शिशु मन्दिरों के छात्रों से कोई शुल्क न लिया जाए क्योंकि अब उनमें सामान्य प्राइमरी स्कूल के समान शिक्षा दी जाती है।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Paripurnanand Parmli (Tehri-Garhwal) : I support the demands of the Ministry of Education. Now time has come when the education system of the country should be changed totally. It should be employment oriented.

Education Ministry had been quite indifferent towards fulfilling the requirements of Article 45 of the Constitution, regarding providing free education to the children up to the age of 14 within 10 years.

More attention should be paid towards the education of girls, because it will help to a great extent in educating the children of the family.

The students of different regions should be given education according to the requirements of different regions. Education should be made central subject. So as to bring uniformity.

Special arrangements should be made for the nutrition of students. More funds should be provided for implementing National policy for children announced by the government.

Arrangements should be made for women hostels in the cities having more than 2 lakhs of population.

Government should pay more attention towards promoting sports as in the international field India does not hold good name.

More attention is required in the direction of presuming things of archaeological importance. Arrangements for their protection should to tightened.

A separate ministry should be set up for the social welfare and weaker section of the society.

With these words I support the demands of the Ministry of education.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मुझे इस बात से बड़ी निराशा है कि सरकार 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा देने में असफल रही है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 45 में इसकी व्यवस्था की गई थी। मंत्री महोदय का कहना है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति हम धनाभाव के कारण नहीं कर सके। एक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा के लिए पैसे का मिलना बड़ी ही खेद की बात है।

आज 10+2+3 पाठ्यक्रम का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है। 1919 से इस संबन्ध में सुझाव दिए जाते रहे हैं। यहां तक कि 1966 में सम्पूर्णानन्द समिति ने भी इसी पाठ्यक्रम का समर्थन किया था। परन्तु सरकार ने निर्णय पर पहुंचने में इतना लम्बा समय लिया। पर क्या अब भी सरकार ने स्कूलों को पूरा सरंजाम देने की व्यवस्था की है। जिससे कि छात्रों को उचित शिक्षा दी जा सके। मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि यह नई पद्धति स्थायी रूप से रहे। जैसी कि स्वर्णसिंह समिति ने सिफारिश की है शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाए, जिससे केन्द्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सके।

परीक्षा पद्धति में भी आवश्यक सुधार किया जाए। इस समस्या पर गहराई से विचार किये जाने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाए।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सभी निर्णयों के बाद शिक्षा नीति के संबन्ध में वर्तमान अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हम सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि गत 25 वर्षों से ही कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करते आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पूर्ण विकास न हो पाये। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि हमें जो शिक्षा पद्धति विरासत में मिली, वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी। अब तक हमारे समक्ष अनेक ऐसे सुझाव समय-समय पर आते रहे हैं जिनके अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार की बात की गई है, परन्तु खेद की बात यही रही कि यह सुधार अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं। अब समय आ गया है जबकि बालवाड़ी से निकलने वाले बच्चे कोई अन्य कार्य करने से पहले, उसे अपनी बुद्धि को प्रखर बनाने तथा उसका समुचित विकास करने के लिए क्या करना होगा। आज पश्चिम में लोगों ने इसी प्रकार की पद्धति को अपना लिया है। अतः मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह पश्चिम में विकसित हो रही इस शिक्षा पद्धति का उचित अध्ययन करवायें। यह हमारे देश के शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ा अभाव है कि उसके माध्यम से आज जो युवक शिक्षित हो रहा है, वह अपनी शिक्षा समाप्त करते ही नौकरी प्राप्त करने के चक्कर में रहता है। हमें अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही उन्हें व्यवसायिक शिक्षा देकर, स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा उसे अब तक अपेक्षित शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा जाता रहा है । इतना ही नहीं इस क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं रही है । विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मंडलों के कुछ सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं तो कुछ मनोनीत। परन्तु यह सदस्य छात्रों के लाभ या हित की अपेक्षा कर्मचारियों के लाभ तथा हितों के प्रति अधिक जागरूक रही हैं । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इन प्रबन्धमंडलों के संविधान की फिर से जांच की जानी चाहिये तथा उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप आने का प्रयत्न करना चाहिये।

मध्यप्रदेश में रेवा के पास गुर्गी नामक स्थान पुरातत्व के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का पुरातत्व-विभाग वहां के खुदाई कार्य के लिए रीवा विश्वविद्यालय को सहायता देने के लिए तैयार हो गया है । अतः आपके मंत्रालय को खुदाई कार्य करवाने के लिए अनुमति दें ही देनी चाहिए। इससे रीवा विश्वविद्यालय के छात्रों को अपना पुरातत्व ज्ञान बढ़ाने का एक स्वर्ण अवसर उपलब्ध हो जायेगा ।

हमारे गांवों से अनेक ऐसे उदीपमान युवक तथा युवतियां है जिनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है । अतः हमें कोई इस प्रकार का संगठन या तंत्र बनाना चाहिये जो इस प्रकार के युवकों व युवतियों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा सके ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश की विभिन्न बोलियों की देवनागरी लिपि में ही लिखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये क्योंकि देवनागरी में सम्पूर्ण देश को एकता में बांधने की क्षमता है ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढाना) : प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में काफी प्रगति हुई हैं । 1974-75 तक 6 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 83 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पा रहे थे । हमें आशा है कि 1978-79 तक 97 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में भर्ती हो जायेगें। यद्यपि यह आंकड़े देखने में काफी संतोषजनक लगते है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि बहुत से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं और इस प्रकार के छात्रों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है । अतः इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि आज 1947 की अपेक्षा अशिक्षा अधिक है । प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए धन आदि की व्यवस्था करने के साथ-साथ छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के बारे में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। शिक्षा को रोचक तथा आर्कषक बनाना भी काफी आवश्यक है तथा इस काम में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य के लिए अध्यापकों का निष्ठावान होना भी अनिवार्य है । शिक्षा मंत्रालय तथा शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को यह पता लगाना चाहिये कि कितने अध्यापक अपने गांव या निकट के गांव में स्थानान्तरण करवा कर कृषि तथा अन्य कार्य करते रहते हैं तथा इस प्रकार अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। यदि देश में शिक्षा का उचित प्रसार नहीं हो पाता तो, उसका दायित्व सरकार का ही होता है ।

भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में तारांकित प्रंश्न .संख्या 533 के उत्तर के बारे में वक्तव्य ।

Statement re. answer to S.Q. No. 533 regarding Birth Place of Lord Buddha

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखियेगा। अब प्रो० एस० नुरुल हसन व्याख्यात्मक वक्तव्य दें ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जब बताया था तो एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मेरे से पूर्व मेरे साथी श्री डी०पी० यादव ने इस संबन्ध में एक विरोधी उत्तर सदन में दिया था। तथ्य तो यह है कि 14 अप्रैल 1976 के मेरे साथी ने अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के बारे में निम्न उत्तर दिया था :

"उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के पिपरहवा में एक बिहार से अधिक मात्रा में प्राप्त मुद्राओं पर अंकित किंवदन्ती (ईसा पश्चात् पहली और दूसरी शताब्दी के ब्राह्मी स्वरूप में ओम देलपुत्र बिहार कपिलवस्तु भिक्षु संघस्य से पिपरहवा के साथ प्राचीन कपिलवस्तु की पहचान की संभावना के संकेत मिलते हैं।"

अतः इस वक्तव्य में भला यह कहां कहा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु था।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 अप्रैल 1976/7 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 27, 1976/ Vaisakha 7, 1898 (Saka).

MGIPRRND—6 LSS/76—Sec.-III N/S 6-9-76—200